राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 53वां दिवस [संख्या 27

सोमवार

दिनांक 25 अगस्त, 1980

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पंदासीन)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्दर कल जयपुर....

श्री अध्यक्ष : वह मेरे ध्यान में है। उस पर व्यवस्था दी जायगी, बाद में।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा था....

श्री अध्यक्ष : आज जीरो आवर नहीं है। स्थगित कर दिया गया है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, नेशनल डवलपमेन्ट कौंसिल की मीटिंग हो रही है उसमें छठी पंचवर्षीय योजना डिस्कस करेंगे। कुछ तो बताया जाय, कुछ तो कान्फिडेन्स में लिया जाय। कुछ तो हमारे विचार लिये जायं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मजबूरी है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों के अच्छे सुझाव मिल सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यदि समय कुछ बच जाता है तो मैं देखूंगा। उसके बाद में व्यवस्था दूंगा।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो बहुत ही एक मर्मस्पर्शी स्थगन प्रस्ताव था। तहसील पाली में सोनी नाम की महिला की हत्या कर दी गयी है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदन किया कि जीरो आवर नहीं है। उसकी अन्य किसी तरीके से कार्यवाही करूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (उपनिवेशन) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 4 (7) राज/उप/79, दिनांक 11 मई, 1980 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : आवासन मंत्री !

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (आवासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 52 की उप धारा (3) के अन्तर्गत नगर आयोजना (ग्रुप-1) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 14 (13) टी.पी./1/71, दिनांक 8 मई, 1972, जिसके द्वारा राजस्थान आवासन बोर्ड लेखे तैयार करना, उनका अनुरक्षण तथा प्रकाशन नियम, 1971 बनाये गये हैं, को सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न
प्रश्न काल

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

मेरा कहना यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त नहीं किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ऐसी परम्परा हो गयी है लेकिन ऐसी परम्परा किस काम की, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरशाही हावी हो गयी है, लोकतंत्र पर नौकरशाही हावी है। माननीय सदस्यों की बातों का जवाब नहीं दिया जाता है और माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है यह ट्रेजरी बैन्चेज पर आधारित है। वह चाहे, भले ही यह अपना निर्णय दे दे लेकिन आप हमारे अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें। अवाम की बातों का नहीं जवाब हो, ऐसी व्यवस्था करें। मेरा कहना यह है कि रूल्स के अनुसार अभी भी प्रश्नकाल समाप्त नहीं किया जा सकता है। आप चाहें तो भले ही सदन की राय ले लें, सदन सर्वोच्च है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की राय थी यह महत्वपूर्ण प्रश्न था इसके बारे में विचार करने के लिये अधिक से अधिक समय दिया जाय इसलिए ऐसा किया गया है। इसके पीछे यह भावना नहीं है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं आये। ऐसी बात नहीं है। सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गयी है।

परिवहन मन्त्रीजी !

सदन पटल पर रखे गये पत्र की अधिसूचना

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (परिवहन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत गृह (ग्रुप 7) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

1. अधिसूचना संख्या प. 8 (3) गृह ग्रुप/7-75-11, दिनांक 25 फरवरी, 1980

2. अधिसूचना संख्या प. 8 [2] ग्रुप-7/80, दिनांक 8 फरवरी, 1980।

3. अधिसूचना संख्या प. 5 [6] गृह ग्रुप-7/80, दिनांक 6 मार्च, 1980

4. अधिसूचना संख्या प. 6 [16] गृह 7/79, दिनांक 6 जुलाई, 1979

(3)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

5. अधिसूचना संख्या प. 5 [19] गृह-7/79, दिनांक 12 सितम्बर, 1979

6. अधिसूचना संख्या प. 5 [22] गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979

7. अधिसूचना संख्या प. 5 [23] गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979

8. अधिसूचना संख्या प. 5 [24] गृह-7/79, दिनांक 28 सितम्बर, 1979

9. अधिसूचना संख्या प. 5 [25] गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979

10. अधिसूचना संख्या प. 5 [26] गृह-7/79, दिनांक 26 सितम्बर, 1979

11. अधिसूचना संख्या प. 5 [27] गृह-7/79, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979

12. अधिसूचना संख्या प 5 [28] गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

13. अधिसूचना संख्या प. 5 [29] गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

14. अधिसूचना संख्या प. 5 [30] गृह-7/79, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979

15. अधिसूचना संख्या प. 5 [31] गृह-7/79, दिनांक 4 अक्टूबर 1979

16. अधिसूचना संख्या प. 5 [33] गृह-7/79, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979

17. अधिसूचना संख्या प. 5 [34] गृह-7/79 दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

18. अधिसूचना संख्या प. 5 [35] गृह-7/79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

19. अधिसूचना संख्या प. 5 [36] गृह-7/79, दिनांक 6 अक्टूबर, 1979

20. अधिसूचना संख्या प. 5 [47] गृह-7/79, दिनांक 18 अक्टूबर, 1979

21. अधिसूचना संख्या प. 5 [48] गृह-7/79, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979

22. अधिसूचना संख्या प. 5 [49] गृह-7/79, दिनांक 16 अक्टूबर, 1979

23. अधिसूचना संख्या प. 5 [50] गृह-7/79, दिनांक 25 अक्टूबर, 1979

24. अधिसूचना संख्या प. 5 [51] गृह-7/79, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979

25. अधिसूचना संख्या प. 5 [52] गृह-7/79, दिनांक 23 अक्टूबर, 1979

26. अधिसूचना संख्या प. 5 [53] गृह-7/79, दिनांक 27 अक्टूबर 1979

27. अधिसूचना संख्या प. 5 [59] गृह-7/79, दिनांक 7 दिसम्बर, 1979

28. अधिसूचना संख्या प. 5 [60] गृह-7/79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979

29. अधिसूचना संख्या प. 5 [43] गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979

30. अधिसूचना संख्या प. 5 [46] गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979

31. अधिसूचना संख्या प. 5 [45] गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979

32. अधिसूचना संख्या प. 5 [41] गृह-7/79, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979

(५)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

33. अधिसूचना संख्या प. 5 [40] गृह- 7/ 79, दिनांक 6 अक्टूबर, 1979

34. अधिसूचना संख्या प. 5 [44] गृह–7/ 79, दिनांक 9 अक्टूबर, 1979

35. अधिसूचना संख्या प. 5 [21] गृह ग्रुप–7/79, दिनांक 20 सितम्बर, 1979

36. अधिसूचना संख्या प. 5 [38] गृह–7/ 79, दिनांक 5 अक्टूबर, 1979

37. अधिसूचना संख्या प. 5 [39] गृह–7/ 79, दिनांक 6 अक्टूबर, 1979

38. अधिसूचना संख्या प. 5 [37] गृह–7/ 79, दिनांक 9 अक्टूबर, 1979

श्री अध्यक्ष : सामुदायिक विकास मंत्री !

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सामुदायिक विकास मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग की निम्नलिखित 9 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल. जे. पी. एस./आर/ 2/ 69/ 3, दिनांक 4 जनवरी, 1980

2. अधिसूचना संख्या एफ.4/एल. जे. पी.टी./16/ 78/ 262, दिनांक 12 अक्टूबर, 1979

3. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल. जे./पी. एस./ए. आर/ 19/78/ 310 दिनांक 27 दिसम्बर, 1979

4. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./ एल. पी./एस./आर./ 2/69/ 4, दिनांक 4 जनवरी, 1980

5. अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./ पी. टी./3/ 5/ 26, दिनांक 25 जनवरी, 1980

6. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल.जे./ पी. टी. पी./ 9 80 72 ए, दिनांक 22 अप्रैल, 1980

7. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल.जे./ पी एच./ 11/ 80/ 78 दिनांक 29 अप्रैल, 1980

8. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल.जे./ पार्ट/ 10/ 80/ 11, दिनांक 29 अप्रैल, 1980

9. अधिसूचना संख्या एफ. 4 एल.जे./ पार्ट/ 13/ 80/ 94, दिनांक 5 जून 1980

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
जनपद के सम्पादक के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया था 5 अगस्त को। श्रीमन्, आपके सेक्रेटेरियट से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया है कि वह स्पष्ट नहीं है। यह पत्र मुझे आपके यहां से 10 अगस्त को प्राप्त हुआ है 5 अगस्त के बाद में। श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि स्पष्ट नहीं है फिर भी मैंने आपके उस पत्र के आधार पर 21 अगस्त को फिर एक पत्र में स्पष्टीकरण करते हुए निवेदन किया है कि जो 'जनपद' के सम्पादक हैं, उन्होंने इस सदन के लिए अपने पत्र में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। कई माननीय सदस्यों, विशेषकर श्री कैलाश मेघवाल जी को सम्बोधित करते

(श्री गोपाल पचेरवाल)

हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनसे सदन का और माननीय सदस्यों का अपमान होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पर अपनी व्यवस्था दें। सदन में उसको रखें। सदन में उस पर चर्चा करने का अवसर दिया जाय। जो जनपद के सम्पादक हैं उनके खिलाफ नियमानुसार विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने देना चाहिये और कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। मुझे आप इजाजत दें ताकि मैं अपनी बात आपके सामने रखूं और यह बताऊं कि मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न क्यों सदन में पेश किया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जैसा कि आपको विदित है, पहले आपने विशेषाधिकार हनन का प्रश्न प्रस्तुत किया था उसकी हमने जांच की और उसकी ग्राह्यता को देखा। हमने यह पाया कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होता है। उसके बाद में आपने कुछ नये तथ्य दिये हैं उनके ऊपर विचार हो रहा है। आसन को अधिकार है कि उनके बारे में बाद में भी यदि यह निर्णय हो कि ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है तो प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जा सकता है। अभी मैं वर्त्तमान में इस स्थिति में नहीं हूं कि तुरन्त उस पर कोई निर्णय दे दूं।

श्री गोपाल पचेरवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है उसमें आपने फर्माया है कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता नहीं है। मैं दो तीन लाइन आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस तरह से प्रश्न को नहीं लाया जा सकता।

श्री गोपाल पचेरवाल: जब कमेटी नहीं बनी है तो ...

श्री अध्यक्ष: कमेटी बन गयी है। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से सुन लूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : जब कमेटी नहीं बनी है तो निश्चित रूप से....

श्री अध्यक्ष: अब बन जायगी। माननीय सदस्य, आज बन जायगी। उसके बाद में मैं आपको सुनवाई का अवसर दे दूंगा और आपको सन्तुष्ट करूंगा। यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता है तो वह प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जायगा।

श्री गोपाल पचेरवाल: लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अभी कमेटी बनी ही नहीं है। आप मेरी बात तो सुन लें....

श्री राजबहादुर (भरतपुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पढ़ा है, जो आर्टेकल है वह स्केंडलस सा है।

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया कि अध्ययन करके आपसे इस सम्बन्ध में चर्चा भी करूंगा। उसके बाद में दुबारा निर्णय दिया जायगा। आपको विश्वास में लेकर के आप को सुन करके बाद में निर्णय लिया जायगा। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल: यह मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष: यहां ऐसे जटिल कानूनी प्रश्न को उठाने का अवसर नहीं है....

श्री गोपाल पचेरवाल : 5 को पेश किया फिर भी 25 तक कार्यवाही नहीं की जाय..

(6)

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही हो गयी, माननीय सदस्य। एक बार रिजेक्ट हो गया। दुबारा सुनवाई चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा। हम बैठ जायेंगे और उस पर चर्चा कर लेंगे। यदि वास्तव में ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला बनता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी। इसमें इतना आवेश में आने की, माननीय सदस्य कोई बात नहीं है। सुनवाई करके दुबारा फैसला करेंगे। आपको शिकायत नहीं होने दूंगा ऐसे जटिल प्रश्न पर इस समय निर्णय नहीं हो सकता। यह मेरा कहना है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तीन कापी संलग्न की है। मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जटिल प्रश्न है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सदस्यों के अधिकारों के और माननीय सदस्यों के लिये गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है और आप कहते हैं कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न नही बनता है....

श्री अध्यक्ष : यह बनता है या नही बनता है इस पर हम बैठ कर विचार कर लेगें। यह कानूनी मसला है इसलिए मैंने निवेदन किया है। आपको विश्वास में लेकर आपको सुन कर उस पर निर्णय दे दूंगा। पहले एक तरफा दे दिया था। अब मैं आपको सुन कर निर्णय दूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न
विशेषाधिकार हनन प्रश्न प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आॅफ आर्डर है। राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 160 में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की रीति दी गई है ...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी से मैं जवाब तलब करूंगा। इसके बाद में निर्णय उस पर दिया जायेगा। मंत्रीजी से बात कर लूं तब निर्णय दिया जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : उसका भाग (2) है जिसमें लिखा है यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों, जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, को अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा, और तद्नुसार यदि कम से कम दस सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बिलकुल अलग प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी : यदि दस से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सदन की अनुमति नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : वह अन्य परिस्थितियों में काम में आता है। वह और परिस्थितियां हैं। पहले स्क्रूटिनी होगी। उसके बाद में आपका यह आग्रह होगा कि इसको प्रस्तुत किया ही जाय तो वह स्थिति आती है। आप जो फर्मा रहे हैं, वह अभी प्रिमेच्योर है। उस स्टेज पर अभी नहीं पहुंचे हैं। पहले हम मन्त्रीजी को अवसर देंगे कि वह इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ? उनका उत्तर प्राप्त हो जायगा उसके बाद में आपके पक्ष की बात और उनके पक्ष की बात पर सोच विचार करके निर्णय दूंगा।

(श्री अध्यक्ष) :

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में दिये गये विषय में परिवर्तन

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : आन ए पाइंट ऑफ ऑर्डर।

अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह निर्णय हुआ था कि इन्टर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा होगी। आज के अजेन्डा में उसका कोई उल्लेख नहीं। मुख्य मंत्री जी केवल तीन विषयों पर वक्तव्य देंगे। मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हुआ था, उसमें परिवर्तन हो गया है या किस प्रकार की व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : इसमें शायद थोड़ी भूल रह गई है। जितने प्रस्ताव आये थे वह मैन्शन कर दिये हैं। निर्णय शायद नहीं हुआ था कि पानी और बिजली के विवादों के बारे में चर्चा होगी....

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मौजूद था। आयु में उनसे कम हूं लेकिन मेमोरी उनसे ज्यादा है। उस वक्त निर्णय तो यही हुआ था गांधी सागर पर और दो क्वेश्चन विरोधी दल के नेता ने उठाये थे....

श्री अध्यक्ष : अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मिनिट्स मंगा लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी को इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट्स के सारे मामलों पर वक्तव्य देना चाहिये, क्या-क्या मैटर्स हैं, किस किस स्थिति में पहुंचे हैं, राजस्थान की सिचुएशन क्या है। इस प्रकार का सदन के सामने विवरण पेश नहीं हुआ। अच्छा तो यह होता अगर माननीय मुख्य मंत्रीजी इस प्रकार का सारा विवरण तैयार करके माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये सर्क्यूलेट करते। उसके बाद माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करते उनसे सरकार के हाथ मजबूत होते। मुख्यमंत्री जी यह भी बतायें कि अन्य कौन-कौन से मामले हैं जो अन्तर्राज्य विवाद की उलझन में पड़े हुए हैं जिनका निर्णय नहीं हो पा रहा है। और राज्य सरकार को हानि उठानी पड़ रही है। मुख्य मंत्रीजी मेरी भावना को समझ गये होंगे। अभी वक्तव्य नहीं दे सकें तो कम से कम पाइंट्स तो बता दें कि इस स्टेज पर पहुंचे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आज के बिजनेस में यह प्रश्न था ही नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कार्य सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 अगस्त, 1980 को अपराह्न 3-00 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 25 अगस्त, 1980 को भी सदन की बैठक रखी जाये व उस दिन अन्तर्राज्यीय जल व विद्युत विवादों व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 80-81 के बजट पर विचार किया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्टर स्टेट

(8)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

मामले और भी कई हो सकते हैं। ऐसे मामलों में जनता रूल में बढ़ोतरी ही हुई होगी। आपके सामने तीन को ही रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : तीन तो निश्चित रूप से कुछ स्थगन प्रस्तावों के जरिये आये, कुछ ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये आये, वह तो हमने सुविधा की दृष्टि से रख दिये। उस दिन निर्णय यही हुआ था कि अन्तर्राज्यीय जितने भी विवाद हैं पानी और बिजली के संबंध में उन सब पर चर्चा होगी। मुझे जहां तक याद है, यही निर्णय है। हमारे पास जो प्रस्ताव थे वह रख दिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, शुरू तो होने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले आप तय तो कीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप जो पाइंट्स उठाना चाहें, वे उठा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मुझे आपत्ति नहीं है। मैं केवल इतना ही निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के सारे विवादों की जानकारी माननीय सदस्यों को दे दी जाय तो डिबेट में भाग लेने में लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष : यह तो सदस्य उठाना चाहते थे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय सदस्यों का कहना था कि अन्तर्राज्यीय मामले डिसकस किये जायें। हमारे पास जो मामले थे, वे आसन की ओर से प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अन्य माननीय सदस्यों की जानकारी में जो हों वे सदन के सामने रख दें। उसके बाद गवर्नमेंट जवाब दे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाईंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने आसन के प्रति कुछ आक्षेप किया था, आप माने या न माने, यह आपकी मर्जी का सवाल नहीं है। यह सदन की गरिमा और परम्परा का प्रश्न है। मुख्य सचेतक आपकी याददाश्त को चुनौती दे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मुख्य सचेतकजी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने आसन के प्रति जो रिफलेक्शन किया है, "मेरी उम्र आपसे कम है और मेरी याददाश्त आपसे ज्यादा है," इस प्रकार का रिफलेक्शन आसन के प्रति करना आसन के अपमान का द्योतक है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो आपके लिये कह रहा था। अध्यक्ष महोदय के लिये कैसे कह सकता हूं? अध्यक्ष महोदय के लिये सोच भी नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : कई दफा, मैं भी भूल जाता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका सवाल नहीं है, आप भूल जाते हैं या नहीं भूल जाते हैं, हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध इससे है कि मुख्य सचेतक को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आसन के प्रति नहीं करना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह सिंधी : यह तो आपकी तारीफ की गई है।

शासकीय वक्तव्य

अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत विवाद

गांधी सागर जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छोटे व बड़े बांध, गुजरात प्रदेश की प्रस्तावित सरदार सरोवर योजना व हिमाचल प्रदेश व हरियाणा प्रदेश द्वारा सतलज नदी के जल के आधार पर बिजली उत्पादन हेतु प्रस्तावित नाथपा झाकड़ी योजना का निर्माण

श्री अध्यक्ष : पहले तीनों स्टेटमेंट आ जायें, उसके बाद चर्चा होगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : श्रीमान्, चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों सिंचाई एवं विद्युत् के लाभ में बराबर के हिस्सेदार हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध तथा कोटा तथा उसके साथ राज. नहर की प्रणाली सम्मिलित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर पर विद्युत् उत्पादन किया जाता है तथा गांधी सागर व राणा प्रताप सागर बांध में इकट्ठे किये गये जल से राजस्थान व मध्य प्रदेश में सिंचाई की जाती है।

कुछ समय पूर्व राजस्थान को यह ज्ञात हुआ कि मध्य प्रदेश गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में कुछ लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं बना चुका है व बना रहा है व कुछ अन्य परियोजनाओं को बनाने का प्रस्ताव है। गांधी सागर बांध की कुल जल ग्रहण क्षमता करीब 5.3 मिलियन एकड़ फुट है तथा यह बांध पिछले कई वर्षों में अपनी पूर्ण क्षमता तक नहीं भर पाया है। इस बांध के आवाह क्षेत्र में किसी भी परियोजना के बनने से चम्बल परियोजना से दोनों राज्यों में न केवल सिंचाई में ही कमी होगी वरन् विद्युत् उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

राजस्थान को ज्यों ही यह सूचना प्राप्त हुई त्यों ही मध्य प्रदेश अधिकारियों को अप्रेल, 1977 में पूर्ण सूचना प्रेषित करने हेतु लिखा गया। उनसे कोई उतर प्राप्त न होने से मध्य प्रदेश, राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत्) नियंत्रण मंडल में इस मामले को 27·8·77 की बैठक में उठाया गया। इसमें बोर्ड ने इसे यह निर्देश दिये कि मध्य प्रदेश इस संबंध में समस्त सूचना राजस्थान अधिकारियों को दे। परन्तु इस निर्देश की पालना मध्य प्रदेश द्वारा अभी तक नहीं की गई है।

इसके पश्चात राजस्थान द्वारा यह मामला निरंतर मध्य प्रदेश अधिकारियों को लिखा जा रहा है तथा बोर्ड की स्थाई समिति संख्या (1) की बैठकों में उठाया जाता रहा है। इस प्रसंग में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के मुख्य मंत्रियों के बीच भी 1979 में पत्र व्यवहार हो चुका है। मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तर्राज्यीय (सिंचाई एवं विद्युत) नियन्त्रण मण्डल की दिनांक 13-5-79 की बैठक में, जिसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों के मुख्य मन्त्री उपस्थित थे, इस विषय में काफी विचार विमर्श किया गया। परन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इस बैठक में यह तय किया गया कि राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री इस विषय में वार्ता करके कोई निर्णय लेंगे परन्तु यह वार्ता अभी तक सम्भव नहीं हो सकी है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय को भी लिखा है कि वह मध्य प्रदेश सरकार को गांधी सागर क्षेत्र में योजनाएं बनाने से तुरन्त रोकने की व्यवस्था करें। केन्द्रीय जल आयोग से भी निवेदन किया गया है कि वह गांधी सागर के जल आवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश की किसी भी योजना की स्वीकृति न दें।

श्री अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के मुख्य मंत्रियों द्वारा सतलज नदी पर....

(व्यवधान)

अलग अलग प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आए हुए हैं हमारे पास।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन् सरदार समन्द परियोजना एवं राजस्थान तथा गुजरात के बीच माही नदी द्वारा सिंचित गुजरात के क्षेत्रों को नर्मदा कमाण्ड में, लाने के विषय में जो विवाद गुजरात राज्य द्वारा हमारे दोनों राज्यों के बीच हुए 1966 के समझौते को कार्यान्वित न करने के कारण उठ खड़ा हुआ है, के विषय के बारे में एक विस्तृत बयान मैंने सदन के समक्ष 8 अगस्त को दिया था। मैंने सदन में यह भी सूचित किया था कि इस विषय पर मैंने केन्द्रीय सिंचाई मंत्री एवं प्रधान मंत्री को भी पत्र लिखे हैं।

अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि केन्द्र के निर्देश पर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में गुजरात सरकार ने संशोधन कर दिया है और उसमें यह दर्शा दिया गया है कि माही सिंचित क्षेत्र (गुजरात राज्य में) को नर्मदा की कमांड में लाने का प्रश्न अभी तय नहीं हो पाया है और इस दिशा में जो भी फैसला उसके अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट को संशोधित कर दिया जायगा। केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री शीघ्र ही इस विवाद को निपटाने के लिये राजस्थान व गुजरात के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश व हरियाणा प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों द्वारा सतलज नदी के जल के आधार पर बिजली उत्पादन हेतु एक प्रस्तावित नाथपा-झाकरी योजना का निर्माण।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमान नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत विद्युत् उत्पादन के लिये सतलज नदी के पानी का उपयोग किया जावेगा और उसकी क्षमता 1020 मेगावाट की रहेगी इस परियोजना को 1974 में ही हिमाचल प्रदेश ने तैयार किया था।

सर्व प्रथम उत्तर क्षेत्रीय विद्युत् मण्डल की बैठक में 1974 में इस मामले पर विचार विनिमय हुआ था जिसमें उत्तर क्षेत्रीय विद्युत् मण्डल के विभिन्न घटकों के बीच इसके लिये तालमेल की बात हुई थी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक के लिये यद्यपि हिमाचल प्रदेश ने इस विषय को विचारणीय विषयों में शामिल करने का प्रस्ताव किया था और इस परियोजना की क्रियान्विति के ढंग तथा सहयोगी राज्यों में इससे होने वाले लाभों के विभाजन या वितरण पर विचार किया जाना था। परन्तु यह मुद्दा इस रूप में 1

(श्री जगन्नाथ पहाडिया)

वीं बैठक के सामने नहीं आया। यद्यपि 14वीं बैठक के निर्णयों के कार्यान्वियन के रूप में इसकी प्रगति अवश्य दर्शायी गई है हिमाचल प्रदेश ने इस सम्बन्ध में हरियाणा से द्विपक्षीय समझौता कर डाला, जिसके अनुसार ये दोनों राज्य मिलकर इस परियोजना का निर्माण करेंगे व उससे उत्पन्न बिजली का उपयोग एक मात्र अपने राज्यों में करेंगे। इस द्विपक्षीय समझौते का राजस्थान, की ओर से जून 1977 में ही, जबकि समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन हुआ, विरोध किया गया था। इसके बाद केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत् मंत्रालय में कुछ बैठकें हुईं। जिनमें अन्य अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के साथ-साथ इस परियोजना पर भी विचार किया गया। आगे चलकर तत्कालीन केन्द्रीय विद्युत् मंत्री की अध्यक्षता में 1979 में एक बैठक हुई और यह तय किया गया कि नाथपा झाकड़ी परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जायगा इस बैठक में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मन्त्री विद्युत मंत्रियों ने भाग लिया। समाचार पत्रों से पता चलता है कि हरियाणा व हिमाचल प्रदेश अपने द्विपक्षीय समझौते को कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्नशील है और इस सम्बन्ध में नवीनतम बात यह है कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें ये एक संयुक्त नियंत्रण मण्डल, एक संयुक्त प्रबन्ध अधिकरण और शिमला में एक संयुक्त शिविर कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिये गये

राजस्थान सरकार लगातार केन्द्रीय सरकार को बराबर स्मरण कराती रही है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किया जावे और हरियाणा व हिमाचल प्रदेश को एक द्विपक्षीय योजना के रूप में इसे क्रियान्वित करने से मना कर दिया जावे। अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी व बिजली पर हम अपने दावे को निरन्तर प्रस्तुत करते आ रहे हैं। भारत सरकार को भी अप्रेल और इस साल जुलाई में भी पत्र भिजवाया है। केन्द्रीय विद्युत् मंत्री को पिछली जयपुर यात्रा के दोरान भी उन्हें नाथपा-झाकडी परियोजना में राजस्थान के दावे के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। गत 20 जून, 1980 को नई दिल्ली में विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विभिन्न अन्तर्राज्यीय नदियों को मिलाने वाली पन बिजली के लिये मैंने राजस्थान के दावे को प्रस्तुत किया। हाल ही में मैंने केन्द्रीय विद्युत मंत्री को फिर लिखा है और उन विपरीत परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है जो इस द्विपक्षीय समझौते के, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा द्वारा क्रियान्वित किये जाने से राजस्थान पर पड़ेंगे। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है कि दोनों राज्यों द्वारा इसके क्रियान्वयन की ओर तजवीज केन्द्र के निर्णय व हमारे विरोध के बावजूद की जा रही है। पत्र में लिखा है कि यदि दोनों राज्य सरकार को उनके द्विपक्षीय समझौते के आधार पर नाथपा-झाकड़ी परियोजना को क्रियान्वित करने से नहीं रोका गया तो हमारे हितों को बड़ी हानि होगी। इस प्रश्न को शीघ्र सुलझाने के लिये मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध भी केन्द्रीय सरकार से किया गया है।

श्री अध्यक्ष: विरोधी दल के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राज्यीय विवादों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की चर्चा........

(12)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री भरोसी लाल विधान सभा सदस्य की सुरक्षा-व्यवस्था

श्री गोपाल पचेरवाल: अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

23 अगस्त को विरोधी पक्ष के सारे माननीय सदस्यों ने हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य भरोसी लाल को दी जाने वाली धमकी के सम्बन्ध आपसे निवेदन किया था उस पर आपके द्वारा व्यवस्था दी गई थी, सरकार को आपने इस प्रकार का आदेश भी दिया था कि माननीय सदस्य की रक्षा के लिये कोई गनमैन की व्यवस्था सुरक्षा की व्यवस्था करें। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। श्रीमन्, गृह मंत्री जी ने बयान देते हुए कहा था कि मैंने माननीय सदस्य को पत्र लिखा है और उसमें कहा गया है कि आप तत्काल मिलें, मैं आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा। सम्भव हुआ तो आपको गनमैन दिया जायगा। इस तरह का माननीय गृह मंत्री जी ने एक पत्र माननीय भरोसी लाल को लिखा।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य का जीवन खतरे में है। आपने सरकार को आदेश दे दिया था लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि माननीय सदस्य की सुरक्षा के लिये अभी तक कोई गनमैनकी व्यवस्था नहीं कर पाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जब हमारे प्रिविलेजेज का सवाल आता है तो आप हमारी रक्षा नहीं करते। हमारे ऊपर खतरे जब आ रहे हैं, गोली से मारने की धमकी दी जा रही है। जब हमारी सुरक्षा नहीं की जा रही है सरकार को पत्र लिख देने के बाद और आप के द्वारा निर्देश देने के बावजूद भी आज तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है। आज विधान सभा स्थगित होने वाली है, हम किससे निवेदन करेंगे। यह सरकार बड़ी निकम्मी सरकार है, सुनना नहीं चाहती है हमारी बात को....

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था करें। माननीय सदस्य के लिये अब तक गनमैन की व्यवस्था नहीं की गई है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। आप हमें संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे, हमारे हितों की रक्षा नहीं करेंगे तो हम कहां जायेंगे। आप सरकार को ताड़ना दीजिये कि उसने आपके आदेशों की अवहेलना करते हुए माननीय सदस्य को अब तक गनमैन की सुविधा नहीं दी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार से वक्तव्य दिलवायें कि क्या व्यवस्था की गई है। उस दिन भी हमने आपसे आग्रह किया था कि हमको पत्र पढ़ने की इजाजत दी जाय लेकिन आपने इजाजत नहीं दी। आपके आदेश हमें स्वीकार हैं लेकिन आज तक उसकी व्यवस्था नहीं की जाय श्रीमन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बातें नहीं...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

एक माननीय सदस्य : इनको बोलने का अवसर दिया जाय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जहां तक गृह मन्त्री जी की बात है, मुझे याद है उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि व्यवस्था कर दी जायगी। व्यवस्था नहीं हुई इसका क्या कारण है ? अभी तक क्यों नहीं की है ? मैं पूछता हूं अभी जब मैं उठूंगा तो मालूम करूंगा ...

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सदन में विराजमान हैं यहां से जायेंगे उससे पहले ही व्यवस्था करवा देंगे। अभी यहां विराजमान हैं...

(व्यवधान)

सदन स्थगित होगा उसके पहले ही माकूल व्यवस्था की जायगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय आपने फर्माया था ...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, बीमार मर जायगा उसके बाद क्या उसको दवा दी जायगी ? उससे पहले ही क्यों नहीं सुरक्षा की व्यवस्था की जावे माननीय सदस्य की....

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : इनको तो अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को गृह मन्त्री जी से मिला था उन्होंने कहा था कि आज ही व्यवस्था हो जायगी। तीन दिन हो गये लेकिन आज तक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आज ही ग्राम जाने वाला हूं निश्चित रूप से मेरे लिए गनमैन की व्यवस्था की जावे।

(व्यवधान)

श्री दूला राम (रायसिंहनगर) : मेरा पाईन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय !

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : श्रीमन अभी आपने जो व्यवस्था दी है कि सदन से उठने से पहले जानकारी करके बताई जाय वह हम निश्चित रूप से देंगे लेकिन मेरे ध्यान में लाया गया है क्योंकि परसों मैं सदन में नहीं था। मेरा नाम भी माननीय सदस्य के द्वारा या किसी और के द्वारा जोड़ दिया गया। मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। न मैं इनको जानता हूं और न ही उन महानुभाव, जिनके बारे में चर्चा की गई है, को जानता हूं। हमने जो कई प्रकार की चर्चा सुनी है उस सम्बन्ध में जाना नहीं चाहता हूं न मेरा वास्ता इनसे है और न उनसे है। हम इतना ही कह सकते है कि माननीय सदस्य की सुरक्षा का सम्बन्ध है वे हमारे नोटिस में लाये हैं तो हम जरूर सुरक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे लेकिन इस प्रकार जो मैलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान यह व्यवस्था हो कब तक जायगी ? इन्होंने आश्वासन तो दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप श्रीमान खुद सोचें कि जहां से कांग्रेस हारी हुई है, वहां से क्या मैं चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। आप खुद इस बात से अन्दाजा लगाइये। विरोधी पक्ष के माननीय नेता

(14)

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

यह समझने की कोशिश करें। सदन के अन्दर क्या ऐसा कोई भी माननीय सदस्य इन्हें नहीं मिलेगा जो मेरे लिए अपनी सीट खाली कर दें।

(व्यवधान)

मैं नहीं कहना चाहता, यह जो घटना घटी थी उससे जिस प्रकार मेरा नाम जोड़ा गया है। वह आज की नहीं है, हमारे जमाने की नहीं है, वह पिछली सरकार के जमाने की है। सदन के अन्दर भी हमने सुना है कि उस व्यक्ति, जिसका नाम लिया गया है, को संरक्षण बराबर दिया जा रहा है। हम किसी को संरक्षण नहीं देना चाहते। अगर कोई अपराधी है तो हम उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री चेतराम (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य, जो हिन्डौन से आये हैं, ने इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है। यहां उनकी जान माल के खतरे के बारे में बताया है। मैं समझता हूं, उसको, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार की ओर से माननीय मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में लिख कर भी दिया कि आपको क्या चाहिये। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। मैं इस बारे में निवेदन करूंगा माननीय सदस्य नोट करें कि मैं हिन्डौन से आता हूं, वहीं रहता हूं और वहीं रह कर वकालत करता हूं। जिस व्यक्ति गोविन्द सिंह के बारे में कहा गया है यह बात निश्चित है कि वास्तव में वह बहुत ही क्रिमनल है जिसको हार्डेन्ड क्रिमनल कानून की दृष्टि से कहा जाता है यहां तक तो ठीक है। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहूंगा, 2-3 बात पूछना चाहूंगा, प्रथम बात तो यह है कि जब उस व्यक्ति ने कई शरारतें की, गुण्डागर्दी की, उस पर केस चल रहे थे तो क्या पत्थर एसोसियेशन, जिसमें माननीय सदस्य भी एक सदस्य थे, से उसको फाइनेन्स करके गुण्डागर्दी नहीं करवा रहे थे ? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि जब माननीय सदस्य ने लोकदल के टिकट से चुनाव लड़ा है तो क्या उस व्यक्ति ने उसके घर वालों ने इनका साथ नहीं दिया है ? मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि पूरा उनका परिवार और मोहल्ला, जिसको जाट की सराय के नाम से से जाना जाता है, वह पूरा परिवार लोकदल में था। उस गोविन्द सिंह के पिताजी स्वयं लोकदल का प्रचार कर रहे थे और वह गोविन्द सिंह लोकदल की गाड़ी में घूम रहा था। अब मैं निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति गोविन्दसिंह हो सकता है के विषय में जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना निवेदन है कि जिस ने प्रचार किया है, हो सकता है कि इनका पर्सनल झगड़ा हो, उसने कुछ धमकी दी हो और आज वह यहां पर राजनैतिक कलर दे रहे हों। इसलिए जो यह राजनैतिक कलर दिया गया है, पहाड़ियाजी के खिलाफ यह सब झूठी बातें है, इनका कोई पर्सनल मुद्दा हो सकता है। इसलिए निवेदन करूंगा कि मुद्दा बिल्कुल गलत है, निराधार है और असत्य है और वे सत्य से परे है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोसिंह !

(व्यवधान)

श्री भरोसीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है न मैंने यह कहा न पहाड़ियाजी पर आरोप लगाया न पहाड़ियाजी के खिलाफ यह कहा कि पहाड़ियाजी ने मेरे से कहा, मेरे से सिर्फ गोविन्दसिंह ने ही कहा था और

(व्यवधान)

न पहाड़ियाजी पर आरोप लगाता हूं !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : माननीय गोपाल पचेरवाल वकालत कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री सूरजपालसिंह : इसमें दवाव था कि पहाड़ियाजी का नाम लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): एक जानकारी मैं भी देना चाहता हूं । इस सेशन में 13 तारीख को इस केन्टीन के अन्दर श्री चेतरामजी के साथ माननीय सदस्य बैठे थे, चेतरामजी ने मुझे भी वहां आवाज दे ली । इसी कैन्टीन की बात है । इन्होंने जब परिचय कराया तो इस रूप में परिचय कराया कि ये लोकदल के माननीय सदस्य हैं । उन्होंने मेरे से रामा श्यामा करके यह कहा कि ये कांग्रेस आई में जब भी दवाने के इच्छुक हों, यह इन्होंने मुझसे 13 तारीख को भी चेतरामजी के साथ बैठ करके कहा । हमने यह कहा कि हमारी पार्टी चाहे जिसको चाहे ले और दे, इस तरह की कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि इस पर हमारी पार्टी विनिमय करती है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य । इस विवाद को यहीं समाप्त कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रश्न है, माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने अभी कहा है, सदन उठने से पहले उनके प्रति जो भी व्यवस्था की जरूरत हो, वह व्यवस्था की जायगी । इस विवाद को, बार-बार सदन में लाने से कोई लाभ नही है । इस चर्चा को, इस विवाद को यहीं समाप्त कर दिया जाय । अब जो मुख्य विषय है ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर-ग्रामीण) दो मुद्दे सदन में उठाये गये थे ।

(व्यवधान)

उनके प्रति क्या कार्यवाही हुई । एक मुद्दा यह था कि अपराधी को पकड़ा जाय

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : ये सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना चाहते हैं ।

(16)

श्री अध्यक्ष : जहां तक उनकी सुरक्षा का प्रश्न है, वह अभी ध्यान में है। माननीय सदस्य, गृह मन्त्री जी ने पत्र भी उनको लिख कर दिया है। उनको आश्वासन लिख कर दिया है। कृपया माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : केवल सुरक्षा का प्रश्न है हमेशा न रहकर उस अपराधी को पकड़ा जाना चाहिये, जो अपराधी इतनी बड़ी धमकी देता है कि मैं इस कारण से ऐसा काम कर रहा हूं। रंग तो वे दे रहे हैं, अपराधी को पकड़ना चाहिए, साथ ही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए इसको दूसरा रंग नहीं दिया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। इस विषय पर चर्चा आगे नहीं होगी।

श्री गोपाल पचेरवाल : हम चर्चा नहीं करना चाहते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सदन के सामने उसके लिए सदन की एक दिन की बैठक बढ़ाई है, समय बढ़ाया है। इस पर मैं कोई विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। यह प्रश्न सुरक्षा का है उसके पीछे क्या कारण है, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्री गोपाल पचेरवाल : इसलिये जरूरी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि माननीय गोपाल पचेरवाल और राजबहादुर ने इस तरह की बात कही है हमें नहीं चाहिए, आप प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिये हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि माननीय सदस्य की सुरक्षा की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जो यह बात कह रहे हैं, यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। इसमें कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।

श्री अहमद बख्श सिन्धी (जोधपुर) : इनको सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। ये सुरक्षा की कोई परवाह नही करते। ये पहाड़िया जी को मैलाइन करना चाहते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है कि मरे या न मरे या जिन्दा रहे। इस तरह का बीमार न मरता हो तो मर जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस चर्चा को यहीं समाप्त कर दिया जाय।

श्री अहमद बख्श सिन्धी : हिमायती तो मार कर छोड़ेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): उन्होंने यह कहा है कि न मरे तो मरना चाहिए।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : सुरक्षा करवानी है या हमारे सी. एम. को परेशान करना है।

(व्यवधान)

मैं अपनी सीट को खाली करने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। राज्य सरकार ने आश्वासन दे दिया अब इसको यहीं समाप्त कर दें।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करना चाहता हूं। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, माननीय सदस्य का, एक थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं साहब कि इसको राजनैतिक कलर क्यों दिया जा रहा है ? अगर सुरक्षा का प्रश्न है तो राज्य सरकार पूरा सुरक्षा का प्रबन्ध जब कर रही है तो....

(व्यवधान)

इसको आप एक सैकेण्ड सुनिये तो सही आप सुनने की हिम्मत तो रखिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : कहां कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मोहन लाल जी सीधी बात करो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा यहां माननीय सदस्य के लिए यह कहा जा रहा है उन्होंने तो नहीं कहा कुछ साथियों ने, मैं भी यहां मौजूद था, उस आदमी को कहा कि तुम पहाड़ियाजी का नाम लो यह वस्तु स्थिति है....

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम ले रहे हैं। उजला अरोड़ा ने नाम लिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री मोहनलाल मोदी : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अध्यक्ष महोदय, एक ही सैकन्ड में मैं अपना निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर सबको अवसर देना पड़ेगा। अब इस पर चर्चा समाप्त की जावे।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है इसके अन्दर कि जो मुल्जिम है उसको तो राज्य सरकार को बड़ी कोशिश करके किसी भी तरह से पकड़ना चाहिये। दूसरा प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहाड़ियाजी का नाम ले रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भी सदस्य चुनाव लड़ना चाहेगा वह अपने पार्टी के सदस्य की सीट खाली करके चुनाव लड़ेगा

(व्यवधान)

(18)

श्री सूरजपाल सिंह : भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नाम लिया....

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क) : क्यों फालतू मनगढ़न्त आरोप लगाते हो। जब देखो झूठे आरोप लगाते हो ...

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी का नाम लिया जा रहा है वह आदमी इस लोक दल के उस होस्टल में रहता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी कान्स्टीटूयूएंसी के पास का मामला है। उनको ये संरक्षण दे रहे हैं। इस आदमी को पूरा संरक्षण इनके दल के द्वारा दिया जा रहा है। एक विधायक को धमकी दी गई है वह पहाड़ियाजी का नाम लेकर धमकी नहीं दे सकता है। हम पहाड़ियाजी के लिए इस पार्टी के 134 एम. एल. ए. हैं, हम भरतपुर जिले के हैं हम एम. एल. ए. पहाड़ियाजी के लिए सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। पहाड़ियाजी के लिए हिम्मत से मरने के लिए तैयार हैं........ यह इन लोगों की साजिश है.... हम इस साजिश को कभी फलीभूत नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह : आपके काले कारनामे पब्लिक के सामने हैं। इस तरह से पब्लिक के सामने बदनाम करने से कुछ नहीं होने वाला है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बैठ जाओ....

श्री जगनसिंह : बैठा तो दिया जनता ने। डूब मरो....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : दो महीने पहले ही मैंने दिल्ली में घोषणा कर दी थी कि पहाड़ियाजी साहब मेरी कांस्टीट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं आपके लिए सीट खाली कर सकता हूं। मैं मेरी सीट ही नहीं बल्कि राजस्थान का हर एम. एल. ए. उनके लिए सीट खाली करने को तैयार है। ये किस बाग की मूली है, हमारे पास ही पचासों सीटें मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मुद्दे पर आ जाय माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी के लिए भी इजाजत नहीं दे सकता। बिना किसी नियम के इस तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती....

श्री नाथूसिंह : मैं एक ही जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा

(श्री अध्यक्ष)

नहीं करें। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में आप सरकार से वक्तव्य दिलायें। एक तरफ तो यह कहते हैं कि डाक्टर गांवों में जाने को तैयार नहीं हैं और ....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : बहुत गम्भीर विषय है, अध्यक्ष महोदय, डाक्टरों की इतने दिनों से हड़ताल चल रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि डाक्टर गांवों में नहीं जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : सरकार से वक्तव्य दिलवाया जाय। आज तक डाक्टरों की समस्या सरकार नहीं सुलझा सकी, बड़े शर्म की बात है। उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है पी. सी. सी. की मीटिंग के समय में....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोकदल का नेता हूं। लोकदल पर अभी माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : लोकदल से हमारी पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं है। लोकदल के लोगों पर भी माननीय सदस्य XXX आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा है कि तुम पहाड़ियाजी का नाम लो। ये XXX बोल रहे हैं।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, बयाना से आने आने वाले माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि यह गोविन्दसिंह लोकदल का है और लोकदल का संरक्षण पाता है, यह बिलकुल गलत है। दूसरी बात यह है कि यह सारा जो मुद्दा खड़ा हुआ है यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। मैंने पहले भी उस दिन कहा था और आज भी कहता हूं कि यह सारा मामला सी. बी. आई. को दिया जाय। गोविन्दसिंह नाम का व्यक्ति है यह बिल्कुल गुंडा है। इसने एक कत्ल कर रखा है और आए दिन लोगों से पैसे खाता है। मैंने 14 जुलाई को ही असेंबली प्रश्न में एक दिया था। 14 जुलाई को गवर्नमेंट होस्टल में उनको धमकाया था। इस गोविन्दसिंह ने यह कहा था कि तुम सीट खाली कर दो। पहाड़ियाजी पर किसी प्रकार का लांछन नहीं था। गोविन्दसिंह एक गुंडा है। हम यह जानते हैं कि पहाड़ियाजी वहां से चुनाव लड़ कर करेंगे भी क्या? पहाड़ियाजी के पास 134 मेम्बर हैं, कहीं से भी खड़े हो सकते हैं।....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : आप लोगों को तकलीफ क्या है? आप स्वयं अपनी हालत तो देखते नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

XXX शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री लच्छूराम : माननीय सदस्य ने यह कहा था कि गोविन्दसिंह, जो कि एक गुण्डा है, यह कहा था कि पहाड़ियाजी के लिए सीट मैं खाली कराऊंगा। यह बात जंचने वाली नहीं है। ऐसे तो कोई भी आदमी कह सकता है। स्पष्ट तौर पर इस प्रकार का एक गुण्डा पहाड़ियाजी को बदनाम कर रहा है....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : एक बात को क्लियर करदें। अभी चेतरामजी ने कहा था कि वह लोकदल का सदस्य है। लोकदल को उसने चुनाव में मदद की थी, और आप कहते हैं कि उसने कहा कि पहाड़ियाजी के लिए सीट खाली कराऊंगा

(व्यवधान)

चेतरामजी ने यह बात कही थी। इसका भारतीय जनता पार्टी से कहां से सम्बन्ध हो गया। आप लोग क्यों उठ खड़े हो गए....

(व्यवधान)

कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, आपको। सरकार ने पूरा आश्वस्त कर दिया आपको माननीय सदस्य की सुरक्षा के लिये। बिना मतलब के बात करते हो।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह जयपुर में हो तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ?

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इस मसले को आधे घंटे तक केवल बहस में उलझा कर माननीय नेतागण क्या चाहते है, हमारी समझ में नहीं आता है। केवल मात्र अखबार में नाम छपाने का उद्देश्य है केवल मात्र पब्लिसिटी का मेटर हो तो इसे बाद में रख लिया जाये अन्यथा बहुत महत्त्वपूर्ण विषय बाकी है। सरकार आश्वासन दे चुकी है। सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। उसके बावजूद इस मसले को मात्र इसलिये उलझाया जाये कि पहाड़िया जी का नाम बदनाम किया जाय। आज सदन का अन्तिम दिन है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, ऐसा है, आज बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं....

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : इतने महत्व पूर्ण समय को आप इस प्रकार बर्बाद करना चाहते हैं, तो यह कतई शोभनीय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आपके ऊपर कोई घंटी नहीं। आप इसको समझ नहीं सकते है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : आपका उद्देश्य क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो अपराधी है, जब कि यह मालूम है, वह जयपुर में घूम रहा है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा करने की सदन की मंशा नहीं है, तो फिर मैं एडजोर्न कर देता हूं, अनिश्चित काल के लिये। माननीय सदस्य जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें सभी दलों के प्रमुख नेतागण बैठते हैं, प्रतिनिधि बैठते हैं। उसके द्वारा निर्णय किया गया है। यदि माननीय सदस्यों की यह इच्छा नहीं है कि इन पर चर्चा हो तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दूं।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल इच्छा है।

एक माननीय सदस्य : हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तो फिर स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य नियमों के विपरीत बाधा उपस्थित करते हैं तो मुझे नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करनी पडेगी। वह नियम काफी सख्त हैं। ऑर्डर-ऑर्डर। मैं आज दिन तक इससे बचता रहा हूं, मैंने कोशिश की है, आज आखिरी दिन इस तरह की कोई दुर्घटना न हो।

श्री राजबहादुर : चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करिये।

श्री राज बहादुर : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने बिना कारण से, बिना आधार के, बिना प्रमाण के मेरा नाम इस मामले में क्यों घसीटा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप फिर वही शुरूआत कर रहे हैं। विषय पर आना हो तो कृपया आइये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है, बहुत महत्व का प्रश्न है। व्यक्तिगत प्रश्न है। बाबू राज बहादुर मेरे नेता हैं। मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे आज से नहीं बचपन से जानते हैं। मुझे लोगों ने बतलाया, अगर ऐसा नहीं है तो ..

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मेरा नाम क्यों घसीटते हैं ?

श्री बनवारी लाल (धोलपुर) : आपके नेता कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अगर राजनैतिक मामला होता, और कोई दूसरा मामला होता, मुझे बताया जाता कि आप वाक आउट कर गये तो मुझे दुःख नहीं होता। लेकिन इस मामले में चूंकि आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, मैं आप पर ही फैसला छोड़ना चाह रहा था और छोड़ूंगा भी। आपको केवल यह देखना है कि क्या मैं इस तरह की बात कह सकता हूं, मुझे केवल इतना ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री राजबहादुर : वह जो धमकी वाले दो लेटर थे, टेबिल पर रखे जाने चाहिये रिकार्ड में आने चाहिये थे, यह मेरी मान्यता अब भी है, उस दिन भी थी। उसके लिए मैंने निवेदन किया।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने इसलिये कहा, सदन के उठने से पहले आपको सारी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सूचना देंगे, माननीय सदस्य की सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे। वह तो मैं कह चुका हूं और कोई बात हो तो कहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाइये।

श्री भैरोंसिंह जी :

शासकीय वक्तव्य

अन्तर्राज्यीय जल एवं विद्युत विवाद गांधी सागर जल ग्रहण क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छोटे और बड़े बांध, गुजरात प्रदेश की प्रस्तावित सरदार सरोवर योजना व हिमाचल प्रदेश व हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा सतलज नदी के जल के आधार पर बिजली उत्पादन हेतु प्रस्तावित नाथपा झाकड़ी योजना का निर्माण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राज्यीय विवादों पर चर्चा होने से पूर्व आपसी विवादों पर अच्छी चर्चा हुई। मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री के बारे में कई लोगों में भ्रम बना हुआ था कि गुस्सा नहीं आता। उसका प्रकटीकरण उन्होंने कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह विवाद अपने आप ...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अभी मेरे कई रूप देखने हैं, आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि आपका रौद्र रूप चलता रहे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह प्रश्न बहुत गम्भीर है। मेरी अपनी मान्यता है, इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विरोधी पक्ष, दोनों का एक ही ध्येय है कि राजस्थान के हितों की सुरक्षा हो। इसमें न कोई विरोध पक्ष है न कोई सत्ता पक्ष। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को यह विश्वास दिला सकता हूं कि राजस्थान के हितों का किस प्रकार से विचार किया जाय या हितों को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाये। इस सम्बन्ध में जो भी उचित कदम उठायेंगे हम सरकार का उन प्रश्नों पर साथ देंगे। अच्छा होता सरकारी पक्ष की ओर से अन्तर्राज्यीय विवाद कितने हैं, किस किस प्रकार के हैं, किस स्थिति में पहुंचे हुए हैं, किस स्तर पर उन पर निर्णय होने वाले हैं, इन सबका एक संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों को वितरित कर दिया गया होता तो वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्य औपचारिक चर्चा नहीं करते बल्कि उस मसले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव सदन में प्रस्तुत करते।

अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राज्यीय विवाद कोई नया विषय नहीं है। इसका एक बहुत लम्बा इतिहास है। इस इतिहास में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं ऐसा समझता हूं कि कई प्रश्न ऐसे हैं, जिनसे राजस्थान का भाग्य जुड़ा हुआ है। यदि उन मसलों का निर्णय हमारे पक्ष में होता है तो राजस्थान के विकास में हमें किसी प्रकार का योगदान मिलता है और यदि उनका निर्णय हमारे राजस्थान के विरोध में होता है तो मैं यह कह सकता हूं कि सिंचाई और विद्युत की दृष्टि से राजस्थान में जितना अपेक्षित विकास है, वह हम पूरा नहीं कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने अभी तीन प्रश्नों के ऊपर अपने वक्तव्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दिये। मैं ऐसा समझता हूं, इन तीन प्रश्नों पर जितनी जानकारी सदन को दी जानी चाहिये थी, उतनी नहीं दी। अभी उन्होंने एक वक्तव्य के माध्यम से नाथपा-झाकड़ी के बारे में यह कहा कि उन्होंने केन्द्र सरकार के सिंचाई मन्त्री को पत्र लिखा है और उनसे बातचीत हुई। उस बातचीत से ऐसी कोशिश हो रही है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच से जो नाथपा-झाकड़ी बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में त्रि-पक्षीय समझौता हुआ है, उस समझौते को भारत सरकार लागू नहीं करेगी, अपनी स्वीकृति नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, हम भी यहीं चाहते हैं। जो मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं वही मैं चाहता हूं, भारत सरकार उस पर किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दे। लेकिन मैं एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हालांकि मुख्य मन्त्री जी को समाचार पत्रों पर विश्वास नहीं है, उन में छपे हुए समाचारों को वह ज्यादा महत्व नहीं देते....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: अध्यक्ष महोदय, माफ करें। क्या ऐसे समाचारों को महत्व दूं, एक समाचार पत्र ने लिखा है, मैं एरोड्रम पर किसी केन्द्रीय मन्त्री को लेने गया। मैंने बजाय मकवाना के सिकन्दर बख्त के माला डाल दी। जबकि मैं एरोड्रम पर गया ही नहीं। 20 साल से सिकन्दर बख्त को जानता हूं और दस साल से जानता हूं मकवाना को। अगर ऐसे समाचार पर विश्वास करना हो तो, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक।

श्री राजबहादुर : ऐसे समाचारों की वाकई परवाह नहीं करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय ...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मुख्य मंत्री जी के बीच में और समाचार पत्रों के बीच में बहुत जोर का विवाद चल रहा है। मैं सोचता हूं, इसके ऊपर भी सदन में चर्चा होनी चाहिये कि इसका निपटारा कैसे, किस ट्रिब्यूनल के अन्दर हो सकता है। हम सोचते हैं समाचार पत्रों के साथ उनके सम्बन्ध मधुर रहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आप खुद भी नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक को तो आर्डर में लाइये आप।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो आर्डर में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाथपा झाकरी के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने एक वक्तव्य दिया और वक्तव्य में शायद उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्रीय सिंचाई मंत्रीजी से बात हुई है इस प्रकार का पत्र व्यवहार चल रहा है उसके आधार पर त्रि-पक्षीय समझौता जो हरियाणा व हिमाचल प्रदेश के बीच समझौता हुआ है, को भारत सरकार ने किसी प्रकार मान्यता नहीं दी है। मैं समझता हूं कि परसों 22 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यदि हम देखें, मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी के ध्यान में यह समाचार जरूर आया होगा, उसमें यह लिखा है -

"The Central Governmemnt has given a goahead signal to Himachal Pradesh and Haryana Goveinment iegarding the execution of the Rs. 400/- croie Nathpa Jhakri Hydle Projects near Simla, it was authoratively learnt here to-day

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कौन सी तारीख का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह 21 की न्यूज है। 22 इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। मैं समझता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस के बारे में आपको किसी से शिकायत नहीं होगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जब आपसे ही शिकायत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं फिर से पढ़कर सुनाना चाहूंगा -

"The Central Govt, has given a go ahead signal to Himachal Pradesh and Haryana Governments regarding the execution of the Rs. 400/- crore Nathpa Jhakri Hydle Projects near Simla, it was authoritatively learnt here today."

'At the same time the Centre has dropped its earlier proposal to at this prestigeous Hydle project executed through the National Hydro Electric Power Corporation.'

ये दो ही मसले इसमें हैं। एक तो भारत सरकार किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं देती, क्योंकि आपको जानकारी होगी, रावी व्यास और सतलज इन तीनों नदियों के पानी, जिसमें एक तो फ्लो वाटर है और दूसरा स्टोरेज का वाटर है इन दोनों की अलग-अलग स्कीम्स बनी हुई हैं। फ्लो वाटर के ऊपर डिपेण्ड करने वाली जो स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं। इन सबके बारे में मोटे रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार से समझौते हुआ था कि यह सेन्ट्रल स्कीम्स होगी और इन स्कीमों का नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के तहत काम कराया जाय। ये दो विवादास्पद विषय हैं। आपने नाथपा-झाकड़ी के बारे में कहा कि आपका केन्द्रीय सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, समाचार पत्रों में छपी हुई खबर आज की नहीं है, 22 तारीख की है। समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ तो मुख्यमंत्रीजी को आज बिल्कुल सतर्क रहना चाहिये था और उसके बारे में कैटेगरिकल सूचना देनी चाहिये थी कि 21 तारीख, 22 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में ऑथोरिटेटिव न्यूज के नाम से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समाचार छपा है वह सही नहीं है भारत सरकार ने गो अहेड का सिगनल नहीं दिया था किसी कारपोरेशन के माध्यम से काम करना चाहिये था। वह भारत सरकार ने इरादा ड्राप कर दिया और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सरकार को अनुमति दे दी। मैं समझता हूं मुख्यमन्त्री जी जब जवाब देंगे तो इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुका हूं और यह आवश्यक नहीं समझता कि उन बातों को दोहराया जाय। मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि एक का क्वेश्चन नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि फलां वाटर के ऊपर चार प्रोजेक्ट्स लिये जाने वाले हैं। एक दुल हस्ती, एक नाथपा झाकड़ी, एक उडी और एक पोल। प्रधान मंत्री जी के साथ 5-2-79 को एक बैठक हुई उसमें राजस्थान सरकार की ओर से दबाव डाला गया कि उस फ्लो वाटर के ऊपर बनने वाली सारी परियोजनाएं इंटर स्टेट्स प्रोजेक्ट्स हैं और उनमें एक मसला तय नहीं हो रहा है कि बिजली में किस राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा। और दूसरी कास्ट में किस स्टेट का कितना शेअरिंग होगा। ये मसले जब तक तय नहीं होंगे तब तक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार उस दिन यह तय हुआ कि दुलहस्ती और नाथपा-झाकड़ी इन दोनों को ही नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन के माध्यम से चालू किया जाय और इन पर काम शुरू हो जाय इसमें जो-जो राज्य सरकार विवाद में हैं उनको कास्ट के शेयर और लाभ के शेयर तय कर दिये जायं इसमें किसी प्रकार विलंब नहीं होना चाहिये। पूरी पर इन्वेस्टीगेशन उस समय तक हो रही थी। मुझे लेटेस्ट जानकारी नहीं है कि उस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं, उसके तैयार होने के बाद भारत सरकार के पावर कमीशन ने मंजूरी दी या नहीं टेक्निकल फिजेबिलिटी उसकी बनी या नहीं बनी. इस बात की मुख्य मंत्री जी जानकारी देंगे। लेकिन पोल प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि इसका सारा कार्य व्यास पैटर्न के आधार पर चलेगा। एक जोइन्ट कंट्रोल बोर्ड होगा। जोइन्ट कण्ट्रोल बोर्ड उसका सारा कन्स्ट्रक्शन करायेगा। इसका काम जोइन्ट कण्ट्रोल बोर्ड के माध्यम से होगा मुझे ऐसा लगता है कि जहां नाथपा-झाकड़ी के बारे में भारत सरकार ने पहले वाली शर्त को वेव-आउट कर दिया तो कहीं ऐसा न हो कि दुलहस्ती उड़ी और पोल, इन तीनों परियोजनाओं के बारे में भी भारत सरकार कोई इस प्रकार का स्टेप ले ले जिससे राजस्थान को परमानेंट लोस हो जाय। अध्यक्ष महोदय, यह लॉस इन चारों तक ही सीमित नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा यदि फ्लो के वाटर के संबंध में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को नाथपा-झाकडी प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दे दी तो आप यह मानकर चलिये कि थीन डैम के बारे में पंजाब ने, हिमाचल ने और जम्मू काश्मीर ने समझौता कर लिया आपस में, कहीं यह स्थिति पैदा न हो जाय कि उससे हरियाणा और राजस्थान अलग हो जायं और तीनों राज्यों को थीन डैम निर्माण का काम या थीन डैम से पैदा होने वाली बिजली का लाभ इन तीन राज्यों तक सीमित रह जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही, आज से मतलब अभी से नहीं है, मुख्य मंत्रीजी इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रश्न को उच्च स्तर पर लें। यह आज सिंचाई मंत्रीजी के काबू की चीज नहीं है। मैं यह मानता हूं कि यह मसला एक दिन से ही पेंडिंग नहीं है। वर्षों से ये मसले पेंडिंग हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि आज मुख्य मंत्रीजी की स्थिति में और जब मैं राजस्थान का मुख्य मंत्री था उस समय की स्थिति में बड़ा अन्तर है। आज पंजाब में, राजस्थान में और हरियाणा में इनकी पार्टी की गवर्नमेंट है और मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी का देश की नेता पर पूर्ण विश्वास है और उनको सशक्त और शक्तिशाली मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति का कोई सबसे ज्यादा उपहार होगा, तो सबसे ज्यादा कमजोर जो राज्य है उस के पक्ष में जायेगा। आज हरियाणा और पंजाब के मुकाबले में न तो सिंचाई की तुलना में खड़ा हो सकता है, न बिजली के उत्पादन के मुकाबले में खड़ा हो सकता है न पर-कैपिटा कंजम्प्शन में और न पर-कैपिटा इन्कम के मुकाबले खड़ा हो सकता है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की तुलना में बहुत पीछे है। मैं चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी से वे प्रधान मंत्रीजी से मिल कर इस सारे मसले का एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो इसकी व्यवस्था करें। जहां तक थीन डेम का मसला है, अध्यक्ष महोदय, यह कोई डैम का मसला नहीं है। यह मोटे प्रिंसिपल का मसला है। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी बनी, उसमें तीन रिवर्स रावी, व्यास और सतलज भारत के हिस्से में आईं और झेलम चिनाव, और सिन्ध पाकिस्तान में चली गईं। 1960 की ट्रीटी से पहले हमने इन नदियों के पानी के उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। इसके साथ-साथ किस राज्य को कितना पानी मिलेगा यह भी तय कर लिया था। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि जिस समय यह वाटर ट्रीटी बनी उससे पहले भी 1955 में पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, उस समय हरियाणा नहीं था, पेप्सू था, इन राज्यों के बीच में जल के वितरण का समझौता हो गया। उस समझौते के आधार पर हमें एक मिलियन एकड़ फीट पानी रावी और व्यास की नदियों से मिलना चाहिए। कुल मिलाकर 15.7 मिलियन एकड़ फीट का स्टोरेज असेस किया गया। 7 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान के हिस्से में आये इस प्रकार की हमने व्यवस्था की थी। आज इन नदियों, चाहे व्यास नदी हो, रावी नदी हो, की हालत यह है कि रावी का पानी माधोपुर लिंक से व्यास में आता है और व्यास का पानी एक दूसरे लिंक से सतलज में आता है। ये तीनों नदियां इन्टीग्रेटेड हैं। रावी का पानी व्यास में, व्यास का पानी सतलज में जाता है। इस प्रकार तीनों नदियों का पानी इन्टीग्रेटेड है। इन तीनों नदियों के बांध को अलग-अलग समरी करने के पश्चात निकालते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। सिंचाई के सम्बन्ध में पानी पर हमारा पूरा अधिकार है। पंजाब सरकार कहती है कि पानी पर अधिकार है, बिजली के ऊपर अधिकार नहीं हो सकता है। जो कुछ हमने भाखड़ा नांगल के बारे में एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से पौंग डेम पर जो बिजली पैदा होती है, उसमें से जो बिजली का हिस्सा मिला है, पौंग डेम के कारण बिजली मिली है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं, जब व्यास के पानी से बिजली का उत्पादन किया जाता है, सतलज के पानी से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली का उत्पादन किया जाता है, जैसे नांगल के पानी से बिजली का उत्पादन होता है, उसमें हमारा हिस्सा मानते हैं तो यह नहीं कह कर चल सकते हैं कि रावी तथा थीन डेम से बिजली उत्पादन के कार्यक्रम में राजस्थान को हिस्सा नहीं दिया जाए ? मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार से इस डैम की मिसाल देकर निर्णय कराना चाहिए। जब थीन डेम के प्रश्न पर निर्णय हो जाता है तो सारे मसलों पर अपने आप निर्णय हो जायेंगे। सारे मसले एक साथ हल होंगे। आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों और सिंचाई मंत्रियों की 3-4 बार मीटिंग्स बुलाई थीं। काफी विचार हुआ लेकिन उन मीटिंग्स में कोई निर्णय नहीं हो सका। हमने अपना दावा वहां पर प्रस्तुत किया, पंजाब ने अपना दावा प्रस्तुत किया, हरियाणा ने दावा प्रस्तुत किया। अन्ततोगत्वा यह फैसला हुआ कि इन सारे मसलों पर अटार्नी जनरल की ओपिनियन ले ली जाए। अटार्नी जनरल की ओपिनियन ली गई जहां तक मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुख्य मंत्री जी मुझको सही कर दें, अटार्नी जनरल ने अपनी ओपिनियन दी है, राजस्थान को बिजली मिली, इसको वे राजस्थान का लीगल राइट नहीं मानते हैं परन्तु जिस प्रकार के एग्रीमेन्ट हुए हैं, उसके आधार पर राजस्थान को बिजली उत्पादन में लाभ मिला। इस चीज से कोई मना नहीं कर सकता। अटार्नी जनरल ने अपनी ओपिनियन दे दी तो भारत सरकार थीन डेम पर निर्णय जल्दी से जल्दी करें। इस पर निर्णय जल्दी से जल्दी हो जाता है तो अपने आप दूसरे डेम से बिजली में हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे इन तीन प्रोजेक्ट्स के बारे में निवेदन किया है। इनके बारे में मैंने पहले भी आपत्ति की थी, पहले भी सदन में निवेदन किया था कि आनन्दपुर साहिब और मुकेरिया में बांध बांधकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इन दोनों स्थानों पर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बिजली के उत्पादन में हमें फिर घाटा होने वाला है। वह घाटा इस प्रकार होगा कि मुकेरिया और आनंदपुर साहिब में जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, वह भाखड़ा के नीचे नांगल के पास पैरेलल चेनल बना कर किया जा रहा है। आनंदपुर साहिब में जो पावर जनरेट करेंगे, वह पंजाब लेगा जबकि रावी का पानी हमारा है, व्यास का पानी हमारा है। इस पानी में हमारा हिस्सा 52 पर्सेन्ट है और पंजाब सरकार का हिस्सा 48 पर्सेंट है। जिसका पानी में 52 पर्सेन्ट हिस्सा हो, उसको बिजली एक किलोवाट भी नहीं मिले और जिसका पानी का हिस्सा 48 पर्सेन्ट है वह सारी की सारी बिजली आनंदपुर साहिब में हाइडल प्रोजेक्ट का कन्स्ट्रक्शन कर ले यह कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से निर्णय नहीं कराया तो 1981, 1982 के अन्त तक यह प्रोजेक्ट कम्पलीट हो जायेगा और आनंदपुर साहिब से हमको बिजली नहीं मिल पाएगी। मुकेरिया के पास बिजली उत्पादन का काम चल रहा है। मुकेरिया प्रोजेक्ट में पंजाब सरकार ने हरियाणा को निकालकर, राजस्थान को निकालकर, हिमाचल प्रदेश से समझौता किया है। मेरी जानकारी के अनुसार मुकेरिया में जो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उससे राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि हम किसी प्रकार इस मसले को अपने पक्ष में तय नहीं करा लेते हैं या बिजली उत्पादन में हमारा हिस्सा है इस मसले को अपने पक्ष में तय नहीं करवा सके तो राजस्थान को नुकसान होगा। इससे बचने के लिए राजस्थान सरकार को आनंदपुर और मुकेरिया थीन डेम से पैदा होने वाली बिजली में हमारा हिस्सा तय करा लेना चाहिए या इन सारे प्रोजेक्ट्स को एक इन्टीग्रेटेड रूप में तय करवाना चाहिए। मोटा सिद्धान्त यह है कि इन्डस बेसिन ट्रीटी के अनुसार यह इन्डस बेसिन में आते हैं। जितनी भी इस बेसिन की नदियां हैं, उनके बारे में जितने एग्रीमेन्ट हुए हैं, प्रोजेक्ट की कास्ट में हमारा शेयर है और पानी के अन्दर हमको शेयर मिला है। इसी प्रकार बिजली के अन्दर भी शेयर मिला है। इस आधार पर राजस्थान सरकार भी इसके लाभ में भागीदार होगी। मुख्य मंत्री जी को इस प्रश्न पर चिन्ता कर के जल्दी से जल्दी भारत सरकार से इसको तय करवाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज मुकेरिया में कन्स्ट्रक्शन इस एडवान्स स्टेज पर पहुंच गया है कि वहां पर शहर नहर के नाम से एक बेराज बनाया गया है। मुझे ऐसा लगता है पंजाब ने भारत सरकार से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी है। अपने स्टेट में टैक्निकल फीजेबिलिटी की रिपोर्ट लेकर जिस समय उनको आवश्यकता होती है वे कन्स्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। इन दोनों प्रश्नों के ऊपर मैं भारत सरकार से कह कर, जब प्लानिंग कमीशन से इसकी अप्रूवल होने वाली थी, जैसे ही मुझको सूचना मिली मैंने प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष से बातचीत की, उनसे यह निवेदन किया कि यह इन्टरस्टेट डिस्प्यूट में आने वाली योजना है। इसके लिए प्लानिंग में कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उस समय प्लानिंग कमीशन ने इसकी अप्रूवल नहीं दी। फाइनेंशियल अलोकेशन नहीं किया। आज इसकी क्या स्थिति है यह मुख्य मंत्री स्वयं बतावें। पंजाब ने अपने खर्चे से आज आनन्दपुर साहिब और मुकेरिया में बांध बना कर बिजली का उत्पादन कर रहा है। जब यह कम्पलीट हो जायेंगे उस समय भारत सरकार यह कहेगी कि हम क्या कर सकते हैं, पंजाब ने अपने खर्चे से इन प्रोजेक्ट्स को बनाया है। पंजाब ने आप से खर्चा नहीं लिया है इसलिए आपको बिजली कैसे देंगे ? उनका यह क्लेम हो जायगा। इसके आधार पर पंजाब कोर्ट में जा सकता है और कोई कदम उठा सकता है। इसलिए, मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन प्रश्नों के ऊपर गंभीरता से विचार करें। दोनों जगह बिजली का उत्पादन होगा। 300 मेगावाट आनंदपुर साहिब से और 40/45 मेगावाट बिजली का उत्पादन मुकेरिया से होने वाला है। मैं समझता हूं कि हमारी भावनाओं को देख कर निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी गंभीरता से चिन्तन करेंगे।

इसके साथ ही भारत सरकार और प्रधान मंत्री पर जितना हो सके दबाव डाल कर पिछड़े हुए राजस्थान के लिए इन प्रोजेक्ट्स से बिजली की व्यवस्था कर सकें, यही हमारी चिन्ता है। यही हमारी भावना है कि हमारा हिस्सा किसी प्रकार दूसरे राज्यों में न चला जाए। इसलिए मैंने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपसे निवेदन किया। और इसलिए ही कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान में तीन नदियां गई उनमें भी हमारा नान कन्ज्यूमेट यूज है। तीन नदियों के पानी का उपयोग करना चाहिए। मुझे कई वर्षों से जानकारी है इस बात की दो प्रोजेक्ट आते थे, एक वेलासपुर और दूसरा सलालपुर। इसमें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को एक्सक्लूड कर दिया और हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को इससे बिजली मिल रही है। हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। हम भी हिस्सेदार हैं। सलाल योजना में हरियाणा और राजस्थान को आउट कर दिया। उसमें पंजाब, हिमाचल, प्रदेश और दिल्ली ने हिस्सा कर लिया। इस प्रकार वेलासपुर, और सलाल की प्रक्रिया चालू है। यदि इसको तुरन्त नहीं रोक दिया तो आप मान कर चलिए कि राजस्थान को हाइडल पावर नहीं मिल सकेगी। थरमल पावर स्टेशन आप कोटा में लगा लें, दूसरा थरमल पावर स्टेशन चाहे आप पलाना में लगा लें, इससे राजस्थान की जो बिजली की कमी है उसकी पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे। राजस्थान इस दृष्टि से पीछे रह जाएगा। इसका औद्योगीकरण नहीं होगा। और कई बातें होगी।

अब मैं इन्हीं नदियों के पानी के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुःख है मुझे कहना नहीं चाहिये कि 1973 में तत्कालीन मुख्य मन्त्री और तत्कालीन सिंचाई मन्त्री ने हरियाणा सरकार से एक समझौता कर लिया। उस समझौते में, एग्रीमेंट में यह लिख दिया कि जैसे कडाना के सम्बन्ध में हमने समझौता किया उसी प्रकार का समझौता हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार में हुआ, मैं समझता हूं कि उस पर बरकत साहब के हस्ताक्षर हैं, चौधरी रामचन्द्रजी के हस्ताक्षर है और बन्शीलालजी के हस्ताक्षर हैं। हरियाणा के सिंचाई मन्त्री कौन थे उस समय मुझे पता नहीं है। इन चारों ने हस्ताक्षर करके एक समझौता किया। समझौता दो बातों के ऊपर किया कि हरिकेन डेम के ऊपर जितना पानी राजस्थान की रिक्वायरमेन्ट जितनी आज हैं और आगे हो सकती हैं, उसके बाद जितना पानी सरप्लस रहता है वह सरप्लस पानी हरियाणा सरकार उपयोग कर ले तो राजस्थान को कोई आपत्ति नहीं है, एक तो यह एग्रीमेन्ट किया और दूसरा एग्रीमेन्ट यह कर लिया कि घग्घर के ऊपर कोटू डेम का जो निर्माण किया जायेगा उससे राजस्थान को जितने पानी की आवश्यकता होगी उस आवश्यकता की पूर्ति हरियाणा उसी हालत में करेगा जब घग्घर का पानी हरियाणा के काम आ जायेगा। आगे आने वाले काम का हिसाब भी लगा लें। हरियाणा को कितना डिस्ट्रीब्यूट्री में, कितना कहां-कहां स्टोरेज़ करने की आवश्यकता है। इन सारी बातों की पूर्ति होने के बाद जो पानी बचता है, वह राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने इस योजना को भारत सरकार को भेजा। मैंने उसको अच्छी तरह देखा है। भारत सरकार के टेक्निकल डिपार्टमेन्ट ने यह कहा है कि आपको घग्घर के बारे में यह जानकारी नहीं कि बाढ़ का पानी कितना होता है, हर वर्ष कितना पानी आयेगा, हरियाणा की रिक्वायरमेन्ट आज कितनी है और भविष्य में कितनी होने वाली है। हरियाणा डिस्ट्रीब्यूट्री में कितना पानी ले जायेगा, हरियाणा और कितना पानी स्टोरेज करना चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। आपको इन सारी चीजों की जानकारी नहीं है। आज नोहर कोटरा नहर फीडर की आम चर्चा चलाई जाती है और वहां के लोग बराबर मांग करते हैं कि इस नहर फीडर को जल्दी शुरू किया जाये। यह नहर फीडर तब तक शुरू नहीं हो सकती ह जब तक कि हम घग्घर का पानी किसी प्रकार न ले सकें। घग्घर का पानी लेने के बारे में हमने समझौता कर लिया। समझौते के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार का टेक्निकल विभाग इसको अप्रूवल दे सकता है मैं समझता हूं कि जब तक यह कोई पुख्ता न हो जाय कि राजस्थान को कितना पानी मिलने वाला है राज्य सरकार उस समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। मुख्य मन्त्री जी, मैं इस खतरे की ओर संकेत करना चाहूंगा कि 1973 का समझौता करके तत्कालीन मुख्य मन्त्री, जो अब नहीं है, स्वर्गीय बरकतुल्ला साहब और सिंचाई मन्त्री ने राजस्थान को डुबोया है। आप किस तरह से उसको निकाल सकते हैं, इस बात की चेष्टा करें। आज हरियाणा दबाव डाल रहा है कि सन् 1973 के समझौते के अनुसार रावी, व्यास का जो सरप्लस पानी हरिके का है वह सरप्लस वाटर हरियाणा को दिया जाये। आज हमारी स्थिति यह है कि एक मिलियन एकड़ फीट पानी जो मिला हुआ है, अध्यक्ष महोदय, यदि हम सारा हिसाब भी लगा में उसके आंकड़े राज्य के हित में नहीं बताना चाहूंगा, इस समय हम सारे पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी ओर हरियाणा और पंजाब गिद्ध की दृष्टि से देख रहे हैं, राजस्थान केनाल को जो पानी अलाट हुआ है उतने पानी का उपयोग राजस्थान नहीं कर सकता है, इसलिये यह सरप्लस पानी हरियाणा को दिया जाय। यह सरप्लस पानी पंजाब को दिया जाये। दोनों हम पर दबाव डाल रहे हैं, उन्होंने 1973 के समझौते को अपनी बातचीत का आधार बना लिया है। मैं मुख्य मन्त्री से कहना चाहूंगा कि अगर हरियाणा और पंजाब किसी प्रकार का दबाव डालते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपको एक चट्टान की तरह भारत सरकार के सामने खड़ा होना चाहिए। 1973 के समझौते को आप नहीं करवा सकें तो सबसे बड़ी बात होगी। यदि रद्द नहीं करवा सके तो हरियाणा के भी अपने डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं। घग्घर डाइवर्जन कैनाल के बारे में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच एक समझौता हुआ था कि इस डाइवर्जन केनाल के ऊपर जितना खर्चा होगा, हम शेयर करेंगे। उन्होंने आज तक शेयर नहीं किया। सिधमुख केनाल के मामले में इसी प्रकार का एक पैक्ट हुआ है। पंजाब हमारे हैड वर्क्स के ऊपर कब्जा किये बैठा है। हरियाणा हमारे साथ है। 1966 के पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार ये सारे हैडवर्क्स जोइंट कंट्रोल बोर्ड को ट्रान्सफर होने चाहिये, लेकिन पंजाब उसके लिए तैयार नहीं है और न भारत सरकार इसके लिए तैयार हो रही है। मुझे याद है चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस है, नोर्थ जोन चीफ-मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस में यह दोनों मुद्दे मैंने उठाये थे। उठाने के बाद अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि प्रधान मन्त्री ने इसको सीरियसली टेक अप किया और पंजाब सरकार को दो बार पत्र लिखा। दोनों बार के पत्र समाचार पत्रों में आया हुये हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वह कोई कान्फिडेंशल लैटर नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि वह चैन बनी रहे और हमने यदि हैड वर्क्स के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो राजस्थान को अपने हिस्से का जो पानी मिलने वाला है वह पानी हमेशा मिलता रहेगा।

आपकी जानकारी के लिये कह दूं आज गंगनहर की स्थिति क्या है। महाराजा गंगासिंह ने किसी जमाने में बहुत वर्षों पहले गंग कैनाल बनायी थी वह बिखर गयी है। आगे कैनाल बनने के बाद भाखरा योजना महाराजा गंगासिंह ने बनायी। उसी समय राजस्थान कैनाल के बारे में कंवरसिंह से डिस्कस करके इस राजस्थान कैनाल की रूपरेखा तैयार की। आज गंगासिंह जी की रिपोर्ट को काम में लिया लेकिन गंग कैनाल, गंगासिंह द्वारा बनायी कैनाल समस्याग्रस्त हो रही है। जो बीकानेर कैनाल के नाम से जानी जाती है, अध्यक्ष महोदय, वहां पानी पूरा नहीं मिलता है। मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि हम लाइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने कहा कि लाइनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब और राजस्थान दोनों मिल करके बीकानेर कैनाल का निर्माण करें। मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि यदि पंजाब के साथ मिल कर आपने गंग कैनाल का निर्माण कर लिया, बीकानेर कैनाल का निर्माण कर लिया और उसके साथ यदि यह हैड वर्क्स जोइन्ट कन्ट्रोल बोर्ड को ट्रान्सफर नहीं हुए तो राजस्थान का गंगानगर हो या सूरतगढ़ हो राजस्थान में इर्रीगेटेड एरिया को हमारे हक का पानी नहीं मिलेगा। हमें उसी आधार पर चिन्तन करना चाहिये और उसी आधार पर भारत सरकार से पुरजोर शब्दों में इस प्रकार की मांग करनी चाहिये।

मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कुछ विवाद इस प्रकार का चल गया, सरदारपुर प्रोजेक्ट के बारे में मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही, मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी से नाराज न हों, मैं कहना चाहूंगा कि इनको इस जानकारी पर विश्वास नहीं है। मेरी अपनी जानकारी के आधार पर, जो अहमदाबाद से अखबार प्रकाशित हुये हैं खास तौर से फर्स्ट वीक आफ अगस्त, उन सूचनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार ने आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक को भेज दी है। मेरे पास यह भी जानकारी है, मुख्य मंत्री जी सही करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, केदार पाण्डे, जो सिंचाई मंत्री हैं, जो वर्ल्ड बैंक को चिट्ठी लिखी उसमें इस बात का संकेत किया है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो विरोध किया है उस विरोध के लिये हम चर्चा कर लेंगे। आपको किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी ने आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट के बारे में कह दिया। सिंचाई मंत्री ने कहा, प्रधान मंत्री ने कह दिया कि दोनों मुख्य मंत्री मिल कर आपस में तय कर लें। भारत सरकार की प्रारम्भ से ही यह नीति रही है चाहे पहाड़ियाजी गये हों, चाहे सुखाड़ियाजी गये हो, चाहे बरकत जी गये हों और चाहे भैरोंसिंह गया हो दिल्ली की सरकार दो राज्यों के झगड़े में बिल्ली की तरह बांट कर फैसला करना चाहती है, न्याय किसके पक्ष में है उसके अनुसार फैसला नहीं करती है। दोनों मुख्य मंत्री बैठ जायें, हम दोनों मुख्य मंत्री कई दफा बैठे हैं लेकिन फैसला नहीं हो सका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और फैसला इसलिये नहीं हो सका कि न तो राजस्थान के मुख्य मंत्री की हिम्मत होती है कि वह अपने इन्ट्रेस्ट को छोड़ दे और न दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री की हिम्मत होती है कि वह किसी प्रकार अपने हिस्से को छोड़ दे। भारत सरकार जब यह देखती है तो जिस राज्य का पोलिटिकल प्रेशर ज्यादा होता है वह उसी तरफ चली जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर सरदारपुरा के प्रश्न के ऊपर कहूंगा तो मुख्य मंत्री जो फिर गलत कहेंगे। किसी समाचार पत्र में छपा है हमारे मुख्य मंत्री दिल्ली गये, लोक सभा के सदस्यों को ब्रीफ किया। लेकिन मैं लगातार देखता रहा हूं कि सदन के अन्दर इसके ऊपर दो मैम्बर ही बोल पाये और किसी ने भी इस प्रश्न को नहीं उठाया। मैं नहीं कहता हूं कि आपने सही रूप से ब्रीफ नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली में स्ट्रांग लाबी की आवश्यकता है, स्ट्रांग लाबी राजस्थान की बनानी होगी। यह राजस्थान सरकार का काम है, एम. पी. और एम. एल. ए. का काम नहीं है। समय समय पर उनको ब्रीफ करें, जो बहुत से आपके अच्छे एम. पी. होते हैं उन लोगों को मैटीरियल दे पायें। हम यह न समझें कि बहुत बड़ा कन्फिडेंशल मैटीरियल है। हमने यह बात राज्य सभा और लोक सभा के सदस्यों को बताई तो जिस गोपनीयता की शपथ हमने खायी है, वह भंग हो जायेगी। मैं, मुख्य मंत्री जी, आपकी इस गोपनीयता की परिभाषा में विश्वास नहीं करता हूं। आखिर गोपनीयता कौनसी है? इन्टर स्टेट एग्रीमेंट किया है, जो आपके राज्य के पास है दूसरे राज्य के पास होगी। हमारी कोरसपोंडेंस दिल्ली के सचिवालय में पड़ी है। पंजाब की कोरसपोंडेंस को हम देख सकते हैं। हमारे लिखे हुये लैटर को पंजाब देख सकता है। इसमें किसी प्रकार की गोपनीयता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम राजस्थान की स्ट्रांग लाबी इस प्रकार की दिल्ली में क्रिएट कर सके और उसके प्रभाव से हम सारी व्यवस्था कर सकें। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चर्चा हुयी, मैं नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्रीजी ने किसी प्रकार से उससे इन्कार किया। हो सकता है खेतसिंहजी से या शिक्षा मंत्रीजी से सलाह ली हो। मैं नहीं कहना चाहता कि किससे सलाह ली। लेकिन, मुख्यमंत्रीजी, आपने इसी सदन में कहा था कि सरदारपुरा के प्रश्न के ऊपर इस सदन में एक प्रस्ताव लाया जायगा और सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित करवा कर आप मुख्यमंत्री के रूप में फिर प्रधान मंत्री से मिलेंगे और सदन की भावनाओं से अवगत करायेंगे। मुझे अफसोस हुआ कि आप मुकर गये। आप स्वयं मुकरने के लिये नहीं आये। आपने मुख्य सचेतक जी को आदेश दिया कि वह विधान सभा में जाकर कहें कि मैंने इस प्रकार का कोई वायदा नहीं किया था, प्रभाकर जी ने प्रोसीडिंग्स पढ़ कर सुना दी। दोनों ने अपना धर्म निभा दिया। लेकिन क्या आपका स्वयं का यही धर्म है कि सदन में जो कह कर गये उससे मुकर जायं। सर्वसम्मति से पास करेंगे, क्या यह शब्द नहीं कहे? मुख्य मंत्री जी ने कुछ भी कहा हो उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन अध्यक्ष जी ने यह कहा था कि सदन में इस प्रकार की भावना थी जो कुछ सरकारी पक्ष से कहा गया उससे यह भावना व्यक्त हुई कि एक प्रस्ताव पारित कराया जायगा। आपने प्रेस वालों को भी कहा।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह कह कर इसको पोस्टपोन किया कि मैं आज प्रस्ताव इसलिए नहीं लाना चाहता कि जो भी डिबेट हुई है उसकी इतनी पब्लिसिटी होगी कि अब फिर प्रस्ताव लायेंगे तो दूसरे दिन पब्लिसिटी होगी। रोज यह सरदार सरोवर का मसला अखबारों में आता रहेगा। मैं आज आपको कहता हूं सरदार सरोवर का मसला जब राजस्थान विधान सभा में आया तो उसकी इतनी पब्लिसिटी हुई चाहे राजस्थान सरकार के खिलाफ लिखा हो, चाहे राजस्थान सरकार के पक्ष में लिखा हो, चाहे पहाड़िया जी की आलोचना की हो, चाहे पहाड़िया जी की प्रशंसा की हो, इन समाचार पत्रों के माध्यम से गुजरात सरकार और भारत सरकार दोनों के कान खुले हैं। उन्होंने यह समझा है कि राजस्थान की जनता और राजस्थान विधान सभा, यदि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को उसी रूप में स्वीकार कर लिया तो उसको मान्यता नहीं देगी और उस पर संघर्ष करेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप समाचार पत्रों को जितना कान्फिडेंस में लेकर सही स्थिति जनता की जानकारी में लायें, उसका आपको लाभ होगा। किसी प्रकार से आपको घाटा नहीं होगा आप इस आधार पर भी विचार करें पर मैं माननीय बाबू राजबहादुर जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, आज वह कांग्रेस में नहीं हैं, यह बात तो सही है लेकिन उनके साथी उधर भी बैठे हैं।

श्री राजबहादुर: कांग्रेस में तो हूं। इन्दिरा कांग्रेस में नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इन्दिरा कांग्रेस में नहीं हैं।

पहाड़िया जी, जैसे पहाड़िया जी अभी आपको नेता मानकर चलते हैं, वैसे ही आपके शिष्य और भी दिल्ली में बैठे होंगे। उन शिष्यों से भी आप बातचीत करें। राजस्थान के पक्ष में कोई वातावरण बना सकें तो, मैं समझता हूं, बहुत अच्छी बात है। इस आधार के ऊपर राजस्थान को कोई लाभ हो जाये, इसके ऊपर हमें चिन्ता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं गंगा और यमुना का जो मसला है वह माननीय श्री राजबहादुर जी के लिए छोड़ता हूं। वह इसलिए छोड़ता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने आते ही बड़े जोश में कहा, इनको कभी-कभी जोश आता है लेकिन जिस दिन जोश आता है। उस दिन जोश में कुछ कह जाते हैं, इन्होंने जोश में एक बात यह कही कि जनता पार्टी की सरकार गंगा और यमुना का पानी नहीं ला सकी पहाड़िया की सरकार गंगा और यमुना का पानी लायेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि आपने घोषणा बड़ी सुन्दर की। मैं आपकी घोषणा का स्वागत करता हूं, यमुना का पानी आप राजस्थान में ले आयें। जिस क्षेत्र से आप निर्वाचित हुए हैं, उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए वह पानी काम में आयेगा। आप और बाबूजी दोनों मिलें। आवश्यकता हो तो सारे सदन को भी शामिल कर लें। गंगा और यमुना का पानी राजस्थान को किस प्रकार मिले, इसकी चिन्ता करें। जहां भरतपुर को पानी मिलेगा वहां थोड़ा बहुत, मैं समझता हूं, झुंझुनूं जिले को भी पानी पहुंच जायगा। और कुछ तो नहीं तो मौत के बाद लोग स्नान करने जाते हैं, हरिद्वार जिनको जाना पड़ता है, वह गंगा जी की नहर आयेगी तो झुंझुनूं जिले में स्नान करके अपना काम पूरा करेंगे। भरतपुर जिला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

में पानी ले जाना चाहेंगे तो इस आधार पर भी आप यदि गंगा और यमुना का पानी ला सकें, इसकी भी आपको चिन्ता करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बड़ा गम्भीर हैं। उसकी भी आपको चिन्ता करनी चाहिए, वह मैं यह कहना चाहूंगा कि गान्धी सागर डैम की क्षमता 5.3 मिलियन एकड़ फीट है, इस गान्धी सागर को बाद में राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और केनाल भी चालू हुई है। 1960 से लेकर 1968 तक, जहां तक मेरी जानकारी का सवाल हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके कैचमैण्ट एरिया में इतने ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर दिये हैं। उन आब्सट्रक्शन्स के कारण वन मिलियन एकड़ फीट पानी रुक गया। गान्धी सागर में यदि वन मिलियन एकड़ फीट पानी की कमी होती है, तो आप अन्दाजा लगायें कि बिजली के उत्पादन में उसका कितना असर होगा? केनाल के लिए जितने पानी की आवश्यकता होगी उस पानी की स्थिति क्या होगी? मुख्य मन्त्री जी ने सही कहा, इस सम्बन्ध में, हमने इस प्रश्न को उठाया। और प्रश्न उठाकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ले गये। उन्होंने कहा कि आप और सकलेचा साहब दोनों बैठ कर फैसला करलें यह बात भी सही है कि दोनों एक पार्टी के थे। जनता पार्टी के तो थे ही लेकिन भूतपूर्व जनसंघ के भी सदस्य रहे हैं, इस नाते भी एक थे। लेकिन पहली मीटिंग में मैंने अनुभव किया कि एक स्टेट से निकलवाना आसान नहीं है। इसमें किसी न किसी मध्यस्थ की आवश्यकता है। हमारे ललितकिशोर चतुर्वेदी उस समय सिंचाई मन्त्री थे। सकलेचा जी और ये दोनों मित्र थे। उस बैठक में इन दोनों की ऐसी जोर की झड़प हुई कि आज तक इनकी बोलचाल भी बन्द है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों मिल कर कुछ तय कर पायेंगे इस प्रकार की स्थिति नहीं है। किसी न किसी निष्पक्ष एजेन्सी के थ्रू हमें ये मसले तय करवाने पड़ेंगे। यह तो एक ऐसा मसला है कि इसमें दो मुख्य मन्त्रियों के मिलने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हमारा जो गांधी सागर के बारे में एग्रीमेन्ट हुआ है, उस एग्रीमेन्ट को बीच मध्य प्रदेश ने किया। उन्होंने आब्स्ट्रक्शन्स जगह-जगह पैदा किये। आज मुश्किल यह हो गई, हम सब जानते हैं राजनीति कैसी है। हम सब जानते हैं कि वोटर्स के सामने हम झुकते हैं। जिस-जिस क्षेत्र में बांध बनाये गये हैं, उनको तुड़वाना आसान नहीं है। आज कोई यह कहे कि बांध तोड़ दो तो जनता कितना विरोध करेगी, वहां के एम. एल. ए. कितना विरोध करेंगे इसका अन्दाजा लगायें। मेरी एक अनधिकृत रिपोर्ट के आधार पर सूचना यह भी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार के डैम बनाने का क्रम फिर चालू कर दिया। फिर इस चुनाव के बाद छोटे-छोटे डैम्स का निर्माण किया है। मैं देख नहीं पाया, लेकिन मुझे यह सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश हुआ है, उस बजट के अन्दर उन्होंने थोड़ा सा एडहाक बेसेस पर कुछ प्रावधान रखा है। मुख्य मन्त्री जी इसके बारे में भी सावधान रहें। इसके कारण, अध्यक्ष महोदय, आज तक समझौता नहीं हो सका। मध्य प्रदेश की सरकार हमें कहती है कि हमने जो डैम्स बना लिये हैं, उनको पहले अप्रूव करो। जब तक हम अप्रूव नहीं करते, तब तक हमारे क्षेत्र

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

के झांसी, मनोहरथाना, गागरी, बिलास प्रोजेक्ट जो थे, झालावाड़ जिले और कोटा जिले के काफी बड़े क्षेत्र की नदियों से सिंचाई हो सकती है वह नहीं हो पाती है। इन 4 प्रोजेक्ट को क्लियर करना राजस्थान के लिए बहुत जरूरी है। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं कि गांधी सागर में तो हमारा अपरहैण्ड है। हमें किसी प्रकार से चिन्ता नहीं करनी चाहिए। न बिजली के मामले में चिन्ता करनी चाहिए न पानी के मामले में चिन्ता करनी चाहिए। मैं हाउस में तो नहीं कहना चाहता कि हमारा अपरहैण्ड कैसे है? लेकिन, मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा है और इसका लाभ भी उठाया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज पंजाब की सरकार को भारत सरकार रोक नहीं सकती। हरियाणा की सरकार को भारत सरकार रोक नहीं सकती। हिमाचल प्रदेश की सरकार को भारत सरकार रोक नहीं सकती। झांसी, मनोहरथाना, गागरी, बिलास इन प्रोजेक्ट के हम काम शुरू करेंगे तो भारत सरकार किस प्रकार रोकने आयेगी? हमें इस प्रश्न को गम्भीरता से देखना पड़ेगा। यदि चल सकते हैं तो पहाड़ियाजी, मैं तो आपके साथ हूं, काम करना चाहिये। जब राज्य सरकार काम शुरू करेगी तो उसको तो तुड़वाने की किसी की हिम्मत नहीं है। आज भारत सरकार की स्वीकृति के लिए बैठे हैं, भारत सरकार इसकी स्वीकृति देती नहीं है। इस आधार पर मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय तो मैंने आपके सामने बहुत लिमिटेड क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन हमारे बहुत से विवाद अन्य राज्यों के साथ चल रहे हैं, वह चाहे बिजली के हों, चाहे पानी के हों। मुख्य मन्त्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रश्न ऐसा है कि हमें राजनीति से ऊपर उठ कर इस मसले को तय करना चाहिये। मैं नहीं कहता हूं कि इस मसले पर विरोधी पक्ष को साथ लें। विरोधी पक्ष को आप शायद गोपनीय पत्र नहीं बताना चाहें। मुझे कोई चिन्ता नहीं होगी। लेकिन 1973 का एग्रीमेंट हुआ, 1966 का एग्रीमेंट हुआ, गांधी केनाल, कडाना डैम के मामले में आपने किया है। और भी कई इस प्रकार के पत्र हैं, जिनका मैं इस सदन में राजस्थान के हित की दृष्टि से उल्लेख नहीं करना चाहता। कई बार ऐसे कमजोर मूवमेंट में आकर कुछ इस प्रकार के कमिटमेंट कर देते हैं, जिससे हमको बड़ी हानि होती है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी ही पार्टी के श्री परसराम मदेरणा, आपकी पार्टी के श्री चन्दनमल बैद, आपकी ही पार्टी के श्री हीरालाल देवपुरा, आपकी ही पार्टी के श्री शिवचरण माथुर, एक दो को आप और लेना चाहें किसी केबिनेट में लें या नहीं लें। यह हमारा विषय नहीं है लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की आप ऐसे काम के लिए एक कमेटी बना दें। वह कमेटी आपकी पार्टी की कमेटी होगी। इस बारे में अब तक जो भी स्टेप्स लिये गए हैं उनकी वह स्क्रूटिनी करे, जिस किसी को कहीं चिट्ठी लिखनी है, उस चिट्ठी के ड्राफ्ट को देखें, भारत सरकार से मिलना हो लॉबी क्रियेट करनी है, सैन्ट्रल वाटर पावर कमीशन में अपने आदमी को भेज कर अपना केस पुख्ता करना है, या मजबूत करना है तो इन सारे मसलों पर उसकी नजर घूमें। वह यह भी करें कि भाखड़ा नांगल में जायें जैसे मुकेरिया कहां बना है, वहां पर आनन्द-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पुर साहब कहां बन रहा है ? यह अब तक प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी किस प्रकार की स्थिति में है। हमारा हक किस प्रकार से खत्म हो रहा है। उन लोगों को छूट दें। मैंने केवल उनके नाम इसलिये नहीं लिये हैं कि मैंने उनसे कोई सलाह की है। ये मैंने इसलिए लिये हैं कि उनको अनुभव है इस अनुभव का लाभ उठायें। आप लोग भी उठायेंगे तो सरकार को ही लाभ नहीं मिलेगा राजस्थान की जनता को भी लाभ मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार कहता हूं कि यह इस प्रकार के प्रश्न हैं कि हमें इसकी राजनैतिक आधार पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। सरकार जिस भी स्थिति में राजस्थान के हितों की सुरक्षा कर सके उस सुरक्षा में हमारा जितना योगदान हो सके हम योगदान देने को तैयार है। पहाड़ियाजी, इस प्रश्न पर आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्य आपके साथ हैं। आप प्रधान मन्त्रीजी को जाकर कह दें, राजस्थान के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। यह टैस्ट केस है। टैस्ट सीरियस है। यदि इस पीरियड में सभी वायोलेशन करें, पंजाब वायोलेशन कर रहा है, हरियाणा वायोलेशन कर रहा है मध्य प्रदेश वायोलेशन कर रहा है यह एग्रीमेंट के तोड़ने की जो परम्परा चली है इसमें यदि हमने मजबूती नहीं दिखाई तो न हरियाणा का नुकसान होगा, न पंजाब का नुकसान होगा, ना मध्यप्रदेश का नुकसान होगा, राजस्थान का विकास चौपट हो जाएगा। राजस्थान की सूखी धरती को पानी नहीं मिलेगा। राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए बिजली नहीं मिलेगी। इन सारे प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करने के लिए हमने बिल्कुल सद्भावना के साथ यह प्रस्ताव आपके सामने रखा है। आशा करता हूं कि सदन इस पर गम्भीरता से विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष की ओर से कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा !

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मन्त्रीजी ने तीन वक्तव्य दिये, एक तो गांधीसागर के कैच-मेन्ट एरिया में छोटे-छोटे और बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। उस पर, गुजरात प्रदेश की प्रस्तावित सरदार सरोवर योजना के सम्बन्ध में और तीसरा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा प्रदेश की सरकारों ने जो एग्रीमेंट किया है नाथपा-झाकड़ी योजना पर, वहां बिजली उत्पादन का जो एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं उस पर। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, एक जगह नहीं तीन जगह और इस प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, इसकी सूचना इस सदन को नहीं थी। प्रतिपक्ष के नेता तत्कालीन मुख्य मन्त्री थे, उन्हें इस बात की सूचना होगी। राजस्थान में चाहे भाखड़ा से पानी लेते हैं, चाहे बीकानेर केनाल या गंग केनाल से हम पानी लेते हैं और चाहे पौंग डैम से हम पानी ले

(12.40 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पदासीन)

रहे हैं, रावी, सतलज और व्यास, ये तीनों नदियां पंजाब में हैं। तीनों बांध जो बनाये जा रहे हैं वह रावी, सतलज और व्यास नदी के ऊपर बनाये जा रहे हैं। पौंग डैम व्यास नदी के ऊपर है, जिससे हमें पानी और बिजली दोनों मिलती है। इसी प्रकार सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा बना हुआ है जिससे पानी और बिजली दोनों लेते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

जहां तक थीन बांध का सवाल है, राजस्थान सरकार ने जो कुछ भी अपना पक्ष है वह प्रस्तुत कर दिया। अटार्नी जनरल आफ इण्डिया ने कहा है। जैसी कि अभी सदन को सूचना मिली, प्रधान मन्त्रीजी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। क्योंकि तत्कालीन प्रधान मन्त्रीजी ने अटार्नी जनरल की राय के ऊपर अपना निर्णय देने की बात कही थी, इसलिए अब यह मसला वर्त्तमान प्रधान मन्त्रीजी के सम्मुख है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्रीजी से बात करें और थीन के मामले को हल करायें। इससे ज्यादा इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मामला अभी प्रधान मन्त्रीजी के विचाराधीन है।

दूसरी बात, जो नाथपा-झाकड़ी के सम्बन्ध में कही गई, नाथपा-झाकड़ी के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी के वक्तव्य से स्पष्ट है कि सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी सीक्रेट बाइलेटरल एग्रीमेन्ट दोनों सरकारें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार कर रही हैं। इनके एग्रीमेन्ट के सम्बन्ध में कहा है तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में बातचीत चली होगी, आपको जानकारी नहीं है। उसके अनुसार पर्सेन्टेज का प्रश्न है कि आप हमको मुफ्त में कितना बिजली देंगे ? उन्होंने कहा था कि जो बिजली का उत्पादन होगा उसका 5% देंगे, खर्चा पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट का पंजाब सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश को मुफ्त बिजली चाहिये, वह एक उत्पादक है। हरियाणा सरकार ने जो कुछ भी ऑफर दी वह ज्यादा एन्ड्योरिंग थी। 15 फीसदी जो टोटल प्रोडक्शन होगा बिजली का उसका मुफ्त में हिमाचल प्रदेश को देंगे। यह बाइलेटरल एग्रीमेण्ट दोनों के बीच में हुआ। वह बाइलेटरल एग्रीमेन्ट जो हुआ, यह इस टनल के द्वारा पानी को इम्पाउण्ड करके हाइडल पावर को जनरेट करना चाहते हैं। यह सतलज नदी के ऊपर, भाखड़ा से ऊपर, भाखड़ा बांध बना हुआ है सतलज के ऊपर, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में यह बांध झाकड़ी टनल बना कर पावर जनरेट करना चाहते हैं। अभी तक जो भी कदम उठाये गये हैं, मुख्य मन्त्रीजी का जो वक्तव्य अभी मैंने सुना, 1977 के बाद में कुछ कदम हमने उठाये हैं। कुछ बैठकें केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय के स्तर पर हुई हैं। उसके सम्बन्ध में सैन्ट्रल पावर कमीशन की अध्यक्षता में 1979 में बैठकें हुई। उसके बाद में अप्रेल और जुलाई में भारत सरकार के सिंचाई मन्त्री को पत्र लिखे गये कि जो कुछ भी किया जा रहा है, तीनों नदियों के सम्बन्ध में जो एग्रीमेन्ट हुआ है हमारा 1955 में, उसका फ्लेगरेन्ट वायोलेशन है, इसलिए इस सम्बन्ध में भारत सरकार को और वाटर कमीशन को इण्टरफियर करना चाहिये। उसके बाद में जून, 1980 के अन्दर विद्युत् मन्त्रियों की बैठक हुई थी, उसके बाद में राज्य सरकार के पक्ष को जोरदार शब्दों में रखा गया है, ऐसा वक्तव्य में उल्लेख है। मैं सोचता हूं राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में सजग है। जो कुछ भी नाथपा झाकरी प्रोजेक्ट का काम हाथ में ले रहे हैं उसके द्वारा वह 1955 के इण्टर स्टेट एग्रीमेन्ट का वायोलेशन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। इसलिए अभी जो कुछ भी किया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया है, अभी जैसा कि मुख्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया कि एक जोइन्ट कण्ट्रोल बोर्ड स्थापित कर दिया है, इन्होंने यह भी कहा है, जोइन्ट मैनेजमेन्ट अधिकरण भी स्थापित कर दिया है, इन्होंने यह भी स्टेटमेन्ट दिया कि शिमला में संयुक्त थर्मल स्थापित किया है, इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश की सरकार और हरियाणा सरकार इस प्रोजेक्ट में बावजूद राजस्थान के इस बात को कहने के कि इस प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सा है, कोई भी प्रोजेक्ट सतलज, रावी और व्यास पर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि तीनों ही नदियों के प्रोजेक्ट के अन्दर, जैसा कि एग्रीमेन्ट में इस बात का उल्लेख है कि पानीऔर बिजली में हमारा हिस्सा है, इसको इग्नोर करके जो बाइलेटरल एग्रीमेन्ट आप करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारे जो बेनिफिट्स अक्रू होने चाहिए, जो शेयर हमको मिलना चाहिये उससे हमको महरूम रखना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्यमंत्रीजी को भारत सरकार के स्तर पर, सिचाई मंत्रीजी के स्तर पर और प्रधान मन्त्रीजी के स्तर पर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये। इससे यह मसला हल नहीं हो सके तो साथ ही साथ कानूनी कार्यवाही भी अगर हमको करनी पड़े तो निश्चित रूप से कोई कदम उठाये बिना नहीं रहना चाहिये क्योंकि बावजूद हमारे स्ट्रांग प्रोटेस्ट के दोनों सरकार हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की प्रोजेक्ट बनाने जा रही है, निर्माण करने जा रही है इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीसरे हैडवर्क्स के सम्बन्ध में यह बात कही गयी, हालांकि मुख्य मन्त्रीजी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया लेकिन प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि पंजाब में हैड वर्क्स हैं उनका नियन्त्रण भाखरा और व्यास कण्ट्रोल बोर्ड के द्वारा होना चाहिये। पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में इस बात का प्रावधान है। प्रतिपक्ष के नेताजी तत्कालीन मुख्यमन्त्री थे। तत्कालीन प्रधान मन्त्रीजी श्री मोरारजी भाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसमें मोरारजी भाई ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार को एक सप्ताह के भीतर सतलज और भाखड़ा कण्ट्रोल बोर्ड को तीनों हैड वर्क्स ट्रान्सफर कर देने चाहियें आपने अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा होगा इसलिए सात दिन में प्रधान मन्त्रीजी ने हस्तान्तरण के आदेश दिये थे लेकिन सात दिन के बाद में डेढ़ वर्ष निकल गया पंजाब सरकार ने अभी तक उनको ट्रान्सफर नहीं किया है इसलिए इस सम्बन्ध में हमको कार्यवाही करनी चाहिये, और निश्चित तौर से यह देखना चाहिए कि ट्रान्सफर क्यों नहीं किये ? इसका मतलब यह है आज हमको जो पानी मिलना चाहिये, हमारे शेयर का जो पानी है, उसका कण्ट्रोल पंजाब सरकार के हाथ में है, बोर्ड के हाथ में नहीं है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि राजस्थान से जितना पानी हमको मिलना चाहिए उससे आधा पानी राजस्थान को मिल रहा है। राजस्थान की कैनालों में आधा पानी भी नहीं है। फसलें सूख गई हैं। दूसरी तरफ पंजाब का जिस पानी पर कोई हक नहीं है वह पानी भी लेता चला आ रहा है और आज कानूनी स्थिति को लांघता हुआ जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो कानून बनते हैं उनको इम्पलीमेन्ट करने में राज्य सरकार को या मुख्य मंत्री जी कोई कसर उठा कर नहीं छोड़नी चाहिए।

तीसरा प्रश्न जो है यहां पर, उस पर खास तौर से मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया

(श्री परसराम मदेरणा)

है, वह गांधी सागर के कैचमेंट एरिया के अन्दर छोटे और बड़े बन्धे बनाने जा रहे हैं। यह समस्या आज से नहीं है, 1977 से राज्य सरकार के सामने है, जैसी मुझे जानकारी मिली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी ने कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मन्त्रीजी ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश का इरिगेशन पावर का जो कन्ट्रोल बोर्ड है उसमें सबसे पहले गांधी सागर के कैचमेंट एरिया के अन्दर जो छोटे और बडे बांध बनाये जा रहे हैं इस मसले पर 28 या 27-8-79 को चर्चा हुई थी। अगर चर्चा हुई थी ।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 1960 से बनना शुरू हो गया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 1960 से नहीं हुआ। यह गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : खैर, मैं निवेदन कर रहा था कि तभी से बंधे बनाये गये हैं और बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद में भाखड़ा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त कन्ट्रोल बोर्ड की, गांधी सागर के कन्ट्रोल बोर्ड की जो स्टेंडिंग कमेटी नम्बर एक है, उसकी 4 मीटिंगों में बराबर इस मसले पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया। कैचमेंट एरिया में बांध बनाते जा रहे हैं। 13-5-79 को मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया है कि कन्ट्रोल बोर्ड के सामने दोनों मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई थी किन्तु दोनों मुख्य मन्त्रियों की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। प्रतिपक्ष के नेता उस वक्त, मुख्य मन्त्री थे राजस्थान राज्य के। राजस्थान राज्य के हितों के बारे में, मैं यह मान कर चलता हूं, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, लेकिन वहां के नेताओं के साथ जो मध्य प्रदेश के हैं, वह अपनी योजना के बारे में सोचते होंगे कि कोई निर्णय नहीं हो सका और मामला कन्टेस्टिंग रहा। उसके बाद में अभी बराबर यह मामला चल रहा है। इसका क्या परिणाम होगा ? इस सम्बन्ध में भी कहा जा चुका है। सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जनता सरकार ने पूर्व में बिजली देने की बात, कुछ लोकेलिटी को इलेक्ट्रिफाई करने की बात बहुत जोरों से कही। लेकिन सबसे बड़ा लेप्स यह रखा गया है, बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में एडिक्वेट स्टेप नहीं लिया और जो उत्पादन आज हो रहा है उस उत्पादन में हाइडल पावर का जो उत्पादन हो रहा है, गांधी सागर, जवाहर सागर और अन्य जो हैं, चम्बल के अन्दर पानी नहीं आने की वजह से कैचमेंट एरिया के अन्दर केवल सिंचित एरिया में ही असर नहीं पड़ेगा। चम्बल से मध्य प्रदेश अफेक्टेड होता है। कुल मिला कर जो पावर का घाटा होगा वह राजस्थान को होगा। आज जो कुछ भी कैचमेंट एरिया में बंधे बनाये जा रहे हैं, हमारे बीच में गांधी सागर में जो बन्धे बनाने का एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट का वायोलेशन है इसलिए राजस्थान सरकार को कुछ स्टेप लेने चाहिये क्योंकि बोर्ड में बात करने से या कमेटी में विचार करने से, मैं समझता हूं, वहां की सरकार उसमें जो पालिटिकल पचासों तरह के फैसले हो रहे हैं उनको मानती नहीं लग रही है। इसलिए

(५०)

(श्री परसराम मदेरणा)

कोई न कोई लीगल स्टेप हमने नहीं लिया तो It will be too late in the long run. बंधे बना दिये जाएंगे उसके बाद में फैट एकम्पली हुए हम वहां पर बैठे रहेंगे। गांधीसागर और राणा प्रताप सागर खाली पड़े रहेंगे। बिजली का उत्पादन घट जायेगा एटामिक एनर्जी का एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाये, हम यह सोच रहे हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में राजस्थान के गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत द्रुतगति से प्रारम्भ हो जायेगा, उससे पहले जो प्रोजेक्ट हमारे आर्डिनरी बने हुए हैं जहां से हम बिजली का जनरेशन शुरू कर रहे हैं अगर उन पर उनका कैचमेंट एरिया में बंधे बनाने से विपरीत असर पड़ता है तो निश्चित तौर पर कोई न कोई इस सम्बन्ध में चाहे प्रतिपक्ष के नेता न सजेशन दिया है, किसी न किसी तरह के इस मामले में कोई ऐसे स्टेप लिये जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि कोई भी स्टेप लें उससे पहले लीगल स्टेप निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिये।

जहां तक अन्तर्राज्यीय मामलों का सम्बन्ध है, वह चाहे पंजाब के हों, चाहे राजस्थान के या चाहे गंगा या जमना के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में हो चाहे माही के, मैं निवेदन करना नहीं चाहता। क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्थिति को साफ कर दिया है कि वह अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में संशोधन करने को राजी हो गये हैं और केन्द्रीय सरकार इस मामले को देख रही है। मैं समझता हूं कि विजिलेंट रहने की आवश्यकता है और जो मामले हैं उसमें इन्वेस्ट है। लैजिटिमेट जो हमारा ड्यू है अगर वहां पर कहीं भी लैजिटिमेट हमारे एडिक्वेट ड्यू के साथ कुठाराघात करने का कोई भी सरकार किसी भी स्टेज पर कोई कदम उठा रही है तो राजस्थान का यह सदन जो सुप्रीम है, मुख्य मन्त्री के हैंड्स स्ट्रेन्थन करना चाहता है। जो कुछ भी आप राजस्थान की तरफ से कोई मसला वहां पर रखते हैं तो हाउस को बिना किसी पार्टी या विवादों के कहें। राजस्थान के हितों की रक्षा बहुत प्रभावशाली ढंग से, जिन-जिन स्टेजेज पर, जिन-जिन स्तर पर की जानी चाहिए चाहे कानूनी, चाहे अन्य प्रकार की, उसमें कोई भी कमी आपकी नहीं रहे।

श्री सभापति : माननीय श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय सभापति जी, यह बहुत ही सुन्दर बात है जो श्री भैरोंसिंह जी ने कही। जहां ऐसे विषय हैं उनमें कोई राजनैतिक मतभेद नहीं होने चाहिए और न राजनीति आनी चाहिए। जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर विचार करना चाहिए। यह स्थिति हम और आप जानते हैं। इसका बहुत अच्छा विश्लेषण भैरोंसिंह जी और परसराम मदेरणा जी ने किया। चम्बल के बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि मध्य प्रदेश ने जो कुछ किया है, वह अपने फैसलों के खिलाफ किया है। चम्बल का बहुत सारा पानी गंगा और यमुना में आता है। गंगा और यमुना का पानी हमको नहीं मिलेगा तो हमारा हक मारा जावेगा। नदियां ऐसी हैं जो कुछ चम्बल में जाती हैं और उन पर हम भी बांध बना सकते हैं, हम भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे पास या तो चम्बल है या लूणी है या पंजाब की नदियां हैं, या

(श्री राजबहादुर)

यू. पी. की नदियां हैं मध्यप्रदेश की हैं। निश्चय ही राजस्थान के पास कुल मिलाकर जो जल स्रोत हैं जो प्रदेश की सीमाओं के अन्दर हैं उस का अन्दाजा लगाया गया है कि 15 मिलियन एकड़ फीट पानी है। उसका भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 8 मिलियन एकड़ फीट का उपयोग कर पा रहे हैं और लगभग 7 मिलियन एकड फीट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं मोटे-मोटे आंकड़े दे रहा हूं। अब सवाल आता है चम्बल के बारे में कि हम क्या करें? अभी कुछ निराशा सी हुई एक बात से जो वक्तव्य में आई। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को आदेश दिया गया है कि कम से कम राजस्थान को जानकारी दे दी जाय। अगर मैं ठीक समझा हूं तो मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से आज्ञा मिली लेकिन फिर भी जानकारी नहीं आ रही।

इसी प्रकार से जहां तक गुजरात और राजस्थान का संबंध है बहुत विस्तार से भैरोंसिह जी ने कह दिया, उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं कि जो भी समझौता हुआ या जो भी आश्वासन मिल रहे हैं वे क्रियान्वित होंगे या नहीं, यह भी निश्चित रूप से मुख्य जी ने अपने वक्तव्य में नहीं बताया। स्थिति यही है। इसी प्रकार से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो समझौता हुआ है राजस्थान को बाइपास किया है, वहां भी यही स्थिति है। एक प्रश्न निकला भैरोंसिह जी के मुख से और मुझे भी लगता है कि सच्ची बात है, हम सब टैस्ट पर हैं, राजस्थान टैस्ट पर है, मुख्य मन्त्री जी और उनका दल टैस्ट पर है, केन्द्रीय सरकार टैस्ट पर है, केन्द्रीय सरकार यू टैस्ट पर है कि उनका रिटर्न भी करता है या नहीं? कहीं देश के मामलों पर उनका ग्रिप लूज तो नहीं हो रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार का ग्रिप लूज हो, हम नहीं चाहते कि उनके कन्ट्रोल में, नियंत्रण में ढीलापन आवे अथवा उनकी आज्ञाओं और आदेशों का पालन न हो देश को बिखरना है तो ऐसा होगा। आज लक्षण ऐसे ही लगते हैं, अगर मध्य प्रदेश सरकार, जो उसी दल की सरकार है जिसकी केन्द्रीय सरकार है, केन्द्र का आदेश नहीं माने तो क्या लक्षण हैं? यही कि grip is loosning यह भी जाहिर है कि यदि सैन्टर वीक होता है तो हम कहां रहते हैं? कहां देश की एकता और आजादी रहती है।

चम्बल की बात के बाद मैं अपने राज्य के रावी, व्यास के पानी के हिस्से की बात पर आता हूं। रावी और व्यास के पानी के हमारे हिस्से के बारे में काफी कहा है भैरोंसिह जी ने इस संदर्भ में मेरे सामने भी एक प्रश्न आता है वादविवाद चल रहा है रावी-व्यास के पानी के हिस्सों के विषय में हरियाणा और पंजाब के बीच में, उसकी कुछ रूपरेखा मेरे सामने आई उसकी चर्चा थोड़ी विस्तार में करूंगा बहुत नहीं। 1976 में कुछ फैसला हुआ बहुत वादविवाद के बाद। स्थिति यह है कि 7.52 मिलियन एकड़ फीट दोनों राज्यों को मिला कर मिला है सन् 1955 के पहले समझौते के अनुसार एक ही राज था पंजाब। विभाजन के बाद अन्त में 1976 में आधा-आधा पानी दोनों को मिला। 3.5 मिलियन एकड़ फीट और 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। हरियाणा खुश है, पंजाब कहता है कि 5.96 मिलियन एकड़ फीट

(श्री राजबहादुर)

पानी का हम तो पहले ही अपनी भूमि पर सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं, इन नदियों के पानी में से हरियाणा कहता है कि नहीं यह गलत है। पंजाब कहता है कि अगर हम हरियाणा को आधा हिस्सा पानी दें देते हैं तो 9 लाख एकड़ भूमि हमारी बिना पानी के रह जाएगी। पंजाब ने अब दावा किया है, और खुल्लमखुल्ला कहा है हमारे हिस्से में जो पानी आया है उसके बारे में भैरोंसिहजी ने कहा कि यह अन्दर की बात है नहीं बतानी चाहिये लेकिन यह बात तो अब सामने आ गई है। सामने यह है कि राजस्थान नहर के द्वारा या जो भी साधन हैं उनके द्वारा 8 मिलियन एकड़ फीट पानी हम अपने हिस्से का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं अब तक जो 1955 में मिला था उसमें से जो पूर्व में शासन कर चुके, मैं उन पर आज टीका टिप्पणी नही करना चाहता लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जिस दिन 1955 में अन्तर प्रदेशीय एग्रीमेंट हुआ था, हमारा राजस्थान सूखा प्रधान प्रदेश है, कितने अकाल पड़ते हैं, यहां कितनी तबाही होती है फिर कोई सूरत नहीं पानी मिले बिना राहत मिलने की तो फिर 1955 में उसी दिन से कार्यवाही शुरू हो जानी चाहिए थी। इधर हमारी धरती पानी के लिये तरसे और उधर हमारे बट का पानी अकारथ जावे लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि राजस्थान नहर का आज तक पहला चरण पूरा हुआ है या पूरा होने वाला है उसके बावजूद भी जहां तक पंजाब का दावा है, पंजाब कहता है कि 4 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा राजस्थान सरकार इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। उनका कहना है उस पानी को पंजाब ने यूज किया है और करेंगे भी, आगे उनका दावा है हमने यूज किया है और यूज करेंगे ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम ज्यादा यूज कर रहे हैं।

श्री राजबहादुर : ज्यादा यूज नहीं कर रहे होंगे लेकिन पंजाब का तो दावा यही है कि राजस्थान 4 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। मुझे स्मरण आता है कंवरसेनजी ने एक सुझाव दिया था बहुत पहले उनसे मेरी बातचीत हुई एक बार उस जमाने में मुझे सौंपा गया था कार्य भार सैन्ट्रल मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एन्ड ट्रांसपोर्ट का कंवरसेनजी ने मुझे बताया था अगर तीनों नदियों का पानी जो हिंदुस्तान को मिला है उसका पूरा-पूरा उपयोग हो तो राजस्थान नहर को वर्त्तमान प्रस्तावित टेल-एन्ड से कांडला पोर्ट तक ले जाया जा सकता है। मैंने यह बात एक बार एक पी० सी० सी. मीटिंग में कह दी किन्तु इसका मखौल उड़ाया गया। अगर हमारा सही दृष्टिकोण होता तो यह सब हो सकता था। अगर यह काम होता तो राजस्थान का इलाका बाड़मेर तक सूखा नहीं रहता, हरा भरा होता। खैर, जाने दीजिए जो मौका निकल गया। अब क्या करें आज जो पंजाब ने दावा करने का हौंसला किया है, आपके सामने हैं और उस दावे से बचना है तो एक मात्र उपाय यही है कि हमारे बट में हिस्से में जो पानी आया है उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल करे। जल्दी से जल्दी करें जिससे दूसरे लोग उस पर दावा न कर सकें। आप क्या उस बात को सोचते ही नहीं मैंने नहीं सोचा लेकिन इन्जीनियर्स का सुझाव है, उन्होंने मुझे आज से 3–4 वर्ष पहले ब्रीफ किया था उसके आधार पर मैंने पत्र लिखा पहले भूत-पूर्व मुख्य मंत्रियों का एक के बाद एक जो मुख्य मंत्री आए उन सब को भी, उन पत्रों में से एक छोटा सा अंश सुनाना चाहता हूं, वह

(श्री राजबहादुर)

अंश ऐसा है जो मेरे नोट के अंश से लिया सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने, और उस आधार पर उन्होंने भैरोंसिंह जी को लिखा वह यह है "Taking the above into consideration, the note envisages that a small portion of the share of these waters might be diverted in the other areas of Rajasthan, namely, Eastern districts of Jhunjhunu, Alwar and Bharatpur where these waters could be used on a temporary basis till the completion of Stage II. The method of diversion, as indicated in the note, is based on the line of the scheme which the state of Haryana has devised to make maximum use of their share of the Beas waters."

योजना बहुत महत्वपूर्ण है।

"The Haryna Government proposes to utilise a part of the Ravi-Beas water (of their share) by diverting it into the command area of Jamuna river and increasing the intensity of irrigation on Gurgaon canal (Haryana portion) taking off from Okhla project. To make use of these waters Haryana is proposing to construct a separate parallel canal with Bhakra Main line up to Tohana and then constructing a Satluj Yamuna Link along the alignment of existing Haryana Branch Karnal link to divert a part of these waters Okhla weir. Rajasthan could likewise utilise their share of waters by joining and collaborating with Haryana in the construction of these canals and link canals and share the proportionate cost thereof to be incurred in augmenting the capacity of the said new canals and canal links in Haryana to meet the requirements of the State. The cost to be incurred need not be much, even otherwise the money would be well spent on account of the increase in the production during this period in the command area.

इस प्रकार रावी-व्यास के पानी के कुछ हिस्सों को हम झुन्झुनू भरतपुर और अलवर में शीघ्र से शीघ्र इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह भी अस्थायी आधार पर जब इन जिलों को यमुना का पानी मिल जावे और अन्य जिलों में आप रावी-व्यास का पानी इस्तेमाल कर सके तब कैसी ही व्यवस्था कर दी जावे। यमुना के पानी में से हमारा

५५

(श्री राजबहादुर)

हक 2.55 मिलियन एकड़ फीट का होता है ।

अब मैं बता देना चाहता हूं कि इससे कितना पानी हमें कहां कहां के लिये मिल सकता है ।

2.5 million area feet जो हमारा ध्येय है for allocation from Yamuna river which should be pressed with the Govt. of India.

चम्बल वाटर्स का जो हमारा पानी यमुना में जाता है उसके आधार पर हमारा हक 2.55 मिलियन एकड़ फीट है यमुना से मिलने का ।

Out of this 1.0222 MAF of water from Yamuna river is perhaps proposed to be utilised in Churu and Jhunjhunu districts and the remaining 1.5333 MAF in Bharatpur & Alwar districts.

इसलिए थोड़े समय के लिए जब तक कि आपका थीन डैम नहीं बनता, जब तक सारा राजस्थान कैनाल सिस्टम और दूसरी केनाल डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनती उस समय तक इस पानी का एक छोटा भाग आप सतलज, यमुना लिंक के द्वारा जमुना कमाण्ड एरिया में ले जाइये, इसमें बहुत खर्चा नहीं है और पानी का शीघ्र यूटिलाइजेशन हो सकता है फिर पंजाब और हरियाणा दावा नहीं कर सकेंगे ।

एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, थीन डैम पर कन्स्ट्रक्शन वर्क शुरू नहीं हुआ, उसके बिना राजस्थान राज्य रावी-व्यास के पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है । अगर थीन डैम नहीं बनता है, अगर उसके बनने में देरी होती है तो थीन डैम के बिना रावी का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर पाते है । इसलिए आप पूर्वी जिलों को रावी व्यास का पानी इस्तेमाल करने दीजिये । रावी के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि रावी व्यास और सतलज तीनों के पानी का पूरा उपयोग करना चाहिए हर तरह से । वह पूरा नहीं हो सकता जब तक कि पहले थीन डेम आदि बन कर पूरे न हों और उसके अलावा हरिके हैडवर्क्स पर हमारा कन्ट्रोल न हो । इसी सिलसिले में यह तो निर्विवाद है पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं । तो फिर क्या करें ? एक मात्र रास्ता यही रह जाता है कि जहां और पानी इस्तेमाल हो सकता है वहां करें । जैसे कि हरियाणा आदि दूसरे इस्तेमाल कर रहे हैं । 100 करोड़ रुपये हरियाणा खर्च कर रहा है । उस पानी को वह लिफ्ट कर रहे हैं 90 मीटर्स लिफ्ट कर रहे हैं । किसके लिए ? तीनों केनाल, चक्रवर्ती केनाल, जवाहरलाल नेहरू केनाल और इन्दिरा गांधी कैनाल को रावी-व्यास का पानी देने के लिए यह नहरे आती हैं चुरू और झुंझुनूं की सीमा तक । वहां से हम पानी ले सकते हैं अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं । यदि हम सतलज-जमुना लिंक में शामिल हो जायें तो जब तक पानी रावी का इस्तेमाल नहीं होता है राजस्थान नहर सिस्टम में तब तक क्या करें ? तो मैं विनती करूंगा कि मुख्य मंत्री जी को आज जो चुनौती भी दी गयी है कि वह और हम उस इलाके से आने वाले

(श्री राजबहादुर)

हैं कि जहां गंगा यमुना के पानी का उपयोग हो सकता है। मैं कहता हूं कि गंगा यमुना का पानी पूरी तरह उपयोग करने के लिए तो बहुत-बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। और इसके लिये अभी हम दूसरी प्रदेश सरकारों पर निर्भर हैं। पहले रावी का पानी जो आपके हिस्से में आता है, जो अभी फाजिलका उपयोग में नहीं आ रहा है उस फाजिल्का को उपयोग में लाइये। एक पहलू इस स्कीम का और बताता हूं वह यह है, पहले रावी-व्यास का केलकुलेटेड एवरेज पर एनम डिस्चार्ज जो था जिसको एनुअल साइकल बोलते हैं उसको 1921-22 से 1945-46 तक के औसत पर केलकुलेट किया गया था Availability of water in these rivers came to 19.25 मिलियन एकड़ फीट और फिर इसको दुबारा फैलाया गया केलकुलेट किया 1921-22 से 1970-71 तक के वर्षों के आधार पर। उससे जो पहले एवरेज था 19.25 मिलियन एकड़ फीट का, उस बेसिस पर बढ़ कर आय एवरेज 22.29 मिलियन एकड़ फीट इनमें पहले से जो कमिटेड स्कीम थी उन्हें काटने के बाद नेट जो एवरेज मिलता था वह 15.49 मिलियन एकड़ फीट था उसमें से 8 मिलियन एकड़ राजस्थान को मिला। अब जो 20.29 मिलियन एकड़ फीट पानी एनुअल एवरेज मिला है या एवरेज एस्टेब्लिश हुआ है वह बताता है कि आपको नेट वाटर मिलेगा 16.51 मिलियन एकड़ फीट का और चूंकि यहां राजस्थान का शेयर सारे वाटर में 52.6 परसेन्ट है उस बेसिस पर आठ मिलियन एकड़ की जगह मिल सकता है राजस्थान को 8.685 मिलियन एकड़ फीट। अब इस अतिरिक्त पानी पर भी अभी हमने दावा नहीं किया है, क्यों? क्यों नहीं किया? 7.65 मिलियन एकड़ फीट पानी कुछ कम नहीं होता आपका अब तक इस पर भी दावा नहीं हुआ है जो एक्स्ट्रा वाटर आपको मिल सकता है। तो मैं रावी के बारे में अधिक नहीं जाकर इतना ही कहूंगा कि रावी पर जितनी लेटेस्ट पोजिशन एस्टेब्लिश हो चुकी है उस आधार पर पानी मांगिये। यह ऐसी चीज है कि आज आपने शुरूआत नहीं की या दावा नहीं किया तो कमिटमेंट दूसरों से हो जायेंगे रावी के पानी में आप रह जावेंगे।

अभी भैरोंसिहजी ने एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर यह डाली कि गंगा यमुना के बारे में जो कुछ हो वह मैं भी कहूं। मुझे आपत्ति नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं उन चीजों को लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि गंगा के पास बहुत पानी है। गंगा के पास 49.4 मिलियन हैक्टेअर मीटर पानी है। जो मिल सकता है और उसका जो यूटीलाइज हो चुका है। अब तक वह कुल मिलाकर 18.5 मिलियन हैक्टेयर मीटर है। इसमें से जो जो गंगा कावेरी लिफ्ट के लिए मांगते थे वह था 2.6 मिलियन हैक्टेयर मीटर। गंगा लूनी लिफ्ट के लिए मैं बार-बार कह रहा हूं जो, कि इस्टर्न राजस्थान को लाभान्वित नहीं करेगी बल्कि झुंझुनूं, चुरू नागौर इस सारे इलाके को लाभान्वित करेगी और ऐसी स्थिति है कि गंगा के पानी में हमें हिस्सा मांगना चाहिये और कहना चाहिए कि साहब जो जून से लेकर अक्टूबर तक पानी रहता है जो बाढ़ लाता है, उस बाढ़ के पानी को उतना ही दे दीजिए बाकी रहा कि आपको केनाल सिस्टम बनाना है और जगह-जगह

(श्री राजबहादुर)

उसके स्टोरेज बनाने हैं वह आप कर सकते हैं। और यह सवाल आता है कि बहुत कम्पन्सेशन देना पड़ेगा जमीन का तो यह सवाल तो कभी एण्ड होने वाला नहीं है। एक तरफ डैड वेस्ट है पानी का और जमीन का। समुद्र में जाता है वह पानी और दूसरी ओर लाखों एकड़ जमीन सूखी पड़ी है। क्या यह अनुचित है कि इस पानी का यूटिलाइजेशन हैं। फार स्पेसिफिक पर्पज। इन दोनों में हमें चूज करना है। इस बारे में अगर मुख्यमंत्री जी सुनें तो मैं कहूं कि कोई बहुत बड़ी योजनायें नहीं हैं मेरे खयाल से जितनी बड़ी योजनायें भाखरा और नांगल की है उससे तो कम खर्चीली योजना है यह। इसमें खाली आपको चैनल्स निकालनी हैं दो तीन जगह छोटे-छोटे बैराज नदियों के ऊपर देने हैं या केनाल को क्रास करना है नदियों पर जो कि बहुत कास्टली नहीं होते। हां जहां गंगा यमुना के पानी की बात आती है तो वहां क्लेम करने की बात भी आती है। मुझे खेद है इस बात का कि हमने गंगा के ऊपर एक दो बांध बांधे उनके सम्बन्ध में हमने बिजली और पानी दोनों में अभी अपना हिस्सा मांगने पर जोर भी नहीं दिया है। यमुना के ऊपर तो 1973 में थोड़ी बहुत बातचीत कर सके थे और वह बात वहीं की वहीं रह गयी। बताया जाता है कि 17 पर्सेन्ट से 32 पर्सेन्ट तक हमारा शेयर वह मानने को तैयार हैं जमुना में लेकिन कितना मानेंगे यह पता नहीं इसके लिए हमें सीरियसली अभी एफर्म में करना है पक्का करना है मेरी जो शिकायत है, शिकायत का लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे क्षमा करें कि अब तक हमने इस बारे में पूरी तरह सोचा ही नहीं है। आपने सोचा माही के लिए बहुत अच्छा है। जवाई के लिए बहुत अच्छा है, चम्बल के लिए भी थोड़ा बहुत सोचा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जहां आपको इतना पानी मिल सकता है कि सारे राजस्थान के नक्शे को बदल सकते हैं, गंगा और यमुना के पानी से उसको तो आप सोचते भी नहीं हैं। मुझे इस बात का दुख हुआ और मैं इल्तजा करूंगा क्योंकि मेरी शिकायत भी है थोड़ी सी मेरा कसुर है मैं मानता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री जी का भाषण सुनने के लिए वेट नहीं किया। उसके लिए मैं खेद प्रकट कर सकता हूं लेकिन मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण थे वह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सोचता था कि जो भी पाइन्ट्स हमने लिये हैं उनके ऊपर कुछ गम्भीरता से विचार होगा और कुछ थोड़े बहुत ऐसे एलान, थोड़ी बहुत ऐसी घोषणाएँ होंगी जिससे आशा होगी। लेकिन मैंने उनका भाषण बहुत ध्यान से पढ़ा। उनके भाषण में शायद पहला ही सेन्टेन्स यह है कि "विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कितनी सिंचाई होगी, कितना रुपया कब खर्च होगा," आगे कहा 'इसी साल में सारी योजनायें ले लेंगे" या कौन सी योजना लेंगे या अगली साल में लेंगे, यह मैं नहीं जानता" आगे चलकर कहा है कि 'इस पंचवर्षीय योजना में लिया जा सकता है या अगली पंचवर्षीय योजना में लिया जा सकता है।' फिर यह भी है कि मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता, मैं सिर्फ यह कहूं कि जो कुछ ऐसी योजना है उनकी अर्जेन्सी कितनी है उनके मन में यह भी उनके भाषण से

(श्री राजबहादुर)

प्रकट नहीं होता। उस अर्जेन्सी के मुकाबले में उसका रियलाइजेशन कितना है। यह तो और आगे की बात है मैंने पहले भी कहा था कि हमें रिलाइज करना है। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, न मुख्य मन्त्री जी का है और न भैरोंसिंह जी का है यह प्रश्न है हमारे राजस्थान के सारे भविष्य का।

हम यहां बैठे हैं केवल अपनी पीढ़ी के लिए नहीं। इस पांच साल के लिये नहीं। मैं बराबर दोहराता हूं कि राजस्थान का भविष्य है इसमें इनके भाषण में मुझे एक सेन्टेन्स यह भी मिला कि सन् 2000 तक शायद हम योजनायें पूरी कर सकेंगे तो सन् 2000 में मैं तो रहूंगा नहीं लेकिन उसके लिए मैं कह दूं कि चाहे मैं नहीं रहूं इतना जरूर कह रहा हूं, मैं यह जानता हूं कि 2000 में हो या नहीं लेकिन आप इन चीजों पर सोचना तो शुरू कीजिए। इसीलिए यमुना के ऊपर दावा पेश कीजिये गंगा के ऊपर दावा पेश कीजिए। कभी सीरीयस दावा पेश नहीं हुआ है, आज तक सीरीयस दावा पेश करने के लिए मुझे आग्रह करना है क्योंकि सीरियस दावा पेश नहीं हुआ है अब तक इस रिपोर्ट में आप लिख देते हैं मेरा मतलब है सिंचाई की रिपोर्ट से महकमे की 'इस पर गम्भीरता से विचार हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है प्रयास हो रहा है लेकिन सामने तो कुछ नहीं है। हम दावे को लेकर कहीं नहीं पहुंचे हैं। We have not reached anywhere Shall we now take atleast the first necessary step ?

दो बातें सामने आती हैं और बार बार आती हैं कि साहब इन योजनाओं का इम्पलीमेन्टेशन कैसे होगा और इन पर कन्ट्रोल कैसे होगा ? यह प्रश्न है। इस पर इम्पलीमेन्टेशन कैसे होगा और आप फाइनेंसिंग की बात को लें और सारे राजस्थान प्रवासियों को पूरी तरह से समझायें कि राजस्थान का कल्याण इसमें है। आसाम बंगाल और तामिलनाडु में पड़े हुए हो और तुम्हारे राजस्थान को हरा भरा बना दिया जाता है और अगर एक सीधी अपील होती है वह चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा हो या मुख्य मन्त्री द्वारा हो फाइनेन्स की इस मामले में कमी नहीं रह सकती। अगर राजस्थान को फाइनेन्स की जरूरत है तो ठीक अपील से हो, ठीक एप्रोच हो, ठीक तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाये। इम्पलीमेन्टेशन और कन्ट्रोल की बात यह है कि मैं अपने पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि सिंचाई और बिजली की योजनायें ऐसी झगड़े की योजनायें हैं कि कोई भी राज्य सरकार हो चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो वह अपने-अपने हितों के लिये लड़ेंगे। Come down towards earth जमीन पर आकर सोचिये कि उन में से कोई आसानी से यील्ड होने वाली नहीं हैं। इसके लिए तो केन्द्रीय सरकार को एक जोइन्ट इण्डिपेन्डेन्ट इम्पार्शल बोर्ड बनाना पड़ेगा इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के इम्पलीमेन्टेशन के लिए, इसके डिस्ट्रिब्यूशन के और हैड वर्क्स को कण्ट्रोल करने के लिए। तो जो आपके समझौते हैं वह ही हो जायेंगे तो बहुत हैं। मुझे आज जानकर यह आश्चर्य हुआ और मुझे खेद भी हुआ कि इससे पहले मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं हुई कि सन् 1973 में ऐसा कोई समझौता हुआ है जिसके द्वारा कि यह कह दिया गया कि हरिके से जितना राजस्थान पानी ले सकेगा

48

(श्री राजबहादुर)

उतना ले ले और बाकी सारा हरियाणा को दे दे। यह कमिटमेन्ट कैसे हो गया? इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। कौन इसका उत्तरदायी है? चाहे बरकत साहब हो या मैं हूं, सवाल यह है कि राजस्थान के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। अनदेखी हुई है। पानी की एक एक बूंद को हम तरसते हैं और उसको बिना किसी कारण लुटा दिया जाता है।

मैं विनती करूंगा कि जहां गंगा यमुना के पानी की बात है यह हो सकता है कि शायद पांच दस वर्ष लगे लेकिन किसाऊ डैम सिर्फ एग्रीमेन्ट न हो सकने के कारण अब बना पड़ा हुआ है। किसाऊ डैम मुश्किल से तीन वर्ष में या चार वर्ष में पूरा हो सकता है लेकिन नहीं हुआ। तो इसको क्यों नहीं किया जाये?

क्या राजस्थान ने कोई तकाजा किया? गंगा केनाल की बात आई, गंग केनाल के बारे में आपने कहा, एक स्टेटमेन्ट में या भाषण में आपने कहा जो मैंने पढ़ा है आपने जो स्पीच दी 21 अगस्त को उसमें रिपोर्ट लिखी है कि गंग केनाल सिल्ट हो गयी है। मेरी जहां तक जानकारी है, मैंने कुछ लोगों से पूछा तो मुझे बताया कि सिल्टेशन की प्राब्लम उसमें नहीं है, लाइनिंग ब्रेक-अप हो गयी है और लाईनिंग ब्रेक-अप होने से, उसका मलवा भर गया है सिल्ट न कहिये उसको, सिल्ट उसमें है ही नहीं। सिल्ट तो बरसों में आती है गंग केनाल को बने हुए कितने दिन हो गये, बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक वहां सिल्टेशन की प्राब्लम नहीं है। उसमें blockig by debri है। उसमें री-लाइनिंग क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं बनती है? क्या कारण है उसका? अगर यहां का हो केन्द्र का वह कन्ट्रोल लूज हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? उसकी री-लाइनिंग होनी है, कोई कम्प्रोमाइज इसमें नहीं होता है किसी किस्म का।

इसी प्रकार एक स्टेटमेन्ट मैंने और पढ़ा कि गुडगांव केनाल जो बन रही है उसका विस्तार करने के लिए कोई सर्वे होने के उपरान्त बनी हुई केनाल एक्सटेण्ड करने के लिए 3 लाख एकड़ की सिचाई की योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है। इस समय हमारे सभापति महोदय जो विराजमान हैं कान्स्टीट्यून्सी में भी इस योजना से पानी पहुंच सकेगा यमुना से आसान है, मुश्किल नहीं है। पहुंच सकता है। लेकिन मुझे खेद इस बात का है, जैसा मुझे मालूम है, अभी तक कोई योजना बनी ही नहीं है इसमें, कोई योजना तैयार नहीं हुई। मैं तो जानना चाहूंगा, जहां तक मुझे मालूम है, जैसा सर्वे होना चाहिये, अभी तो सर्वे तक नहीं हुआ है। हमने जो सवाल किये हैं, इन सवालों पर आप विचार करें और देखें।

अखबार की एक खबर बता दूं। उसमें यह था, झगड़ा चल रहा था पंजाब में और हरियाणा में। थोड़ी सी पुरानी खबर है। हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने कहा है.... "He hoped that a settlement on the construction of the Satlej-Jamuna link canal carrier channel will be reached soon at the Chief Ministers, level". अगर इस लेवल पर बात-चीत होती है और आप उसमें शामिल नहीं होते

(श्री राजबहादुर)

हैं then you would miss the bus. चीफ मिनिस्टर को सतर्क होकर इस योजना में राजस्थान को शामिल करना चाहिये ।

एक बात और कहूं, गुड़गांव नहर बना दी, भरतपुर फीडर बना दी । आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ बरसात का पानी ले सकते हैं, उनके द्वारा यू. पी. की दया पर लेते हैं । इसलिये इस बारे में एग्रीमेंट ऐसा होना है और मुख्य मन्त्रीजी को विशेष रूप से हस्तक्षेप करना है कि एग्रीमेंट ऐसा करें जिससे निश्चित रूप से पानी मिल सके ।

ओखला हैड वर्क्स पर अगर आपका कण्ट्रोल हो तो 500 क्यूसेक्स गुड़गांव नहर से और 300 क्यूसेक्स फीडर से मिल सकता है । उसके अलावा 1200 क्यूसेक्स का हमारा और अधिकार है, दो हजार क्यूसेक्स मिल जाता है तो माननीय सभापति महोदय की कान्स्टीट्यूएन्सी तक पानी पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । यह आपकी कान्स्टीट्यूएंसी को भी मिल जाने के लिये, वस्तु स्थिति ऐसी है । ऐसा नहीं कि सम्भावनाओं से दूर हों । आवश्यकता इस बात की है कि काम कल नहीं आज होना चाहिये, आज नहीं, अभी हो । निर्णय इस वक्त हो । आज इस बात की घोषणा हो । जो कुछ भी भैरोंसिहजी ने कहा है मैंने कहा है, मदेरणाजी ने कहा है. इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप के काम चल सकेंगे और हम से जो राजस्थान उम्मीद और आशा करता है वह पूरी हो सकेगी ।

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज(मसूदा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजबहादुर जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा । आप काफी समय तक केन्द्र के अन्दर मंत्री रहे । आपने अपने समय में राजस्थान को सिंचाई की सुविधा दिलाने के लिये क्या-क्या कार्य किये, कृपया सदन को बताने का कष्ट करें ?

श्री राजबहादुर : प्रश्न यह उठता है....

श्री भैरोंसिह शेखावत: यह सवाल मुख्य मंत्री जी से पूछा जा सकता है । यह केन्द्र में बहुत वर्षों तक मंत्री रहे हैं ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): सभापति महोदय, इस विषय पर मैं अपने विचार रख सकता हूं ...

श्री सभापति: मैं आपको अवसर दूंगा, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजबहादुर : मैं अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं ।

श्री सभापति: भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रश्न को विवाद का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये ।

श्री राजबहादुर: पाइंट आफ इन्फार्मेशन में कहने दीजिए । मैं इतना ही कहना चाहता हूं जो कुछ भी स्थिति थी, राजस्थान के लिये जो भी योजना बनी, सिंचाई के लिये परिवहन के लिये या सड़क के लिये, बिजली के लिये, डाकखाने का या और जो भी महकमे मेरे पास थे, उसमें मैं जो कर सकता था वह मैंने किया सिंचाई के बारे में....

सैयद मोहम्मद अयाज महाराज : इस को एलोबोरेट कीजिये ।

श्री राज बहादुर: एलोबोरेट करने के लिये हम और आप अलग बैठ जायेंगे । मेरी जवाबदारी नहीं है, आपकी पार्टी है ।

सैयदमोहम्मद अयाज महाराज : आप भी रहे हैं ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, सिंचाई और बिजली महत्वपूर्ण विषय हैं । इन पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने काफी शोधपूर्ण वक्तव्य दिये हैं । मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि केवल कुछ विवाद, जिन पर यहां चर्चा की गई है, हल होने चाहिये । परन्तु मूल प्रश्न यह है कि जब तक सिंचाई के महत्व को सही रूप में नहीं माना जायगा तब तक यह इस प्रकार की समस्या है कि हल होने के बाद भी पूरी समस्या हल नहीं होगी, समस्या का बड़ा हिस्सा बना रहेगा । बात दरअसल यह है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है और कृषि बिना पानी के नहीं हो सकती । इसलिये चप्पा-चप्पा जमीन पर पानी पहुंचाना, उस की सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा पहला काम है । जो हम छोटी मोटी बातें सोच रहे हैं केवल उनके आधार पर समस्या हल नहीं हो सकती । इन सारी बातों को हमें इस रूप में तय करना पड़ेगा कि जमीन के हर हिस्से में पानी पहुंचाने का काम, सिंचाई का काम सरकार का है । यह हम घोषणा करें कि पूरी जमीन में पानी देना हमारा काम है, हम देंगे । निश्चित रूप से उसी हिसाब से योजनाएं बननी चाहिये । आज की जो योजना है वह केवल उसका एक हिस्सा मात्र है । यह हमें तय करना चाहिये राष्ट्रीय स्तर पर । राजस्थान की सारी जमीन की सिंचाई का काम सरकार का है । जितने भी साधन हैं चाहे पंजाब के, चाहे हिमाचल प्रदेश के चाहे उत्तर भारत के, चाहे ब्रह्मपुत्र के देश की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, उन सबकी एक बड़ी योजना बनाने से बड़ी मदद मिलेगी । हम यह समझते हैं कि सारे हिन्दुस्तान की जो नदियां हैं, चाहे किसी प्रांत से जा रही हैं, चाहे बहुतायत से नुकसान हो रहा है चाहे कम नुकसान हो रहा है, इन सब बातों को हम विशेष रूप से तभी ले सकते हैं जब यह तय करें कि सिंचाई का काम हमारा है । यह काम किसी एक व्यक्ति पर, किन्हीं व्यक्तियों पर और सरकार के कुछ हिस्से पर नहीं छोड़ा जा सकता । अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले 100 सालों में हिन्दुस्तान की जमीन को पानी नहीं दे सकते । सिंचाई की योजना से पूरी जमीन पर पानी पहुंचाने का सारा काम हमारा है चाहे बांध बनाकर, चाहे नहरों द्वारा पानी पहुंचाना पड़ेगा....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं । यहां पर अन्तर्राज्यीय डिस्प्यूट्स के ऊपर चर्चा हो रही है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मुझे सारे विवाद का हल यही बताना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों के बारे में मिलकर यह तय करें कि बिजली और पानी की व्यवस्था हिन्दुस्तान की सामूहिक व्यवस्था है, इसमें किसी प्रांत को अलग से नहीं लिया जा सकता । इसको सिद्धांत रूप से करने की कोशिश करें ।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह राठौड़ !

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज तीन स्टेटमेन्ट पढ़ कर सदन को यही बतलाया कि इन इन्टर स्टेट मसलों के लिए राज्य सरकार क्या सोचती है ? इस मौके पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी इन्टर स्टेट मसले हैं, यह कोई आज से प्रारम्भ नहीं हुए हैं, वर्षों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से चलते आये हैं। जनता शासन में भी यह इन्टर स्टेट मामले थे और उससे पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त भी थे। कुछ मसले बढ़ सकते हैं ज्यों-ज्यों विकास की गति बढ़ेगी। मैं आपसे इस समय यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक गांधी सागर डैम का प्रश्न है, यह बहुत ही अहम मसला है। राजस्थान का भविष्य इस पर निर्भर है क्योंकि बिजली उससे पैदा होती है। यदि गांधी सागर डैम नहीं भरा तो जितनी बिजली पैदा होनी चाहिये, उतनी पैदा नहीं होगी अगर उतनी बिजली पैदा नहीं कर सके तो उसका सारे जन मानस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है मुख्य मंत्रीजी ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है और भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने भी कबूल किया है कि गांधी सागर के केचमेंट एरिया के अन्दर मध्य प्रदेश सरकार ने बिना भारत सरकार की स्वीकृति के, क्योंकि उनका एरिया है इसलिए, कुछ डैम बना लिये हैं और कुछ डैम बनते जा रहे हैं। अगर यह प्रवृत्ति चलती रही तो गान्धी सागर में जो पानी आना चाहिये वह नहीं आ पायेगा क्योंकि वहां के छोटे छोटे बान्ध पानी से भर जायेंगे और गान्धी सागर खाली रहेगा, गांधी सागर खाली रह गया तो सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट फेल हो जायगा। उसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव राजस्थान की जनता पर पड़ने वाला है। भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी, जो आज विरोधी दल के नेता हैं, ने भी अपने भाषण में बहुत शर्मा बांधी और इस बात को कहा कि मैंने और मेरी सरकार ने तो बहुत प्रयत्न किया था लेकिन अब यह नयी सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी ?

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न आ गया, माननीय सदस्य।

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है चीफ व्हिप कभी डिबेट में भाग नहीं लिया करते हैं। चीफ व्हिप तो कभी भाषण देते नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह भाषण का सवाल नहीं है, परफार्मेन्स शो करने का सवाल है।

श्री खेतसिंह राठौड़ ; मेरी परफार्मेन्स तो मुख्य मंत्रीजी ने देख ली। मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि पार्लियामेंट में यह रूल होगा कि चीफ व्हिप भाग नहीं लेता है। हमारे यहां तो चीफ-व्हिप भाग लेता रहा है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में गिरधारी लालजी व्यास ने भाग लिया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बातें न करें, माननीय सदस्य। आप जारी रखें, माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी जैसी व्यवस्था हो, आप कहें तो बैठ जाऊं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया, आप जारी रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनका मैटर खतम हो गया है, आपका बहाना लेकर बैठना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : इस सदन की यह परिपाटी रही है कि चीफ व्हिप सबसे ज्यादा बोलता है....

(52)

एक माननीय सदस्य : किस चीज में ?

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : डिबेट में और अन्य प्रकार से ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मकसद क्या है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने डिबेट में या अन्य प्रकार से हर मसले पर बोलने के लिये कहा । पाइन्ट आफ आर्डर उठा देते हैं या कोई अन्य रूल में प्रश्न उठा देते हैं, जो सदन की कार्यवाही चल रही है वह ठीक नहीं चल रही है या चल रही है, ऐसे मसले आ जाते हैं तो बोलना पड़ता है लेकिन ऐसे विषयों पर भी बोलते हैं । मैं कोई सरकारी विचार तो प्रकट नहीं कर रहा हूं । सरकारी विचार तो मुख्य मंत्रीजी प्रकट करेंगे ...

श्री सभापति : आप जितना समय लेना चाहें, उतना समय ले लें । मैं आपको नहीं रोकूंगा और न ही घंटी बजाऊंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आधा घंटा भी बोल जायं तो निश्चित रूप से पहाड़ियाजी आपकी परफार्मेन्स मान लेंगे ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं बहुत ही गम्भीर विषय पर निवेदन कर रहा था। मैंने भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्त्तमान विरोधी दल के नेता के बारे में कुछ शब्द कहे तो उन्होंने ऐसा महसूस किया । मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं जब आप मुख्य मंत्री थे तब आपने क्या किया ? आप उस वक्त इर्रीगेशन मिनिस्टर थे । जो आपके पास बैठे हुए हैं वे उस समय इर्रीगेशन और पावर मंत्री थे । आपकी दो-तीन मीटिंग्स हुईं और जैसा आपने स्वयं ने माना कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी श्री सकलेचा साहब आपके परम मित्र हैं, नेकर पहन कर साथ रहे हुए हैं, फिर भी मित्र होते हुए भी इस समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ सके ? तो ये ऐसे मसले हैं जिनका आसानी से हल नहीं ढूंढा जा सकता है । आपने कहा बैठक हो रही थी और बैठक में गरमा-गरमी के साथ झड़प भी हो गई । राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी आपस में झड़प होने के कारण आज तक नहीं बोलते हैं हालांकि शानदार पार्टी हुई और शानदार तरीके से रहे लेकिन आप इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाये । आपने रिक्वेस्ट जरूर की होगी । नेकर का राज था । यह भी कहा होगा कि हमें भी कान्स्टीट्यूएन्सी का ध्यान रखना पड़ता है । उसका नतीजा यह हुआ आपके 28 महीने के कार्यकाल के अन्दर इस कैचमेन्ट एरिया में चार डैम बन गये और दो डैम का कन्स्ट्रक्शन अब भी चल रहा है । इससे इतना विश्वासघात हुआ कि राजस्थान की जनता को काफी खामियाजा उठाना पड़ा ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको अधिकारियों ने ब्रीफ किया होगा । साथ में यह भी पूछ लें कि जनता पार्टी के आने से पहले कितने बान्ध बन गये थे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता पार्टी के आने से पहले बांध बने नहीं थे, प्लान बना था । आपका शासन आने पर ही यह सारा शुरू हुआ है, यह आप निश्चित मानें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सही सूचना नहीं दी है ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे पास सूचना कहां से आयेगी? या तो आप भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं या भूतपूर्व इरींगेशन मिनिस्टर आप के पास बैठे हैं । इन्होंने सारी सूचनाएं ली हैं या वर्तमान मुख्य मंत्रीजी को है क्योंकि इनके पास डिपार्टमेंट है मेरे पास कहां से आने लगी ?

(व्यवधान)

भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के पास में सही सूचनाएं, जो कि आथेन्टिक सूचनाएं हैं, ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है....

एक माननीय सदस्य : आपने तो कई फाइलों से कागज निकाले हैं ....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस बात को छोड़िये ।

मैं तो यह निवेदन कर रहा था, यह बात सही है कि दूरगामी असर पड़ने वाला है । इसलिये मैं खास तौर से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ये तीनों मसले और इस प्रकार के बीसों मसले हो सकते हैं जिसमें इन्टर स्टेट का हित है, राजस्थान का हित है । अपने को पानी मिलना चाहिये, बिजली मिलनी चाहिये एक खास बात इस में यह है कि अपने स्टेट में नदियां शुरू नहीं होती है एक चम्बल नदी है वह भी मध्य प्रदेश में चली जाती है और उन्हीं का ज्यादा हिस्सा रहता है इसलिये वे कैचमेंट एरिया में बांध बना लेते हैं । अपना तो कोई ताल्लुक ही नहीं है । यही कारण हो जाता है कि हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ जाता है । चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो और हिमाचल प्रदेश हो, पानी उनके पास रहता है इसलिये हमें उन पर मोहताज होना पड़ता है ।

हैड वर्क्स के बारे में भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसके काल अटेन्शन मोशन और एडजॉर्नमेन्ट मोशन रखे हैं और आपने जवाब दिया था कि चन्द दिनों में फैसला करेंगे लेकिन आपको भी उस समय के प्रधान मंत्री, मोरारजी भाई ने घुड़की दी और आप वापस आ गये । आज भी स्थिति ऐसी की ऐसी पड़ी है कोई किसी के हाथ में नहीं है । जिस स्टेट का ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है उस स्टेट के मुख्य मंत्री जी निश्चित रूप से चाहेंगे कि मेरी स्टेट को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, अपन भी चाहेंगे भगवान की कृपा से और जनता ने जो विश्वास प्रकट किया है श्रीमती इन्दिरा गांधी में और कांग्रेस (आई) में उसमे आने वाले महीनों में कुछ समस्यायें निश्चित रूप से हल होंगी । जो आपने प्रयत्न किये थे, उससे ज्यादा ही सफलता हासिल होगी और अपने को ज्यादा लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिया कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिये और तीन-चार माननीय सदस्यों के नाम लिये हैं, मुझे इसलिये बोलना पड़ा कि मेरा नाम कैसे भूल गये ··

(व्यवधान)

लेकिन छोड़िये, इस बात को मैं निश्चित रूप से मानता हूं ....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने नाम नहीं लिया लेकिन आपकी परफार्मेन्स से पता लग गया कि उस कमेटी में आपका कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं चाहता हूं ऐसे मसलों में....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, No interruption.

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं ऐसे मसलों पर निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये सदन के जो माननीय सदस्य रुचि रखते हैं और इन्टर स्टेट सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे सुझाव दे सकते हैं, उनके सुझाव आने चाहियें। हम भारत सरकार के सामने जाकर केस को पुटअप करें और काफी दबाव डालें तभी जाकर लाभ मिल सकेगा वरना निश्चित मानिये कि इस सब्जेक्ट को लेकर पेपर पब्लिसिटी का हिसाब करें, इधर हम यह कोशिश करें कि हमारी पार्टी का सहयोग है, आप सहयोग नहीं दें। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति रहेगी तो दूसरे स्टेट्स, जिनमें से नदियां गुजरती हैं या निकलती हैं, अपने से हल्के नहीं हैं वह कभी भी अपना शेयर, अपना वाजिब शेयर देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इन सारे मसलों पर अपने को एक ऐसा वातावरण बनाकर भारत सरकार के सामने कोशिश करनी चाहिये जिससे अपने को ज्यादा से ज्यादा, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे जल का मामला हो, शेयर मिले और उससे लाभ उठाकर राजस्थान की जनता का हित करें।

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी। संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, जल के विषय को लेकर अन्तर्राज्यीय जो विवाद आज प्रदेश के सामने प्रस्तुत है, उस विषय में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, वह भूल गये, आज बता रहे थे, आप सुन तो लीजिए, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय चतुर्वेदीजी, जारी रखें आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उस विषय में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन वक्तव्य दिये हैं। मैं गांधीसागर के विषय में चेयर के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, गांधीसागर के कैचमेन्ट का जो विषय है, उसे राजनीति से दूर रख कर प्रदेश को बिजली और सिंचाई के लिये पानी का शेयर मिले इन दोनों विषयों को सामने रख कर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इन सारे मसलों में कैचमेंट का प्रश्न है इन सारी मांगों में पूरे स्टोरेज का प्रश्न है वह 5.3 मिलियन एकड़ फीट है, बंटवारा सामान्य रूप से हुआ है, लाइव स्टोरेज 3.2 मिलियन एकड़ फीट का। 1.6 राजस्थान के लिए, 1.6 मध्य प्रदेश के लिए। इसके सिवाय भी जो पानी ऊपर से आता है, गांधीसागर से प्राप्त होता है, उसका दोनों प्रदेश 50-50 प्रतिशत के हिसाब से प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार का मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में समझौता है। इस सारे कैचमैन्ट के विषय को मैं दो तरह से देखने का प्रयास करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक सोचने का ढंग यह है कि अपने हिस्से में आने वाले पूरे पानी का पूरा उपयोग कर सकें, बंटवारे में मिले 1.6 का प्रयोग कर सकें और उसके ऊपर जो और पानी हमको गांधीसागर से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मिलता है, उसका प्रयोग कर सकें तो शायद हम निरुत्साहित कर सकते हैं, मध्य प्रदेश को कैचमेन्ट एरिया में नया बांध बांधने के लिए। जो मूल योजना चम्बल की बनी थी, उसमें यह व्यवस्था थी कि अपने यहां 7 लाख एकड़ की हम सिंचाई करेंगे। चम्बल की योजना जो बनी हुई थी, उसके अन्दर हम 5·6 लाख एकड़ में प्रयोग करते रहे। मूल योजना में बाकी जो 1.4 है, उसका प्रयोग करने की व्यवस्था थी, वह व्यवस्था थी, लिफ्टस के द्वारा पानी का प्रयोग कुछ और ऐसे स्थानों पर कर लें, जहां पलों के द्वारा पानी नहीं पहुंचता है। दूसरी व्यवस्था थी, बूंदी ब्रांच एक्सटेन्शन की, बूंदी ब्रांच को आगे बढ़ा दिया जाय ताकि लाखेरी क्षेत्र में कुछ सिंचाई कर सकें। इन्द्रगढ़ में कुछ सिंचाई कर सकें और उससे आगे पहुंचकर सवाई माधोपुर के क्षेत्र में सिंचाई कर सकें। माननीय सभापति महोदय लिफ्ट के लिए जो मूल योजना बनी थी, उसमें एक लाख एकड़ सिंचाई हो सके, ऐसी व्यवस्था थी। बूंदी ब्रांच एक्सटेंशन में 70 हजार एकड़ की सिंचाई हो ऐसी, व्यवस्था थी, पर शायद प्रावधान नहीं कर सके। इसलिए एक आवश्यकता तो अब भी है, क्योंकि लाइन स्टोरेज 5-3 का है और 3-2 का बंटवारा है। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है कि जो बची हुई योजना है उसको हम जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से पूरा करे ताकि मध्य प्रदेश के सामने उस केस को ज़ोर से रख सकें और केन्द्र सरकार के सामने रख सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से प्रयत्न किये जाने प्रारम्भ हुए हैं। 25 हजार एकड़ पिछली बार पहले लिफ्ट की दृष्टि से हुई है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि तीस लाख का जो मूल प्रावधान किया था वह एक करोड़ हो जाय तो और प्रोजेक्ट्स हो जायेंगे। 11 करोड़ की योजना हमने सी. डब्ल्यू. सी. के पास भेजी है, वह मंजूर हो जायेगी तो उससे 1 लाख एकड़ की लिफ्ट से सिंचाई होगी। जिसका खर्चा शायद पलो सिंचाई से बहुत कम आता है। दूसरा दृष्टिकोण मेरा देखने का आपके सामने बताया, वह दृष्टिकोण है सचमुच 1960 से इस क्षेत्र में और बांध बनाने प्रारम्भ हो गये। 1975 की स्टेण्डिन्ग कमेटी में राजस्थान सरकार ने इस बात का बहुत आग्रह रखा। कि मध्य प्रदेश सरकार उन सारे डेम्स को बनाये। योजनाओं को बनाये, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। 77 में मीटिंग हुई, 78 में मीटिंग हुई। 79 में आये लेकिन उत्तर नहीं दिया तो अपने यहां से टीम भेजी गयी। टीम चुपचाप गई व सारा सर्वे करके आयी ताकि अगली मीटिंग में उन बातों को रखने की कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे बनाने की प्रक्रिया में है इसका मुझे डर लगता है। पानी इतना कम बरस रहा है, पिछले वर्ष भी कम बरसा। कम बरसा तो पानी की बहुत बड़ी कमी न केवल चम्बल के अन्दर बल्कि राजस्थान के क्षेत्र में आयेगी। इसके लिये हमारे पास उपाय हैं, जिनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी ने चर्चा की। वह उपाय हैं जिनके अपनाने के कारण शायद ज्यादा मध्य प्रदेश से चर्चा करने की जरूरत नहीं। मध्य-प्रदेश को निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि वह अपने इस प्रकार के सारे काम बन्द

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कर सके। मैं एक बात कहना चाहता हूं इस विषय में मध्य प्रदेश से बात करनी चाहिये, मध्य प्रदेश मानेगा नहीं। इसलिये केन्द्रीय सरकार से बात करने की आवश्यकता है और निर्माण के काम को अविलम्ब रुकवाने की जरूरत है। अगर यह व्यवस्था नहीं होती है तो बिलकुल देर करने की आवश्यकता नहीं। हमको सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय।

सतलज रावी व्यास के पानी का जिक्र हुआ, उस सारे केस को भी मैं इस नाते से देखने की कोशिश करता हूं कि जितना पानी अपने को मिला उस पानी का अधिक से अधिक उपयोग करते चले जायें और ऐसी स्थिति न आने दें जैसा कि बार-बार कहा जाता है कि अगर पानी का उपयोग नहीं करते हैं तो दूसरे प्रदेश कर सकेंगे। मैं इस नाते आपके सामने कुछ विषय रखना चाहूंगा आज के प्रमुख जो प्रोजेक्टस हैं, इनको बनाने के दो तरीके है, एक तो तरीका है, हरियाणा से भाखड़ा मेन केनाल फतेहाबाद ब्रांच रेजिंग करवा कर उससे पानी लिया जाय। एक प्रोजेक्ट का तरीका है, इसमें बड़ी गड़बड़ है इसमें हरियाणा हरियाणा में इन्वाल्व होगा, पंजाब में भी इन्वोल्व होता है वे चर्चा ही नहीं करते, वे मीटिंग ही नहीं करते, वे बात ही नहीं करते। वह कितना पैसा लेंगे ? और पानी लेंगे तो कितना लेंगे ? किस तरह ले जायेंगे ? यह बहुत बडी कठिनाई है। तो नोहर सिद्धमुख प्रोजेक्ट को पूरा करना है। दूसरा तरीका और है, राजस्थान केनाल से लिफ्ट की योजना बन जाय, जिसका प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है जो हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन के पास भेजा हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि सैन्ट्रल वाटर कमीशन से बात करें और राजस्थान कैनाल से लिफ्ट करके नोहर सिद्धमुख योजना को पानी देने की जो योजना है, उसको प्राथमिकता दे तो यह पानी हमको प्राप्त हो सकेगा। पानी का उपयोग हम कर सकेंगे। पानी का उपयोग कर सकेंगे तो जो बहुत बड़े झंझट पंजाब और हरियाणा के आयेंगे, उनसे बच सकेंगे और हमारी मांग पूरी हो सकेगी। इस विषय को, इस बात को मैंने पहले भी रखने की कोशिश की है। मैं गंग नहर, जो बीकानेर नहर कहलाती है, की पंजाब के क्षेत्र में रिपेयर की चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। यह क्षेत्र पंजाब में हैं। पंजाब यह चाहता है, अभी जैसा कि तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने बताया, उन्होंने हमारे सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा था कि एक कम्बाईण्ड कैनाल बना ली जावे। वे चाहते हैं कि राजस्थान सरकार पंजाब की मर्जी पर रहे, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि इसको रिजेक्ट कर दिया है। बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि चांदभान ड्रेन के पास एक लिंक बन सकती है। हमने पंजाब सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि आर डी 203 पंजाब के क्षेत्र में है, उसमें बहुत अधिक टूट फूट हुई है। वहां बांध बन जाने से इसको पूरा किया जा सकता है। आर. डी. 203 में काम प्रारम्भ किया जाना चाहिये। पंजाब इसमें हमेशा रोड़े अटकाता रहा है। यह चांदभान ड्रेन के पास लिफ्ट बन जाती है तो उससे पंजाब में वाटर लोगिंग हो जायगा। माननीय सभापति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस वाटर लोगिंग की चर्चा पंजाब ने की है और शत-प्रतिशत जो सुधार करना है उस सारे प्रश्न को सी. पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों ने आकर देख लिया लिया है। उन्होंने शायद अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि वहां पर वाटर लोगिंग नहीं होगा। अब अपने को परश्यू करने की आवश्यकता है। हम सी. पी. डब्ल्यू. डी. से परश्यू करें कि चांदभान ड्रेन के पास लिंक बनाया जावे और लिंक बना कर गंग केनाल, जो बीकानेर में जाती है, तुरन्त री-मोडलिंग करना शुरू करें ताकि जितना पानी है वह पानी भी मिलना प्रारम्भ हो जावे। इस बात की बहुत आवश्यकता है।

कण्ट्रोल ऑफ हैंड वर्क्स के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। यह राजनीति की चर्चा का विषय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने के सिवाय इसका दूसरा चारा नहीं है। सात दिन की बात तो मैं नहीं करता लेकिन प्रधान मंत्री ने पंजाब को कहा था कि तुरन्त थोड़े समय में हैंड ओवर कर दे। लेकिन प्रधान मंत्री के कहने के बाद भी हैंड ओवर नहीं किये गये। पंजाब अभी भी अड़ंगे लगा रहा है। मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अपील है कि इस विषय पर अधिक देर करने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार भाखड़ा, व्यास, हरिके, फिरोजपुर नहर का काम सौंपा जाना चाहिये। चाहे वह हरिके हो, चाहे नांगल का मामला हो, फिरोजपुर हो, या रोपड़ हो, यह सारा हैंड वर्क का काम मैनेजमेंट बोर्ड को सौंपा जाना चाहिये इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं थोड़ी सी चर्चा थीन डैम के बारे में करना चाहूंगा। थीन डैम का मसला, जिसमें नाथपा झाखड़ी, मुकेरियां, आनन्दपुर साहब सब इसमें मिले हुए हैं, काफी पुराना हो गया है। एटर्नी जनरल ने अपनी राय दे दी है। अटार्नी जनरल की राय जब आ गई है तो अब प्रधान मंत्री का निर्णय होना है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ सारा सदन है, पक्ष-विपक्ष के सभी लोग हैं। बिजली का इतना बड़ा विषय है कि इस विषय के साथ सारे राजस्थान की बहबूदी का सवाल जुड़ा हुआ है। एक विषय पर निर्णय होते ही बाकी सारे विषय अपने आप हल हो जायेंगे। इसलिए अटार्नी जनरल की राय आ गई है तो उस राय के आधार पर तुरन्त प्रधान मंत्री जी निर्णय करें। जहां पानी, बिजली में हिस्सा आज तक लेते आए हैं, हमें इसमें भी हिस्सा मिले इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं चाहता हूं कि ओखला व ताजेवाला, इन दोनों का री-माडलिंग हो; मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। गंगा-यमुना के पानी की बात कर रहे हैं। यह बात सच है, कि मिलना चाहिए। हमारे यहां से बड़ी स्कीम्स बना कर भेजी हुई हैं कि किस प्रकार से लिफ्ट पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में हो सकता है और इधर की सारी आबादी में भी सिंचाई हो सकती है। अपने यहां से योजना बना कर भेजी गई थी, इसको परश्यू करने की आवश्यकता है। ओखला और ताजेवाला का री-माडलिंग हो गया। उसमें गुडगांवा केनाल की कपेसिटी को तो शामिल कर लिया गया है

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

लेकिन राजस्थान का जो एडीशनल शेयर है, उसके लिये राजस्थान का हिस्सा नहीं रखा गया है। अगर री-माडलिंग हो गया और हमसे पैसा नहीं लिया गया, हमारे शेयर का री-माडलिंग करते समय ध्यान नहीं रखा गया तो मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि इससे जो पानी मिलने की बहुत जल्दी व्यवस्था हो सकती है वह भी हमको नहीं मिलेगा।

एक और बड़ा विषय है जिसकी मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाहूंगा। मसानी डैम है, हरियाणा में वह मसानी डैम बन रहा है। दिल्ली हम जाते हैं तब उसको देखने का मौका मिलता है। फुल रिजर्वायर लेवल से मैक्जीमम वाटर लेवल के बीच के एरिया के कम्पन्सेशन, एक्वीजिशन का मामला है। बीच में जो बैक वाटर आएगा वह बैक वाटर हमारे राजस्थान के कुछ हिस्सों को डुबायेगा। कोट कासिम अच्छा कस्बा है, उस जगह की जमीन, वहां की प्रापर्टी उसके डूब में आने वाली है। मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा इश्यू है जिसमें कम्पनसेशन और एक्वीजिशन का मामला जुड़ा हुआ है। क्या डिजाइन बनाया है हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार को वह मालूम होना चाहिए। राजस्थान सरकार की इसमें स्वीकृति होनी चाहिए। राजस्थान सरकार की सहमति की आवश्यकता है। मसानी डैम बन रहा है इस मसानी डैम से नई प्राब्लम राजस्थान के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह भी इन्टर-स्टेट इश्यू है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

अब मैं आपको के पी डैन के बारे में कहना चाहूंगा। हम लगातार केन्द्रीय सरकार से निवेदन करते रहे कि इस पर जो रेगुलेटर बने हुए हैं उससे भरतपुर में सारा फ्लडिंग होता है। इस पर केन्द्रीय सरकार और सी. पी. डब्ल्यू. डी. का अधिकार होना चाहिए और उसके द्वारा इसकी व्यवस्था की जावे, छः फीट ऊंचा बांध बनाया है। हमें पानी देने वाले हैं उनका री-माडलिंग किया जाना चाहिए। किन्तु इस प्रकार की जब व्यवस्था होती है उस समय ग्रामीण भाई, वहां के लोग आकर के काट देते हैं, तोड़ देते हैं इसकी व्यवस्था को। के पी ड्रैन की सारी व्यवस्था सी. पी. डब्लयू. डी. के हाथ में हो इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। इन सारे इश्यूज पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सारे दलों के प्रमुख लोगों की कोई न कोई कमेटी बने। विरोधी पक्ष के नेता ने शुरू में कहा था कि इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर राजनीति से अलग रह कर विचार करें आज प्रदेश के इंट्रेस्ट का सवाल है, इसलिए इस प्रकार की स्थायी कमेटी बने जो इस क्षेत्र में जानकारी रखती हों, जो विशेषज्ञता इस बारे में रखती हों। इस प्रकार के इश्यूज को परश्यू करने के लिये तुरन्त प्रयास करने की आवश्यकता है।

एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि सारे जल का विषय केन्द्र के आधार पर होना चाहिए। इसको समवर्ती सूची में लिया जाना चाहिए। सारी नदियों का विकास केन्द्र को करना चाहिए जिससे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सभी प्रदेशों का भला हो। इस बात को करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्यमंत्री) : श्रीमन् यह बहुत खुशी की बात है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर राज नैतिक आधार पर कोई विवाद नहीं है। सदन के सभी माननीय सदस्य इस मसले पर एक राय रखते हैं जो उन्होंने सहयोग का, समर्थन का आश्वासन दिलाया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमन् सारे सदन की क्या भावना है, इस मसले पर? इस बात की जानकारी केन्द्रीय सरकार को है। श्रीमान्, पिछली बार यहां पर जब चर्चा हुई थी उसके बाद मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला था तब इस बात का आभास ही नहीं परन्तु इस बात का पता

(1.59 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

चला हमको कि राजस्थान की भावना केन्द्रीय सरकार तक पहुंच गई है और केन्द्रीय सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ इस बात को लिया है।

श्रीमन्, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जो अहम मसला है हमारे लिये जो हमारे जीवन मरण का सवाल है राजस्थान के लिए, सिंचाई और बिजली का, इस सवाल को राजनीति में लें यह राजनीति का विषय है भी नहीं। पिछली सरकार ने क्या किया, वह भी विवाद का विषय नहीं है। जो भी सरकार आती है वह इस प्रकार की कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा विकास के काम उनके जमाने के अन्दर होने चाहिए। इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूं। कभी छुटपुट घटनायें ऐसी हो जाती हैं जो कि कभी जानकारी में आए और कभी जानकारी में आये बिना भी पड़ोसी प्रदेश कर लिया करते हैं। इस प्रदेश की सरकार को जिस समय भी पता चला तो जो भी कायदे कानून के अनुसार प्रोटेस्ट किया जा सकता है, वह किया गया है।

मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर व्यक्त किये हैं, जो भावनायें व्यक्त की हैं वह सारे सदन की भावना है, सारे प्रान्त की भावना है। इन भावनाओं के अनुरूप, उन्हीं भावनाओं को, गंभीरता के साथ यहां पर विचार व्यक्त किए गए हैं, केन्द्रीय सरकार तक पहुंचाऊंगा। मुझे इस बात का यकीन है, श्रीमन्, चूंकि सारा सदन इस मामले में एक है, सारा राजस्थान एक है। केन्द्र सरकार हमारी भावना की कद्र करेगी, उसकी अवहेलना वह नहीं कर सकती है। केन्द्र सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है, हमारे पड़ौस के प्रान्त चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे वह प्रान्त हो जो हमारे बिलकुल पड़ोस में नहीं हो, लेकिन जिनके साथ हम हिस्सेदार हैं, बिजली में और पानी में, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब उनको बिजली और पानी की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है जितनी राजस्थान को है। राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग, आज न केवल असिंचित है, बल्कि हमारे सामने कई क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या का सवाल है। इसलिए जब हम सिंचाई की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं तब हम भारत सरकार को

60

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

स्पष्ट तौर पर कहते हैं, यह मामला केवल सिंचाई का नहीं, बिजली का नहीं, केवल राजस्थान के विकास का नहीं बहुत बड़ा मानवीय प्रश्न है। आज हम किसी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सकें, यह अच्छी बात नहीं है, श्रीमन्। प्रधान मन्त्री ने, सिंचाईमन्त्रीजी ने, विद्युत मन्त्रीजी ने हमारी इन सब बातों से न केवल सहमति प्रकट की है, बल्कि समय-समय पर इस बात का आश्वासन दिया है कि इन प्रश्नों पर उसी प्रकार गम्भीरता से विचार करेंगे। गंभीरता से विचार की बात जब मैं कहता हूं, तो श्रीमन, इस बात का भरोसा करके चलता हूं, जिस प्रकार अभी तक उन्होंने मदद की है, उसी प्रकार राजस्थान की आवश्यकता को देखते हुए, हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए हमारी मदद करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का पुनः आभार प्रकट करता हूं, इसलिए नहीं कि उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया, यह तो श्रीमन् एक ऐसा सवाल है, चाहे हम यहां बैठे हों, चाहे कुछ माननीय सदस्य उधर बैठे हों, जहां तक राजस्थान का सवाल है, सबके लिये यह समान महत्व का प्रश्न है। इसमें सबकी भागीदारी होगी, अगर राजस्थान के लिए हम कुछ कर पाते हैं।

एक ही निवेदन करना है जब सब बातों की चर्चा करने का मौका मिला था, जब हमने पिछले दिनों सिंचाई विभाग पर चर्चा की थी, उस समय बहुत सारे प्रश्नों का ब्योरा दिया गया। जिनकी चर्चा की, उनका मैं जवाब दे सका। यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा है कि एक नोट सर्कूयूलेट कर देना चाहिये। मैं मानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं होगी। जिन्होंने इस महकमे को डील किया है वे या जो मुख्य मन्त्री रहे हैं, केवल उनको जानकारी हो सकती है। अन्य को अपने-अपने क्षेत्र से लगी हुई बाते हैं, उनकी जानकारी हो सकती है, इसको मैं कबूल करता हूं। इसलिये मैं जानकारी के तौर पर कह सकता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगले सत्र में या अगले सत्र के पहले नोट सर्कयूलेट सब माननीय सदस्यों को कर देंगे। और नोट केवल हम इस मामले में सदन के सदस्यों को ही सर्कयूलेट नहीं करेंगे चूंकि ठीक कहा कि दिल्ली में भी हमारी लॉबी होनी चाहिये ताकि हमारे क्लेम को ज्यादा स्ट्रेस कर सकें। स्ट्रेस करके पार्लियामेन्ट के अन्दर कह सकें और पार्लियामेन्ट के बाहर जो कमेटी वगैरह है, उनमें कह सके। राजस्थान के जो संसद के सदस्यगण हैं, चाहे लोक सभा के हों, चाहे राज्य सभा के हों, उनसे दो बार पिछले सत्र में मैं मिल चुका हूं, उनको दो बार पत्र लिख चुका हूं। मैं मानता हूं सबको समय नहीं होता है और मुझे क्षमा करें, मेरी दस बार जाने की क्षमता होती नहीं है। आवश्यकता पड़ती है दुबारा कोई बात समझा दी जाय तो मैं समझता हूं दुबारा समझाने के लिए नोट सर्कयूलेट करना पड़ेगा, हो सकता है हमें भी दुबारा सामने जाना पड़े। हो सकता है उनको यहां बुलाकर, एम. एल. एज. के साथ मिलकर मीटिंग कर लें, वरना वहां अफसरों को भेजकर उनको समझाने का काम करें। उससे उनको आसानी हो जायेगी, और वह हमारे क्लेम को रख सकेंगे।

श्रीमन्, मैं बात के जवाब के तौर पर नहीं केवल जानकारी के तौर पर निवेदन कर रहा हूं। इण्डियन एक्सप्रेस के 22

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तारीख के अंक की यहां चर्चा की गई है। जल्दी में 22 तारीख का इण्डियन एक्सप्रेस नहीं मिला, लेकिन उसी तरह का समाचार हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है उसकी कटिंग मेरे पास है। जो चर्चा विपक्ष के नेता ने की है उसमें वह ज्यों की त्यों है। हो सकता है अखबारों ने अपने ढंग से एक्सपर्ट रूप से कही हो, लेकिन मुझे इतना ही निवेदन करना है कि हमने कल ही भारत सरकार के सैक्रेटरी ऑफ इकानामिक अफेयर्स से इस बात की जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने बहुत साफ कहा है। वर्ल्ड बैंक की नीति, वह कह रहे थे, जरूर थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक के सामने डिस्पोजल की चर्चा इसमें की गई है उसको डिस्पोज नहीं किया गया है। भारत सरकार का सचिव इस मामले को देखता है वह कहता है, हमको बात माननी पड़ेगी। हम शंका करके नहीं चल सकते हैं। वह बात और तरह से कहते हैं। तो दिल्ली जाकर फिर हम और खुलासा करेंगे वर्ल्ड बैंक से तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस चर्चा के अन्दर, श्रीमान् सैक्रेटरी ऑफ इकानामिक अफेयर्स तो नहीं थे। मालुम हुआ है' इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के जाइन्ट सैक्रेटरी थे। उनसे विचार किया है। उन्होंने कहा कि डिस्पोज नहीं किया गया है। फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जब भी दिल्ली जायेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्रीमान नाथपा झाखड़ी, कौल, और दूसरे प्रोजेक्ट की चर्चा, मैंने निवेदन किया, हम कई बार कर चुके हैं। आज यदि आप चाहें तो विस्तार के तौर पर करना चाहूं, तो बहुत समय लगेगा। एक बात अभी नयी निकली है, थीन डेम के बारे में। जिसकी चर्चा हम पहले नहीं कर पाये थे। श्रीमान्, यह बात सही है कि थीन डेम के अन्दर जहां हमारा एक चीज में हिस्सा है तो दूसरी से यह क्यों नहीं होना चाहिये ? इसके लिए पहली सरकारों ने कोशिश की होगी। पिछले दिनों जब विद्युत मन्त्रीजी यहां आये थे, उनके सामने हमने अपने क्लेम को रखा था। श्रीमान्, जून के महीने में एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अन्दर विद्युत मन्त्रियों की, उसके अन्दर हमने अपना क्लेम रखा। मुझे आशा है, श्रीमान्, जैसा हाव भाव से लगता था, जैसा बातचीत से लगा, हमारे क्लेम के अन्दर वह वजन मानते हैं। हमारा क्लेम तो है ही सही, लेकिन वह भी मुझे ऐसा लगता है, इसमें वजन मानते हैं। और वह वजन नहीं मानते हैं तो मनवाना पड़ेगा। हमारी बात मनवानी पड़ेगी। भाखड़ा नांगल के अन्दर हमारा शेयर दोनों चीजों में है। श्रीमन्, यह कैसे हो सकता है, जब एक प्रोजेक्ट में हमारा शेयर है: पानी और बिजली में तो दूसरे में क्यों नहीं ? एक में ही शेयर हो, यह नहीं हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो यकीन दिलाना चाहता हूं. मुझे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं श्रीमान आपके माध्यम से फिर सदन के सामने हाजिर हो जाऊंगा। मैं कोई बात इस मामले में सदन से छुपाना नहीं चाहूंगा क्योंकि यह सारे राजस्थान का सवाल है। अगर हमने एक मामले में मान लिया किसी बात को तो आगे चल कर बहुत सारे प्रोजेक्ट और आयेंगे। यह रोज रोज का एक क्रम चलता हुआ है चलता रहेगा। हमने योजनाएं बनायी हो सकता है, उन पर पुनर्विचार करना पड़ेगा अगर नये तरीके डवलप हो जायं तो। श्रीमन्, मैंने आपको निवेदन किया, इस मामले में कोई बात सदन से छुपाकर नहीं चलूंगा।

एक ही बात निवेदन करनी है....

श्री परसराम मदेरणा : तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अटर्नी जनरल की राय ली थी, अटार्नी जनरल में सभी इन्ट्रेस्टेड पार्टीज को सुना। उन्होंने अपने मेमोरेण्डम पेश किये। एडवोकेट्स अपाइन्ट किये, एडवोकेट्स की कई महीने बहस चलती रही, बहस के बाद अटार्नी जनरल ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मन्त्री को दे दी है। अब मामला प्रधान मन्त्री के विचाराधीन है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : ठीक है।

श्रीमान्, इस बात की चर्चा मैं करने ही जा रहा था। अभी माननीय सदस्य ने जिस बात की चर्चा की वह सही है। प्रधान मन्त्री जी ने यह मामला अटार्नी जनरल को दिया था और कहा था कि आप दोनों राज्यों को सुन कर राय दें। उन्होंने दोनों राज्यों के पक्ष को सुना और अपनी कोई राय दी। श्रीमान अभी तक मेरा इस पर कहने का हक है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जो सुना है, हमें सही सूचना मिली है कि राजस्थान के पक्ष में राय दी गई है। अब हमें प्रधान मन्त्री जी से निवेदन करना है कि अटार्नी जनरल ने राय है उसके अनुसार राजस्थान का हक दिला दे। मैं विपक्ष के नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी के साथ अक्टूबर, 77 में जो मीटिंग हुई थी उसमें इस बात का फैसला किया गया था कि इंटर स्टेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये। मालुम नहीं, अब तक यह मामला कहां अटका रहा? हम इसकी कोशिश करेंगे कि जो काम अब तक नहीं हो पाया, किसी कारण से सही, मैं किसी को दोष नहीं देता, कि जोर नहीं दिया, जरूर दिया होगा, यह मामले ही कुछ ऐसे हैं, कि कंट्रोल बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये, जिसमें हम सदस्य हों। इससे कई समस्याओं का समाधान करने में आसानी मिलेगी।

श्रीमान, मैंने आपको निवेदन किया, मैं आपसे कोई भी बात छिपाऊंगा नहीं लेकिन चूंकि मामला सारे राजस्थान के हित का है इसलिये केवल सारे राजस्थान तक ही बात जानी चाहिये। खबरों के जरिये से पब्लिक को इस बारे में जानकारी मिले इस बात की कोशिश हमने पहले भी की है फिर कोशिश करेंगे। वे हमारे पक्ष में हों, हमारे विपक्ष में हों, मैंने निवेदन किया, उनको आजादी है, जो चाहें लिखें, सच लिखें झूठ लिखें, और चाहे भैरोंसिंह जी के पक्ष में लिखें, विपक्ष में लिखें। हमको आवश्यकता इस बात की नहीं है क्योंकि जो काम हम करेंगे वह काम सामने आ ही जायेगा, काम बोलेगा। लेकिन चूंकि यह पक्ष पब्लिक के सामने आना चाहिये इसलिए चाहे अखबार वाले और कुछ मामलों में कुछ भी लिखते हो लेकिन राजस्थान की जनता को समय समय पर जानकारी मिलती रहे इस बात का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारा काम उनको बुला कर सारी बातों की जानकारी देना है। वे छापेंगे या नहीं, कितना लिखेंगे, किस ढंग से लिखेंगे इस बात का फैसला श्रीमन हम और आप कर नहीं सकते हैं। आपको शायद अधिकार हो तो हो मुझे तो है नहीं। मैं जरूर अपना सारा विवरण दे दिया करूंगा जिससे सबको जानकारी मिलती रहे। लेकिन एक तरमीम श्रीमन् इसमें कर रहा हूं। वह यह है कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिनकी जानकारी समय के पूर्व में देना राजस्थान के हित में नहीं होता, उन बातों के संबंध में आपसे माफी चाहूंगा। ऐसी बातें तो आवश्यकता होगी तभी कही

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

जायगी वरना हमारा नुकसान हो सकता है। राजस्थान केनाल के लिये,

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी सीक्रेट जानकारी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को काल डाउन कैसे किया जा सकता है ? उनके पास इस प्रकार का कोई बाया-मिडिया, सोलूशन है। उसकी हाउस के बाहर माननीय सदस्य जानकारी दे दें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन् गंग केनाल की मरम्मत और इससे मिलने वाले पानी के सिलसिले में मैंने सिचाई विभाग को बार-बार बता दिया था। हम जानते हैं- इस बात को कि पंजाब के साथ मिलकर नहर बना लें तो कंट्रोल पंजाब के हाथ में रहेगा, पानी हमको नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। लेकिन चूंकि मामला पंजाब के हाथ में है, उनकी सीमा पर पूरी की पूरी नहर बनी हुई है 97 या 99 में से 27 राजस्थान में पड़ती है इससे ज्यादा है झगड़ा करना भी उचित नहीं। मुझे भरोसा है, इस बात का है, कि वार्तों के जरिये रास्ता निकल आयेगा। जैसी कि मैंने आपको सूचना दी थी कि कई मामलों के बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी दिल्ली में मुझसे मिलने आये थे। आउस्टोज के मामले में मैंने साफ कह दिया था हमसे लेना ही चाहते हैं, देना नहीं चाहते। खास तौर से पंजाब और हरियाणा को देना है, तो देने को तैयार हों तो राजस्थान का देने को तैयार क्यों नहीं होंगे ? उन्होंने कहा निश्चित रूप से राजस्थान को जो देना है, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। मैं यही बात पंजाब के मुख्य मन्त्री जी से कहने वाला हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान कि समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए पंजाब के मुख्य मन्त्री जी हमारी बात पर न केवल विचार करेंगे, हमारे साथ सहमत होंगे। लेकिन श्रीमन्, मानलो उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनका अपना प्रान्त है। एक प्रान्त के मुख्य मंत्री हैं, लेकिन हमारा भी अपना प्रान्त है। राजस्थान ने मुझे इस बात का सौभाग्य दिया है कि ऐसी बातें को मैं रखूं। इसलिये चट्टान की तरह कठोर रहने का कोई सवाल नहीं है, चट्टान पत्थर की होती है, टूट सकती है, लोहे से। इसलिये मैं फौलाद की तरह रहने वाला हूं। यह मामला आपके लिए मजाक का हो सकता है लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इनकी आदत है, साहब, ऐसी ही।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं जानता हूं, मेरे माध्यम से कुछ हो गया तो मुझे तो संतोष होगा ही इतिहास में बात रह जायगी। उस इतिहास को पढ़कर याद करेंगे बच्चे। जो आज चर्चा है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतिहास में नाम नहीं कराना चाहेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि जोश में आकर यह बात नहीं कही, जान-बूझ कर कही है, अगर चट्टान की तरह कोई मजबूत चीज हो सकती है तो उस तरह की आवश्यकता से मैं रहने वाला हूं।

श्री राज बहादुर : कोई किसी प्रकार मजाक का सवाल नहीं था। बहुत गंभीरता से....

(64)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वह तो भैरोंसिंहजी ने किया, आपने नहीं किया।

(व्यवधान)

मैंने तो उस की गम्भीरता को बढ़ाया है केवल। इस मामले में मैं कोई जोश में नहीं आ रहा। जोश में आकर कह दूं तो भी जोश में होश नहीं खोता हूं। होश अगर खो दूं जैसा कि अन्य माननीय सदस्य खो दिया करते हैं, जोश में होश खो दिया तो काम नहीं कर पायेंगे।

गंग केनाल के पानी की चर्चा भी मैंने कर दी थी।

श्री राजबहादुर कहां की थी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप विराज नहीं रहे थे, श्रीमान। मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो नहीं हो कि बाबूजी नहीं हो, तब तक गंगा का पानी निकल जाय।

श्री राज बहादुर : यह बिल्कुल वेलिड पाइंट है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : गंगा का पानी यमुना का पानी

श्री राज बहादुर : भागीरथ बनिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आपका इसी प्रकार का आशीर्वाद और सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से भागीरथ बनने का सौभाग्य भी मुझे मिलेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हमारे बढ़ने का जहां तक सवाल है आज तक जो कार्यवाही की जा चुकी है। इसको और बढ़ायेंगे। इससे जो भी हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने ठीक ही कहा अगर आपकी जान पहचान हो कुछ तो आप भी करें।

श्री राज बहादुर : आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी न डालिये, जनाब।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप जिम्मेदारी से भागने की कोशिश न करें। साहब

एक माननीय सदस्य : भरतपुर को तो मिलना नहीं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : भरतपुर का सवाल नहीं है। राजस्थान का सवाल है। भरतपुर राजस्थान का हिस्सा है। पानी पर उतना ही अधिकार है जितना की और हिस्सों का है। उससे भी ज्यादा है क्योंकि कई जगह तो पानी नहीं है। कई स्थानों पर पानी दिखाई नहीं देता है अगर दिखता है तो खारा है। बाकी समस्याएं और भी गहन हैं। उस गहनता को मैं समझता हूं। लेकिन हमारे सामने क्षेत्र का सवाल नहीं है, राजस्थान का सवाल है। राजस्थान को किस प्रकार सिंचाई सुविधा मिल सकती है, बिजली मिल सकती है। इस बात को हमको देखना होगा। जो भी हम कर सकते हैं उसे धीरे-धीरे करने की कोशिश की जायेगी। मुझे क्षमा करेंगे, मैं राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं कहना चाहता, परन्तु यहां पर बुजुर्गों ने कहा इसलिए बच्चों को भी नकल करनी पड़ जाती है। बुजुर्ग नेता ने यह कहा यह केन्द्रीय सरकार की ढिलाई है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

केन्द्रीय सरकार कभी इस मामले में असेफल नहीं रही है। आप यकीन कीजिये आपको भरोसा रखना चाहिये। आप बहुत दिन तक केन्द्रीय सरकार में रहे हैं। केन्द्रीय सरकार चाहे वह किसी की सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, केन्द्र एक है, देश एक है, देश की एकता बनी रहने वाली है। देश के अन्दर अराष्ट्रीय तत्व चाहे कितनी ही कोशिश करें, वे इस मामले में सफल होने वाले नहीं हैं। जहां तक इन्दिराजी के नेतृत्व का सवाल है उनका नेतृत्व देश को बहुत दिन तक मिलता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि सशक्त नेतृत्व ही एकता में सहायक बनता है।

मैं अन्य प्रश्नों की ओर आपका ध्यान नहीं खींचना चाहता और विस्तार से जिक्र कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। इतना ही कह सकता हूं कि चाहे मध्य प्रदेश के साथ हमारा विवाद हो चाहे गुजरात के साथ हमारा विवाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश के साथ हमारा विवाद हो, चाहे वह विवाद हिमाचल प्रदेश व पंजाब सरकार के साथ हो, इन सब मामलों के अन्दर जो आपने भावनाएं व्यक्त की हैं उनके अनुसार हम काम करेंगे, मैं आशा करके चलता हूं।

श्री राजबहादुर : क्या सतलज जमुना लिंक में शेयर करेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने सब मामलों की बात कही है। सारे सदन की ओर से सहयोग का आश्वासन मिला है। वह इसी तरह मिलता रहेगा।

समिति का गठन

समितियों का मनोनयन

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

आज की कार्यसूची के शेष विषय पर चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सदन की समितियों के गठन के विषय में सूचना प्रेषित करता हूं।

नियम समिति :

1. अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होते हैं।
2. श्री हरिदेव जोशी — संयोजक
3. ,, चन्दनमल वैद — सदस्य
4. डा. हरिसिंह — ,,
5. श्री जयकृष्ण शर्मा — ,,
6. ,, भैरू लाल (मनोहर थाना) — ,,
7. ,, भालू खां — ,,
8. ,, जगनसिंह — ,,
9. ,, राजबहादुर — ,,
10. ,, हजारीलाल शर्मा — ,,
11. ,, सोहनलाल बंसीवाल — ,,
12. ,, कमलेन्द्रसिंह — ,,
13. ,, हरीश शर्मा — ,,
14. ,, बालचन्द्र आर्यवीर — ,,
15. ,, रघुवीरसिंह कौशल — ,,

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति :

1. श्री बनवारीलाल — सभापति
2. ,, जीवराजसिंह — सदस्य
3. ,, महेन्द्र कुमार — ,,
4. ,, भगवानदास डोसो — ,,
5. ,, रामधन — ,,
6. ,, रामलाल (उणियारा) — ,,
7. ,, सुनील कुमार विश्नोई — ,,
8. ,, रामसहाय — ,,
9. ,, अमराराम — ,,
10. ,, सुजानसिंह — ,,
11. ,, पृथ्वीसिंह — ,,
12. ,, यदुनाथसिंह — ,,
13. ,, वीरेन्द्र प्रतापसिंह — ,,
14. ,, राजा मानसिंह — ,,
15. श्रीमती उजला अरोड़ा — ,,

66

(श्री अध्यक्ष)

पुनर्गठित गृह समिति :

1. श्री जनार्दनसिंह गहलोत सभापति
2. ,, शीशराम श्रोला सदस्य
3. ,, राधेश्याम ,,
4. ,, रामकिशन ,,
5. ,, लक्ष्मीनारायण ,,
6. ,, मालूराम लेधा ,,
7. ,, मुराद खां ,,
8. ,, रेवतराम ,,
9. ,, दीन मोहम्मद ,,
10. ,, छीतरलाल ग्रार्य ,,
11. ,, देवीसिंह भाटी ,,
12. ,, गोपाल पचेरवाल ,,
13. ,, चाव खां ,,
14. ,, भोपालसिंह ,,
15. ,, जीतमल जैन ,,

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति :

1. श्री चेतराम सभापति
2. ,, पूंजीलाल सदस्य
3. ,, अलखाराम ,,
4. ,, भूराराम ,,
5. ,, रूपलाल ,,
6. ,, नाथूराम (बागीदोरा) ,,
7. ,, नाथूराम (डूंगरपुर) ,,
8. ,, गोविन्द ग्रामलिया ,,
9. ,, कमला भाई ,,
10. ,, थानसिंह ,,
11. ,, हरसहाय ,,
12. ,, मेघराज तावड़ ,,
13. ,, भरतलाल ,,
14. ,, शिवसिंह ,,
15. ,, बहादुरसिंह ,,

अनुसूचित जाति कल्याण समिति :

1. श्री दिनेश डांगी सभापति
2. श्रीमती शांति पहाड़िया सदस्य
3. श्री पीकराम सदस्य
4. ,, सुरजाराम ,,
5. ,, राम प्रसाद ,,
6. ,, तुलसीराम ,,
7. ,, अमरचन्द ,,
8. ,, देवीलाल ,,
9. ,, सुन्दरलाल ,,
10. ,, मनफूलराम ,,
11. ,, रामकरण ,,
12. ,, छोगाराम बकोलिया ,,
13. ,, जेठमल ,,
14. ,, द्वारका प्रसाद ,,
15. ,, भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़) ,,

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति :

1. श्री परसराम मदेरणा सभापति
2. ,, हेमाराम चौधरी सदस्य
3. ,, दीपेन्द्रसिंह ,,
4. ,, ज्ञानसिंह ,,
5. ,, राम रावत ,,
6. ,, गोकुल चन्द्र शर्मा ,,
7. ,, नारायणसिंह ,,
8. ,, सूर्य कुमार ,,
9. ,, भैरूंसिंह गुर्जर ,,
10. ,, हरिसिंह (महुवा) ,,
11. ,, गोविन्दसिंह गुर्जर ,,
12. ,, नाथूसिंह ,,
13. ,, घनश्याम तिवाड़ी ,,
14. श्रीमती विद्या पाठक ,,
15. श्री महावीर प्रसाद जैन ,,

विशेषाधिकार समिति :

1. श्री बृजसुन्दर शर्मा सभापति
2. ,, अमीन खां सदस्य
3. ,, जयदेव प्रसाद इन्दोरिया ,,

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री मोहनलाल जाट — सदस्य
5. ,, शोभराज मल — ,,
6. ,, घनश्याम (वेगू) — ,,
7. ,, मालाराम — ,,
8. ,, महेन्द्रसिंह — ,,
9. ,, ईश्वरलाल सैनी — ,,
10. ,, असलम खां — ,,
11. ,, हरिसिंह (कुम्हेर) — ,,
12. ,, दीपचन्द — ,,
13. ,, नन्दलाल मीणा — ,,
14. ,, रामलाल चौधरी — ,,
15. ,, हंसराज शर्मा — ,,

पुस्तकालय समिति :

1. श्री तकीउद्दीन — सभापति
2. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत — सदस्य
3. श्री चन्द्रवीरसिंह — ,,
4. ,, लच्छूराम — ,,
5. ,, कनकराज मेहता — ,,
6. ,, हीरालाल आर्य — ,,
7. ,, रामेश्वरलाल — ,,

सामान्य प्रयोजन सम्बन्धी समिति :

1. श्री दुलाराम — सभापति
2. ,, प्रभूलाल — सदस्य
3. ,, मानसिंह देवड़ा — ,,
4. ,, भैरूलाल भारद्वाज — ,,
5. ,, बंसीलाल पटवा — ,,
6. ,, अनंग कुमार — ,,
7. ,, रंगजी मीणा — ,,

याचिका समिति :

1. श्री रामदेवसिंह — सभापति
2. श्रीमती समन्दर कंवर — सदस्य
3. श्री शिवराम शर्मा — ,,
4. ,, माधवसिंह दीवान — ,,
5. श्री रतनाराम चौधरी — सदस्य
6. ,, सुखलाल सैणचा — ,,
7. ,, आत्माराम — ,,
8. ,, रामनारायण डूडी — ,,
9. ,, भंवरसिंह — ,,
10. ,, चतुर्भुज — ,,
11. ,, केसरीचन्द चौधरी — ,,
12. ,, शोदानसिंह (पिड़ावा) — ,,
13. ,, त्रिलोकसिंह — ,,
14. ,, चुन्नीलाल — ,,
15. ,, भगवानदास शास्त्री — ,,

वित्तीय समितियों के सभापतियों की घोषणा :

जनलेखा समिति—श्री शोभाराम

राजकीय उपक्रम समिति—श्री शिवचरण माथुर

प्राक्कलन समिति—श्री सम्पतराम।

प्रस्ताव

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्यय के अनुमानों 1980-81 पर चर्चा

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक अनुमान 1980-81 पर चर्चा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव पेश हो जाने दीजिए।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमानों 1980-81 पर विचार किया जाए।

68

नियम 295 के अन्तर्गत प्रश्न रेजीडेंट डाक्टरों की हड़ताल व लाठीचार्ज

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 295 के अन्तर्गत प्रश्न पेश करने के लिऐ आपसे निवेदन किया था आपने कहा था कि मौका दिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह ऐसे महत्व का विषय है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्यवाही जब समाप्त हो जाय, उस वक्त अवसर दे दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा विनम्र निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : केवल दो-तीन मिनट में अपनी बात कह दें। एक ही माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैंने भी निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति न हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल दिन के 3 बजे जब रेजीडेन्ट डाक्टर्स गवर्नमेन्ट होस्टल गये, वे माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अपनी मांगों के विषय में मिलना चाहते थे। पिछले 13 दिन से उनका आन्दोलन चल रहा है उस आन्दोलन के विषय में माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से बहुत देर तक उनकी वार्त्ता होती रही। शायद कई बार यह कहा गया कमिश्नर के द्वारा और चिकित्सा मंत्री के द्वारा भी कि उनकी मांगों का औचित्य बहुत है, किन्तु लगातार कई दिनों तक वार्त्ता होने के बाद भी वे इस बारे में निर्णय लेने की स्थिति मे नहीं हैं। मुख्य मंत्री ही निर्णय लेंगे। रेजीडेन्ट डाक्टर्स 13 दिन से हड़ताल कर रहे हैं जिसके कारण पांचों मेडिकल कालेज की व्यवस्था खराब हो गई है। वे 23 से दिन इस प्रकार का प्रयास कर रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिलने का समय इनको मिल जावे। माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से इनको मालूम हुआ कि 28 तारीख से पहले उनको समय मिलना सम्भव नहीं है। इसीलिए सारे रेजीडेन्ट डाक्टर्स, जिनकी संख्या सौ-डेढ़ सौ की थी, ने यह विचार किया कि मुख्य मन्त्रीजी गवर्नमेन्ट होस्टल में पधारने वाले हैं, उनका प्रतिनिधि मण्डल वहां पर उनसे मिल ले और अपनी बात उनके सामने प्रस्तुत कर दे। पौने तीन बजे के लगभग डेढ़ सौ डाक्टर्स गवर्नमेन्ट होस्टल आये, और माइक पर खड़े होकर अपनी मांगों के औचित्य की चर्चा करने लगे-उसी समय, श्रीमन्, राजेश पायलेट, जो वहां ऊपर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आये, ने डाक्टरों से चर्चा की कि तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूं, मैं जवानों का प्रतिनिधित्व करता हूं। तुम आराम से बैठो मैं ऊपर जाकर बात करता हूं। या तो तुमको ऊपर बुला लेंगे या तुमको कौनसा समय देंगे इसकी जानकारी मिल जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह उस समय ऊपर चले गए। डाक्टर चन्द्रभानसिंह उस समय माइक पर खड़े होकर डाक्टर्स को सम्बोधित कर रहे थे, उस समय एडीशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस दो ट्रक पुलिस भरकर ले आये। एडीशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस ने मां और बहिन की गालियां दीं। वे लोग माइक से बोल रहे थे। एक पुलिस वाले के हाथ में जो डण्डा था, जो लाठी थी उससे उनके

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सिर पर प्रहार किया, उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और आठ टांके आये। जो माइक था उसको पुलिस ने छीन लिया। माइक के टुकड़े कर दिए। × × ×

(व्यवधान)

श्री भैरूसिंह गुर्जर : ये पीछे से इशारा कर रहे थे। हम भी देख रहे थे। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, राजेश पाइलट आ रहे थे उस समय मैं उनके साथ था। मैं स्थिति बताता हूं, इस बात पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, न सिटी मजिस्ट्रेट उपस्थित था, न इस प्रकार का कोई ......

श्री परसराम मदेरणा : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय। विरोधी दल के माननीय सदस्य ने××× कहा है। यह सभी माननीय सदस्यों के खिलाफ है, न तो पहाड़ियाजी के इस सदन मे आ सकते हैं, कोई नहीं हैं। सभी माननीय सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही दिखवा देता हूं। अगर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : हम सदन के माननीय सदस्य हैं, किसी के× × × नहीं हैं

श्री अध्यक्ष : निश्चित तौर से अपमान-जनक शब्द हैं। कृपया भाषा में संयम बरतें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, न तो सिटी मजिस्ट्रेट था, न सिटी मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार की कोई सूचना दी, न असेम्बली जो थी उस को अनलाफुल डिक्लेयर किया श्री डालचन्द गुप्ता, जो एडीशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस हैं, स्वयं अपने हाथ से डण्डा मारा, पुलिस ने मारा। आज अखबारों में यह चर्चा की गई कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ने केवल लाठी चार्ज ही नहीं किया डाँक्टर दौड़े और लोग दौड़े, पुलिस के सिपाही कमल एण्ड कम्पनी तक उनका पीछा करते हुए गये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं केवल फेक्ट्स ही बयान कर रहा हूं। अखबारों में यह चर्चा की गई कि किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं किया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं ये उनके कपड़े हैं, ये देख लीजिये, यह कुर्ता और पायामा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलेखित की गई।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक डा. चन्द्रभान मीणा चन्द्रभानसिंह, चतुर्भुज मीणा, डा. आलोक सक्सेना, सुखराम शर्मा,

श्री खेतसिंह राठौड़ : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अन्दर कपड़े कैसे लाये ? कागज तो ला सकते हैं। कल पिस्तौल ले आयेंगे तो क्या क्या होगा ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप अत्याचार करें और हम कपड़े भी नहीं लायें। यह मुख्य सचेतक महोदय कह रहे हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आप शीघ्र समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए कहना चाहता हूं, डाक्टर चन्द्रभानसिंह, डाक्टर चतुर्भुज मीणा, आलोक सक्सेना, सी. पी. दण्डावत, कुलदीप कुमार, मांगीलाल शर्मा, रामबाबू गोयल सी. पी. सिंगल, सी. एम. शर्मा इन सब लोगों के मेडिकल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं डाक्टर चन्द्रभान सिंह, जिनके कुर्ता और पायजामा मैंने प्रस्तुत किया है, का यह एक्सरे है। हड्डियां ब्रेक हो गई। ब्रेन हेमरेज हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता ? यह है दूसरा एक्सरे, डाक्टर ने रिपोर्ट दी है,

(व्यवधान)

एक तरफ कहते हैं बात करेंगे, दूसरी तरफ....

(व्यवधान)

अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर नहीं की। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं एडीशनल एस. पी. को बर्खास्त करने की आवश्यकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे डाक्टर्स का क्या औचित्य मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं। आप देख लीजिए कि आज उनके बढ़िया पे-स्केल्स हैं। आज राजस्थान के सराऊंडिंग स्टेट्स से इनके ग्रेड्स ज्यादा है ? क्या हालत है राजस्थान में, क्या यहां का डाक्टर भूखा मरेगा? यहां के डाक्टर 24 घण्टे काम करते हैं ? उनका मांग पत्र आता है। उनकी मांग सुनने चलें। केवल मुख्य मन्त्री इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। कैसे मुख्य मंत्री हैं, कैसी सरकार है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से उनको कहा गया कि....

(व्यवधान)

आज जो डाक्टर हड़ताल पर बैठे हैं उनमें से एक ने कहा कि भूख हड़ताल से उठूंगा नहीं। लेकिन आप कहते हैं....

(व्यवधान)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आज यह हालत हो गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच की जाय और इस बात की जांच करने के बाद....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : किस बात की जांच की जाये ? जो कल हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्दर....

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : आपने उनको भेजा था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य। कपड़ों को सदन की मेज पर रखने की इजाजत नहीं दी जायेगी। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : लोगों को मारा गया........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : आप इस बात की जांच करें ...

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : यह कांग्रेस कमेटी में घुसे और उन्होंने गाली-गलौच की....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने दो बार स्थगन-प्रस्ताव दिया था कि डाक्टर 11 तारीख से हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं वह पूरी की जाये। लेकिन आपने कुछ नहीं किया....

(व्यवधान)

आज यह बात कर रहे हैं कि....

श्री अध्यक्ष : यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री बाऊदयाल जोशी : गरीब लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज रेजीडेन्ट डाक्टरों पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी रहे इससे बड़े दुःख की बात यह है कि आप यह कहें कि कुछ नहीं हुआ। इससे बड़ा अन्याय नहीं होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, आश्चर्य है।

श्री बाऊदयाल जोशी : आप उनकी वकालत करें, आप राज में हो, आप सत्ता में हो....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मैं बराबर माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि आज जो कार्य सूची का बचा हुआ विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके महत्व को समझते हुए अवसर दिया गया था, सदन की बैठक आज के लिए बढ़ाई गयी : तो मैं समझता हूं कि

(श्री अध्यक्ष) :
समय का सदुपयोग करना चाहिये। दो-ढाई घण्टे का समय बचा है। आज कोई गर्मागर्म विषय नहीं है। एक विषय है, उसको विचारार्थ लिया जाय। चिकित्सा मन्त्रीजी कुछ कहना चाहते हैं तो कहें ...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मुझे दो मिनट दिये जायं। मैं कल राजेश पायलेट के साथ था। जिस समय राजेश पायलेट ने कहा कि मैं आपकी बात कहूंगा मुझे ऊपर जाने दीजिये, उस समय हम सारे सदस्य साथ थे....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : यह बात कहां तक.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य. कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री चतुर्वेदी जी शुरू करेंगे। चिकित्सा मन्त्री जी कहना चाहते हैं क्या ..?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज! शान्ति से सुनें, चिकित्सा मन्त्रीजी क्या कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन की ओर से कोई ऐसा संकेत नहीं था। अगर वह कहना चाहते हैं तो कहें। मन्त्री को प्रायोरिटी दी जाती है यदि कहना चाहें तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात है ...

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें। शान्त रहें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (चिकित्सा मंत्री) : यहां रेजीडेन्ट डाक्टरों की बात को लेकर बिना वजह से समय का नुकसान न किया जाय। अभी चतुर्वेदीजी बात कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 77 में उनकी गवर्नमेंट ने 25 रुपये बढ़ाये और 79 में 25-30 रुपये और बढ़ाये। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, जब 79 में गवर्नमेन्ट ने फैसला किया, उस वक्त उन्होंने राइटिंग में दिया कि आगे हम कोई डिमाण्ड नहीं रखेंगे। अब एक साल हुआ नहीं फिर मांग लेकर आ गये। उसके बावजूद भी मुझसे मिले, 3 रोज। मैंने बात की। मुख्य मन्त्री जी स्वयं मिल चुके हैं। कल दोपहर को आये थे। उन्होंने कहा कि हम मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो मैंने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जबर्दस्ती टाइम ले लेंगे। मेरे मना करने के बावजूद जबर्दस्ती गवर्नमेन्ट होस्टल में जाकर उन्होंने पुलिस के साथ झगड़ा किया। वे मीटिंग में घुस गए, मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की मुझसे कह कर गए थे कि हम जबर्दस्ती मनवा लेंगे। अब उनको जबर्दस्ती इन्स्टीगेट किया जा रहा है, मैं उनसे बात कर रहा था....

(व्यवधान)

मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी। माननीय सदस्य जबरन उनके केस को खराब कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। जबर्दस्ती गवर्नमेंट से मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 1979 में उनका लिखा हुआ मौजूद है कि आइन्दा

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

अपनी डिमांड्स के बारे में कोई एजीटेशन नहीं करेंगे तो फिर क्यों धमकी देने को तैयार हो गए क्यों हड़ताल कर रहे हैं। गवर्नमेंट किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, उनकी मांगें नावाजिब हैं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। इस पर चर्चा नहीं होगी। बिजली पर यदि कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहें तो कहें। जब ऐसा गंभीर विचारणीय विषय आता है तो वक्ताओं की कमी पड़ जाती है।

श्री परसराम मदेरणा: कपड़ों का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: मैंने बता दिया कि कपड़े सदन की मेज पर नहीं रखेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य !

एक माननीय सदस्य: उनको वापस लौटा दें चतुर्वेदीजी के कपड़े।

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के आय-व्यय अनुमानों 1980-81 पर चर्चा

श्री अध्यक्ष: श्री राज बहादुर !

श्री राज बहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, इस गर्मागर्म वातावरण के बाद बिजली एक ऐसा विषय है जो इलेक्ट्रिफाई करता रहे हाउस को, मैं ऐसा मानता हूं। मैं प्रारंभ करूंगा कुछ प्रश्नों के साथ क्योंकि उनकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। मैं समझता हूं मंत्रीजी जवाब देंगे ....

2-58 म. प.

(श्री सम्पत राम, सभापति, पीठासीन)

मैं पहले पहल जानना चाहता हूं कि टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्या है ? कितनी अचीव हो चुकी है और कितनी बाकी है ? दूसरे, सतलज और चंबल की जो योजनायें हैं बिजली उत्पादन की वे कितनी हैं ? क्या यह सही है कि उन में हमने कुछ भाग को छोड़ दिया है दूसरे प्रांतों को देने के लिए? यदि हो, तो कितना है ? तीसरे, जो हमारा एटामिक पावर प्लांट है, इसके ब्रेकडाउन्स क्यों हैं ? वह ठीक तरह कब तक चालू होगा ? चौथा प्रश्न यह है कि ट्रांसमिशन की प्लांट रिक्वायरमेंट्स कितने किलोमीटर्स हैं और फिजीकल अचीवमेंट्स क्या हैं ? इसके उपरान्त मेरा पांचवां प्रश्न यह है कि जो 400 के.वी. की ट्रांसमिशन लाइन है, कोटा से जयपुर, जिसके द्वारा सिंगरोली पावर स्टेशन से बिजली मिली, इसको यू. पी. से हम ले सकेंगे? कोटा चम्बल पावर है क्या उस पर कार्य प्रारंभ हुआ है ?

श्री सभापति: बोलिये।

श्री राज बहादुर: आशा यह की जाती है कि हम चेयर को एड्रेस करें, लेकिन यदि चेयर बिजी हो जाय तो कैसे काम होगा।

श्री सभापति: वह आपके काम के लिये बिजी है।

श्री राज बहादुर: मैं विनती कर रहा था कि कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में काम्प्रेहेंसिज स्टेटमेंट दे दें तो उत्तम रहेगा उसमें यह भी मालूम होना चाहिये कि इन बातों का, इन सब योजनाओं की ओरिजनल एस्टीमेट कास्ट क्या थी, टार्गेट, कम्प्लीशन डेट क्या थी और कितने टार्गेट्स अचीव किए गए हैं ? इसके बाद मैं यह

(श्री राजबहादुर)

जानना चाहता हूं कि आम तौर से यह होता है कि जो रिवाइज्ड फाइनेन्शियल सैंक्शन होती हैं वह आर० एस० ई० बी० को फरवरी तक मिल जाती है। इसके पहले पन्ने पर लिखा है, मैंने इसलिए कहा है कि जो लास्ट रिपोर्ट मिली है वह 1978-79 की है, 1979-80 की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है इसलिए वह सारी सूचना मिल नहीं पाई है। 1979-80 की नहीं है जिसकी आशा की जा सकती है। नार्मली यह होता है कि रिवाइज्ड फाइनेन्शियल सैंक्शन्स आर्थिक स्वीकृतियां आर. एस. ई. बी. को फरवरी तक मिल जाती हैं। अब यह नहीं हुआ। यह पासिबल हो ताकि बहुत सी योजनाओं के बारे में विस्तार से कहा जा सके कि वह क्यों नहीं ली गई। यह भी हो सकता है कि कुछ लैप्सेज हुए हों। 1979-80 का एस्टीमेटेड खर्चा पृष्ठ संख्या 1 पर है। 91 लाख की स्वीकृति थी, एक्सपेंडीचर होने वाला था ट्रांसमिशन लाइन पर जो ब्यास योजना की है वह पेज 2 पर है, 91 लाख रुपये की थी। इससे अगेन्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 39 लाख हैं। 91 लाख से 39 लाख कैसे रह गये, क्या कारण था, इन लैप्सेज का? यह इसके साथ होता तो कारण मालूम पड़ता। यह बताना चाहिये।

इसी तरह से दूरी जो है, वे भी उसी पेज पर हैं। न न्यू जनरेशन स्कीम्स हैं उसमें बजट एस्टीमेट्स 1979-80 का है 100 लाख और उसके अगेंस्ट में 15 लाख रुपया व्यय हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग सारी स्कीम्स छोड़ दी गई या नहीं ली गई। तीसरा पाइंट है नैक्स्ट पेज पर 3 वी कम्पोजिट प्लान फार शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स 100 लाख रुपये का प्रावधान था, परफार्मेन्स निल है।

Administrative and residential building including general equipments and miscellaneous-Rs. 386 lakhs. करोड़ का प्रावधान था, रिवाइज्ड है 120 लाख का इसमें भी कमी है, इस तरह से लैप्सेज हुए हैं, इस तरह से लैप्सेज होने का कोई कारण नहीं बताया गया है, क्या वजह है ?

"It is for the Irrigation Department to find funds for completing the remaining works of Jawahar Sagar Hydro Scheme and Rana Pratap Sagar Pondages and Power Plants." जवाहर सागर और राणाप्रताप सागर को शायद 10 वर्ष से ज्यादा हो गये पूरा हुए। लेकिन ये स्कीम कब तक पूरी हो जाएगी, कोई फाईनल डेट मुकर्रर की जाए। हर वर्ष अगर प्रोविजन होगा कम्पलेशन के लिये 10 वर्ष तक भी पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब है दोनों स्कीम्स कम्पलीट ही नहीं हुई हैं, यह प्रश्न उठता है इसका उत्तर सामने आना चाहिए कि क्यों हो रही है जो इसमें देरी हो रही है उसको भी देख लें।

इसके बाद यह भी है, एक था यह प्रोविजन 1979-80 के लिए, प्रोविजन फार रिवाइज्ड प्लान प्रोजेक्ट्स, जो मार्च में ही मिला था उसके आगे 1980-81 का है। यहां तक तो ठीक है लेकिन 1979-80 का मिला हो मार्च में तो will you be able to implement?

(श्री राजबहादुर)

इसका मतलब क्या होगा ? मतलब यह होगा कि जब साल का आखिर आता है तब इक्विपमेंट खरीदा जाता है, टूल्स व प्लान्ट्स खरीदे जाते हैं, सामान खरीदा जाता है और उसके अगेन्स्ट बता दिया जाता है कि हमारा इतना खर्चा हुआ, बजट प्रोविजन काम में आ गया इस तरह से हमने प्लान पूरा किया। इसमें जरा मुलाइजा करें।

पेज 3 पर है रिवाइज्ड प्लान एलोकेशन 1979-80। इसमें लिखा है कि 11-3-80 की बोर्ड की 282वीं मीटिंग में डिस्कस हुआ और पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट से कन्सल्टेशन्स हुए।

"Telephonic consultations were also made with Special Secretary, Planning Department on 11-3-80 when it was indicated that proposals have been made to enhance the plan allocations for the year 1979-80 form 93.62 crores to Rs 95 crores"

टेलीफोन पर। अल्टीमेटली यह है कि—

it was decided by the Board that provisions of Rs. 98.10 crores in the revised annual plan for the year 1979-80 should be retained."

This is not a good budgeting. ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना तो क्लीयर है।

इसी तरह से आप पेज 5 पर देखें। कोटा थर्मल प्रोजेक्ट के लिए शुरू में जो रखा गया था वह था 27 करोड़। This has been increased to 35 Crores.

यह भी तब हुआ है जब कि 1979-80 का एण्ड होने वाला है।

इसके बाद में मैं, अध्यक्ष महोदय एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें तीन चार पोईन्ट्स और हैं इसमें आप देखें यह नेक्स्ट पेज में हैं "It was expected that during the year 1979-80, it would be possible for the Board to take up the work of 400 KV line from Kota to Jaipur मैंने कहा है इसके बारे में and installation of 400 KV Sub-station at Jaipur for receiving power from the Singrauli Power Station and Kota Thermal Project. This work could not be taken up this year as techno-economic sanction of 400 KV line from Kota to Jaipur is awaited from Central Electricity Authority/Planning Commission," अगर यह हुआ तो यह सारी की सारी बिजली जो हमें सिंगरोली से मिलने वाली है वह नहीं मिल पायेगी और आपको पावर लेनी है वह नहीं मिल पायेगी। The 400 KV. line from Dehar to Panipat this has been completed. The construction of another 400 KV. line from Dehar to evacuate power from V and VI units of Dehar Power Station has been considered by the Stand-

76

(श्री राजबहादुर)

ing Committee. इसका मतलब भी यही है कि योजना पूरी नहीं हुई ।

इसके बाद में आप देखिये एक चीज और जिसके बारे में, मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा हमारे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन को जिसने नोट दिया है हमारे स्टेट की राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो नोट दिया है, वह पेज 8 के पेराग्राफ 88 में है इसमें यह है कि The Rural Electrification Corporation while comparing the progress of various States in the field of rural electrification had also noted that as per norms fixed by REC to evaluate the performance of various State Electricity Boards, the performance of RSEB was top most amongst all the State Electricity Boards of the country in all the fields viz. electrification of villages, energisation of pumpsets, construction of transmission and distribution lines and installation of Transformers." This was so far good. इसके लिये मैं कांग्रेचूलेट करना चाहता हूं आर.एस.ई.बी. की कार्यवाहियों के बारे में कितना हिसाब मिला है, यह बात आप अगर अगले पेज में देखेंगे तो आप को मालूम होगा, इसमें लिखा है Under the head Allocation of funds to various Components of Annual plan for 1980-81.

In the Annual Plan allocations for the year 1980-81 as was received from the Planning Department, of the State Government vide letter No F. 4 (103) AU/Group-5/79/pt. II dt. 4-3-80 no provision has been made for new generating Schemes and allocation for Kota Thermal Project Stage I is also less than that as was consideredmin imum and necessary and as was provided in the recommendations of the working Group of the planning Commission.

दूसरी बात आयेगी जो कि इसके पैराग्राफ में हैं ।

The Board considered and appreciated/ recommended the dire necessity of allocating the funds for new generating schemes particularly that no other work of power sector is such which can be assigned higher priority and preference than the new generating schemes, It was felt essential to establish/ additional generating capacity to match the demands by making investment in such schemes.

किन्तु यह हो नहीं सका ऐसा प्रतीत होता है यह और एक फैक्टर है जिसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा । यह अगले पेज में है आपके पंचायत समितियों को जो बिजली देने के प्रोग्राम है अगले साल पूरे होने हैं वह अभी इस साल पूरे नहीं हुए । उसका क्या कारण है ।

(श्री राजबहादुर)

अब मैं एक और बात पर आता हूं वह है रेगूलर बजट के बारे में। इसमें आपने जो पावर जनरेटिंग ट्रान्समिशन वगैरह के बारे में खर्चा बताया है और आमदनी बताई है। वह है 54 करोड़ और उस में कुछ सरप्लस बताया है 74 लाख रुपये का। लेकिन अन्त में यह सरप्लस सब खतम हो जाता है। मात्र Payment of interest dues. एवं Re-payment of loans पर ही आपका सरप्लस खतम हो गया है। इस सब का परिणाम तो यही निकलता है कि एक तरफ तो जो कुछ आप अर्न कर रहे हैं आमदनी है वह सब की सब सूद और कर्ज की किश्तों की अदायगी में ही जा रही है। आपके केपीटल बजट नहीं बढ़ रहे हैं और आपका सरप्लस इन्ट्रेस्ट के पेमेन्ट में ही जा रहा है। इसके कारण आपका परफार्मेन्स राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सैटिस्फैक्ट्रली नहीं कहा जा सकता अगले पेज में देखेंगे। In the Budget Estimates for the year 1979-80 total revenue from sales including other revenue, within the State was estimated at Rs. 1061 lacs on an anticipated total sale of electricity to the tune of 3516 million units within State. It was presumed that in case sale within the state did not materialise as anticipated, the available energy would be sold to neighbouring States which on the whole would not effect the gross revenue of the Board.

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पावर शार्टेज होने के कारण तथा हमारे ब्रेक डाउन जो अधिक होते हैं उनके कारण न तो किसानों को इलेक्ट्रिक मिलती है और न ही पूरी इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज को ही मिलती है। इसके अलावा जो बिजली हमें मिलती थी उसमें भी कट हो गया जिससे हमारे यहां इलेक्ट्रिक की तो कमी हुई और आप दूसरी स्टेट्स को बिजली दे रहे हैं। यह सब हमारे अपने उपभोक्ताओं के हित में तो नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त एक और गम्भीर मसला है उत्पादन में फेल्योर का। आपकी रिपोर्ट के अनुसार।

Because of sudden unexpected outages of a large number of generating machines installed at Pong and Dehar Power Stations, the generation at these stations has been considerably reduced बिजली बनना बन्द हो गयी है।

—and the Rajasthan's share in the generation from the Beas Complex stands reduced to the extent of about 170MW to 180 MW

यानि वहां से तो 170 मेगावाट या 180 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही है ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं शार्टेजेज हो रही हैं। resulting in shortages energy availability of about 20 to 25 lakhs units per day. Similarly Rajasthan Atomic Power Station also remained under outage for about 1664 hrs. between 1-4-79 and 25-2-80.

78

(श्री राजबहादुर)

मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक पावर का सवाल है अगर आप इण्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते क तो एक पुरानी मानी हुई बात है कि किसी कन्ट्री को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके पास तीन चीजें होनी चाहिये। वह है पावर अथवा फ्यूल या इनर्जी, दूसरे ट्रान्सपोर्ट और तीसरे रा मैटीरियल लेबर फोर्स तो हमारे पास है लेकिन पावर का जो सवाल है यह बहुत क्रूशियल फैक्टर है। एक समय था जब हमारा राजस्थान पावर फैक्टर में सरप्लस था लेकिन आज हमारी स्टेट सरप्लस नहीं है। हमारे यहां पर बिजली के फ्रीक्वेन्टली ब्रेक डाउन होते हैं, यह जो 180 मेगावाट या 170 मेगावाट बिजली अगर हमें मिलती है तो कोई कम घाटा नहीं, बहुत है। लेकिन यह स्थिति हमारे काबू में कैसे आवे। इस कमी को आप पूरा कैसे करेंगे? यह सारा सवाल जो है वह आपके प्लानिंग पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है आपके प्लानिंग पर्सपेक्टिव क्या हैं, इसके अन्तर्गत क्या आपका टोटल जनरेशन का प्रोग्राम है आप कितनी बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं? कितनी बढ़ सकती है? कितनी कम है इसमें यह देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक दो सवाल और करना चाहूंगा। वह यह है कि आज आपका केपीटल बजट कितना है उसके अगेंस्ट में आपकी सैंक्शन्स कितनी इश्यू हुई हैं। इस पर आपकी जो सैंक्शन इश्यू होती है वह साल के अन्त में यानि मार्च और फरवरी के महीने में होती हैं उस समय आप कुछ करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह कि आपकी जो सैंक्शन और मद्दे हैं पैसे की सैंक्शन इश्यू होती हैं वह समय पर नहीं होती है। उसका भी एक स्टेटमेन्ट होना चाहिये।

There should be a statement month by month. कि इश्यू किस-किस समय हुई। आपने कहा कि आपने दो हजार कुओं के लिये बिजली दी है। इनर्जाइज किया है परन्तु इनके लिये What is the dependable power supply. There should be some reasonable assurance about it so that you can say that it is being maintained इसके लिये कितना रिक्वायरमेन्ट हो, कितनी आपकी जनरेटिंग प्रोडक्टिविटी होगी? कितना प्रोडक्शन होगा? कितना आप डिस्ट्रिब्यूशन बिजली का करोगे? ट्रान्समिशन लाइन कितनी होनी चाहिये? वह ट्रान्समिशन लाइन कहां करनी है इसके साथ में, इसके अलावा आपकी ट्रान्समिशन लाइनें बड़ी हाई पावर की हैं या ट्रान्समिशनल लाइन आपकी छोटी है इसको भी देखने की जरूरत है। कितने की योजना थी तथा कितनी पूरी हुई, यह आपके इस बजट से मालूम नहीं पड़ता है जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया कि जो वार्षिक रिपोर्ट है वह आपकी लास्ट ईयर की है 78-79 की है, 1979 की नहीं But I will say it is not enough and adequate when we are discussing 1980-81 budget propoals or provisions. इसलिये इसको भी आपको देखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इस बिजली के सारे कार्यक्रम को इमेर्जिनेटिव विजन के साथ देखेंगे पूरी इन्फार्मेशन के साथ कि आपकी वास्तविक पावर रिक्वायरमेन्ट क्या है, कितनी है और उसके साथ-साथ समूचे केन्द्र के पर्यवेक्षण में अपनी स्टेट की रिक्वायरमेन्ट कितनी है। इसके अलावा उसके

(श्री राजबहादुर)

सन्दर्भ में आपकी फाइनेंशियल डिमान्ड कितनी होगी और उसके हिसाब से आप कितना जनरेशन बिजली का कर सकेंगे और इसके लिये आपके क्या नार्म्स हैं। इन सभी मुद्दों पर पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिये। अगर यह हो तो मैं समझता हूं कि इससे अपने प्रदेश को ज्यादा फायदा होगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): माननीय सभापतिजी, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। विद्युत का दूसरा नाम पावर है, वास्तव में यह शक्ति का स्रोत है। जहां यह शक्ति नहीं होती वह शक्तिहीन क्षेत्र किसी काम का नहीं रहता। मैं गांव का प्रतिनिधि हूं और हिन्दुस्तान गांवों का देश है। राजस्थान में भी अधिकांश गांव ही हैं। गांवों की तरक्की के लिए कोई एक चीज की मांग की जाय, कोई यह प्रश्न करे कि गांव की तरक्की के लिए एक चीज देना चाहते हैं, बोलो कौनसी चीज लेनी है तो मैं समझता हूं कि सर्वप्रथम एकमात्र चीज होगी 'बिजली'। बिजली के लिए हमारा जो बिजली बोर्ड बना हुआ है, मैं समझता हूं इसकी बनावट में ही कुछ कमियां और खामियां हैं। यह बोर्ड हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहा है। मुझे खतरा है कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो शायद वह रिजल्ट नहीं दे पायेगा जिसको पाने की राजस्थान की जनता की इच्छा है।

हमारा जो विद्युत बोर्ड है, इसमें या तो कुछ सरकारी प्रतिनिधि हैं या फिर उद्योगों के प्रतिनिधि हैं। खास तौर से जिन लोगों को बिजली की जरूरत है उनमें अधिकांश लोग किसान उपभोक्ता हैं, उनका कोई प्रतिनिधित्व इस बोर्ड में नहीं है। मैं चाहूंगा कि विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन किया जाय। उसमें कम से कम 50 परसेन्ट से अधिक किसान प्रतिनिधि लिये जाने चाहिएं। इसके साथ ही इसमें मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है और खास तौर से उन मजदूरों का जिनके जरिये विद्युत कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। छोटे उद्योगों का भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि टेक्निकल अधिकारियों का भी इसमें प्रतिनिधित्व है। उसको भी यदि जरूरत हो तो अलग ढंग से और बढ़ाया जाना चाहिये लेकिन एक सर्वांगीण बोर्ड का निर्माण होना चाहिये। इसमें जो चेयरमैन बैठते हैं वह जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए क्योंकि जब 30 तारीख हो चुकती है तो बिना किसी मांग के ही सरकारी अधिकारी पे-बिल बनाते हैं। एक तारीख को पेमेन्ट उठाकर वह अपने कर्त्तव्य का इतिश्री मान लेता है। किसी भी जन-प्रतिनिधि, जो जनता का नुमाइन्दा होता है, को जनता की इच्छा के अनुरूप काम करना पड़ता है। नहीं तो इतने दिनों से जो विद्युत बोर्ड राजस्थान में काम कर रहा है, उसकी आज यह स्थिति हो गई है कि राजस्थान के 1/3 भाग और 1/4 भाग को भी बिजली नहीं दे सके। यह सारी कमियां और खामियां इस बोर्ड के गठन और इसके सोचने के तरीकों में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, कि बोर्ड का पुनर्गठन किया जायगा और इसमें जो मौजूदा कमियां हैं जिससे विद्युत प्रसार पर बहुत असर पड़ रहा है, आपके माध्यम से बिजली मंत्री का और बिजली बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

कि मंडल की जो योजनायें हैं, वह इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि खास तौर से जहां किसी का इन्ट्रेस्ट होता है तो कुछ बनाते हैं नहीं तो, मैं यह समझता हूं कि आज राजस्थान के जो समयबद्ध कार्यक्रम हैं उसकी ओर मण्डल का आज तक ध्यान ही नहीं गया है। हमको विचार करना चाहिए कि हम योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान का एक ऐसा कार्यक्रम बनायें कि राजस्थान के आखिरी गांव में किस दिन बिजली पहुंचानी है। हो सकता है कि यह पांच साला योजना हो। अगर पांच साल में पार नहीं पड़े तो हम एक दो साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। अब हम इस बात का इन्तजार नहीं कर सकते कि हम बीस साल, तीस साल बाद भी गांवों को बिजली नहीं दे पाये। हमारे पड़ोस में एक छोटा सा प्रान्त है हरियाणा, उसने एक नारा दिया था, बहुत पहले ही, बनने के कुल दो साल बाद ही कि हम अगले साल पूरे गांवों को बिजली देंगे। निश्चित रूप से उस छोटे से प्रान्त ने सारे गांवों को बिजली दे दी। उसके सामने भी समस्यायें थीं, समस्यायें हमारे सामने भी हो सकती हैं लेकिन समस्याओं से जूझने के लिए वह मन, क्षमता और लालसा होनी चाहिए जो कि हमारे बिजली बोर्ड में नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो योजनायें हैं यह भविष्य में इस प्रकार की बननी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पांच साल में राजस्थान के प्रत्येक गांव में बिजली दे सकें। केन्द्रीय स्तर पर बिजली की मन्जूरियां दी जाती हैं योजनाओं की, जब हमारे यहां के वली साहब वहां चेयरमैन थे तब उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है और बहुत ही कम योजनायें भेजता है। योजनायें वहां जाने के बाद योजनाओं को अस्वीकृत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसका मतलब यह है कि बोर्ड धीमी गती से चल रहा है जिसकी वजह से राजस्थान बिजली के मामले में पिछड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि योजनाओं की क्रियान्विति के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार है। जो भी योजना पास होती है, पास होने के कई वर्षों तक तो उसका काम ही पूरा नहीं करवाते हैं बल्कि दो साल तक तो काम ही शुरू नहीं किया जाता है। अगर काम शुरू किया जाता है तो इतने बेतरीके से शुरू किया जाता है कि बीच में कई गांव छोड़ दिये जाते हैं और कोने के गांव ले लिए जाते हैं आप नक्शा उठाकर देखें तो मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की ऊट पटांग योजनायें हैं? किसी जगह तीन गांव बिजली के लिए जिले के लिये हैं तो फिर पांच गांवों को छोड़ दिया है और फिर दो गांव ले लिये हैं, यहां तक हुआ है कि चारों तरफ के गांव बिजली की मन्जूरी के लिए दे दिये हैं और बीच में एक गांव तरस रहा है इससे लोगों में क्षोभ व्याप्त होता है और जनता कई तरह की धारणायें बनाती है। यह सारी कमियां सोच के तरीकों में है जो कि योजनायें बनाते समय हमारे बोर्ड को ध्यान में रखनी चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण कई बार तो योजनायें समय में पूरी नहीं कर पाते हैं। कई बार मैंने पूछताछ की तो कहते हैं कि तार नहीं हैं। योजनाऐं आपके पास हैं और बजट मौजूद है लेकिन तार नहीं हैं कभी तार होते हैं तो कहते हैं चीनी की चिड़िया मौजूद नहीं है। कई बार तो खरीद फरोख्त में भी घोटाले होते हैं। कई

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जगह के टेन्डर्स आने के बावजूद कोई सामान इसलिए नहीं खरीदा जाता है कि जो सौदा है वह नहीं पटता है। खरीद फरोख्त के भ्रष्टाचार के कारण और सामान नहीं होने से सैंकड़ों गांवों में बिजली टाइम पर नहीं पहुंचती, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली बोर्ड के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि वह भविष्य में बजट के मौजूद होते हुए भी और योजना स्वीकृत होने के बाद भी सामान के कारण से या खरीद फरोख्त के कारण से योजनाओं को पूरा नहीं कर सकें समय पर तो इससे ज्यादा गांव के साथ और उपभोक्ताओं के साथ अन्याय नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मण्डल के अन्दर जिस प्रकार की कार्यवाही मौजूदा तरीके पर चल रही है उसके कई बार बड़े हैरत अंगेज उदाहरण सामने आते हैं कई ऐसे उदाहरण हैं आप चाहें तो मैं वह उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। काश्तकारों को दो-दो और तीन-तीन साल से डिमाण्ड नोटिस इश्यू हो गए लोगों ने उसके आधार पर अपने कुओं में बिजली फिट कर दी लाव और चड़स से जो कुआं चलाते थे वह भी बिजली लग जाने की आशा के कारण उन्होंने बन्द कर दिये, कई गरीब किसानों ने तो बैल बेच दिए इस आशा से कि बिजली लगने वाली है उन्होंने ठेकेदारों की मार्फत कुओं में मोटर लगाकर उसकी फिटिंग करा दी लेकिन उनको बिजली नहीं दी गई अब वह लाव और चड़स भी नहीं चला सकते हैं। मैंने इस प्रकार के कई केसेज रेफर किये थे लेकिन वह बोलते हैं कि जब लगेगी तब लगेगी समझ में नहीं आता कि जब किसानों को नोटिस दे दिया कि उनके यहां बिजली लगने की स्थिति है और अगले ने एल फार्म जमा करा दिया है तो साल दो साल गुजर जाने के बाद भी बिजली क्यों नहीं मिलती? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा? अगर यह बात नहीं है, इनकी बिजली देने की स्थिति नहीं थी तो क्यों इन्होंने नोटिस जारी किये? जब एल फार्म दे दिया तो कोई बहानेबाजी किसानों के साथ करना उसके साथ धोखाधड़ी और बेवफाई करना है। सभापति महोदय, बोर्ड की इन कारगुजारियों से किसानों में बड़ा भ्रम फैल रहा है। ढाई-तीन साल से बोर्ड में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और ढिलाई फैली है उसको दृष्टि में रखते हुए किसान समझता है कि अधिकारियों से या अभियन्ताओं से तो किसी प्रकार कोई अपनी पैरवी कर लेता है, उनको तो बिजली मिल जाती है और बाकी लोग रोते रह जाते हैं। यह धारणा हमारे किसानों के मनोबल को गिराने वाली है। मैं मौजूदा सरकार से आशा करता हूं कि बोर्ड में इस प्रकार की ढिलाई और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कड़ी कार्यवाही करेगी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की जो क्षमता है उसमें तालमेल नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खास तौर से रबी की फसल के अन्दर यह देखा जाता है कि बिजली की इतनी कमी होती है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। गयी रबी की फसल में जैसे गेहूं की फसल में दस, आठ पानी जहां लगना चाहिए वहां चार पांच पानी भी नहीं पहुंचा होगा जब शिकायतें की जाती है तो उसका जवाब सकारात्मक नहीं मिलता है और

(82)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कहा जाता है कि बिजली की कमी है। सभापति महोदय, मैं बोर्ड का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप न्यौता उतना ही दीजिए जितना आपके भण्डार में खाने का सामान है। एक दफा फल लगने के बाद, एक दफा बैठ

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जाने के बाद, आप कहें कि सामान नहीं है तो यह उचित नहीं है। रबी की फसल में किसान बहुत तंग होते हैं। एक पानी की कमी से सारी फसल खराब हो जाती है। गये साल 10 में से 4 या 5 पानी मिल पाया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह तो वर्षा हो गई नहीं तो मुश्किल हो जाती। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि रबी के अन्दर ज्यादा किसान आन्दोलन करने को तैयार हो जाते हैं। कई जगह बिजली पूरी न देने पर, वाल्टेज कम हो जाने पर जो छोटे-छोटे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं, किसान क्रुद्ध होकर उनसे झगड़ा करता है जबकि उसको पता ही नहीं है कि बड़े अधिकारियों की कमी, खामी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी समय ले लिया।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : माननीय सभापति,महोदय यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जयपुर जिले के किसान खास तौर से एक मात्र रबी की फसल करते हैं। वह इस बर्बादी को सहन नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और आने वाली रबी की फसल के लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिथिलता को नजर अन्दाज नहीं किया जाय वरना हमारे किसानों के पेट के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी आज ही तय करलें कि कितने कुओं के लिए बिजली है और कितनी बिजली और चाहिये। किसी प्रकार अगर अणु बिजली घर बन्द हो गया तो उन कुओं के लिए क्या व्यवस्था होगी ? बड़े उद्योगों की बिजली कम कीजिये। सेठों की सांठ गांठ से बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली दी जाती है और किसान रोता फिरता है। अगर उद्योगों की बिजली कम होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर किसानों को एक पानी नहीं मिला तो सारी फसल बर्बाद हो जाती है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक बात और कह कर समाप्त करूंगा।

खास तौर से उस समय जो रबी की फसल सर्दी में होती है, बिजली देते हैं वह निरन्तर नहीं देते हैं। बीच-बीच में व्यवधान होता है।

श्री सभापति : अब तो बरसात हो गई, बिजली काफी मिलेगी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : किसान को रात को बिजली देते हैं, दिन में कारखाने को बिजली देते हैं। किसानों को दिन में बिजली देनी पड़ेगी। निरन्तर देनी पड़ेगी वाल्टेज पूरा देना पड़ेगा। वाल्टेज पूरा नहीं देने से किसानों की मोटरें जल जाती

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

हैं। निरन्तर बिजली देना, वाल्टेज पूरा देना बहुत जरूरी है।

यहां जो मिनिमम चार्जेज लेते हैं, किसानों के साथ बड़ा अन्याय है। आप बिजली टाइम पर दे नहीं, फिर मिनिमम चार्जेज की मांग करते हैं, यह गुनाह और बेलज्जत है। इससे ज्यादा कोई अन्याय नहीं हो सकता इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं हो सकती। खुद तो बिजली नहीं, दो और किसानों से मिनिमम चार्जेज की मांग करो ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : मैं आशा करता हूं कि नई सरकार बिजली की अनियमितताओं को दूर करेगी, बिजली की कमी को दूर करेगी और पिछले 2½ वर्षों में जो भ्रष्टाचार पनपा है उसको जल्दी दूर करेगी, बिजली की योजनाओं में जो धीमी गति हैं, तेज गति से राजस्थान के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे यही बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री त्रिलोकसिंह जी !

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : सभापति महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में मुझे कुछ बताना है। यह बोर्ड ऐसा बोर्ड है, जिसका देश के किसानों की जिन्दगी के साथ, फसल के साथ सीधा ताल्लुक है। हम लोग इसके भुगत भोगी। हैं हम जानते हैं कि किसानों की हालत क्या होती है, जब खेतों में फसल पकने को आती है तब बिजली बन्द हो जाती है, बिजली कट जाती है और जहां 12 घण्टे बिजली मिलनी चाहिये, वहां दो घण्टे बिजली मिलती है। यह लम्बी बातें जहां बिजली बोर्ड से ताल्लुक रखती हैं। इसके साथ ही जो बिजली खरीदता है, जो सरकार को पैसा देता है, इसकी बात की क्या कीमत है ? बोर्ड बना रखा है। उसमें या तो भ्रष्ट अधिकारी हैं या बड़े-बड़े आदमी पैसे वाले हैं। किसानों का उसमें कोई प्रतिनिधि नहीं है, किसानों को कोई नहीं पूछता। यह पूंजीवादी व्यवस्था है। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। बिजली बोर्ड के गरीब कर्मचारी अपनी मांग के लिये, अपनी रोटी के लिये जब वे आन्दोलन करते हैं तो उनको दबाया जाता है। जब राजस्थान के बिजली कर्मचारियों ने आन्दोलन किया तब उनके लिये एक बोर्ड बना। राणावत ने फैसला दिया। सरकार ने मन्जूर किया कि इनकी कुछ वाजिब मांगें मानी जायें। मन्जूर करने के बाद भी आज तक यह बोर्ड उन गरीब मजदूरों को, जो बिजली बोर्ड में काम करते हैं, और ज्यादातर की हालत क्या है, वह डेली मजदूरी पर काम करते हैं, 5 रुपये रोज की मजदूरी दी जाती है। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं। जब आपकी दैनिक मजदूरी 10 रुपये और 15 रुपये हैं, मजदूरों को 5 रुपया ही मिलता है। और उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है अभी चन्द दिन पहले जब मजदूरों ने हड़ताल की, उनका एक लीडर भूख हड़ताल पर बैठा है। बिजली मंत्री चौधरी साहब ने वार्ता में कहा कि जल्दी से जल्दी फैसला कर दिया जायगा। राणावत अवार्ड को लागू किया जायगा परन्तु खेद की बात है इसको अभी तक लागू नहीं किया है। अब मामला

(श्री त्रिलोक सिंह)

किसानों से सीधा ताल्लुक रखता है, और किसानों का मामला ऐसा है यह कानून किसान तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि कारखाने में कुछ चीज बनाता है, मुनाफे से बेच देता है। किसान देश के लिये रोटी पैदा करता है। देश को रोटी पैदा करके देता है। अनाज पैदा करता है और उसके साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। एक और जब वह रात भर खेत में खड़ा रहता है अगर उसका मीटर जल जाय तो उसको कहते हैं पैसा जमा करो। मैं पूछना चाहता हूं मीटर जलने से किसान का क्या ताल्लुक है ? बिजली तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी देता है। मीटर जलता है उसकी गलती से, ज्यादा कम वाल्टेज होने से और दण्ड किसान पर होता है। दूसरी ओर जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो मीटर तो 250 रुपये में आता है। और ट्रांसफार्मर 30 हजार 25 हजार रुपये में आता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। न एक्स. ईएन, न ए. ईएन. न कोई और। यह क्या तमाशा है ? किस तरह का है यह बिजली बोर्ड हमारे प्रदेश में यह जो सेमी गवर्नमेंट है, या सरकारी क्षेत्र में है, इनको बदनाम करने का कैसा तरीका है। बिजली बोर्ड घाटे में चलता है, किसानों को लूटा जाता है। मिनिमम चार्जेज लेकर उनसे वायदा किया कि 24 घण्टे में 12 घण्टे बिजली दी जायगी और कम से कम चार्जेज तय कर दिये। एवरेज रेट सिस्टम चार्ज कर दिया। बोर्ड ने तय कर दिया कि 7 हार्स पावर का क्या लिया जायगा, 10 हार्स पावर का क्या लिया जायगा, 24 घन्टे में 12 घण्टे बिजली देने का वायदा है और उसको एक घंटा बिजली भी नहीं दी जाती। जब आन्दोलन खड़ा होता है, हजारों किसान जिला हैड क्वार्टर को घेर लेते हैं। बिजली बोर्ड को घेर लेते हैं, कलेक्टर को घेर लेते हैं। बड़े-बड़े झगड़े होते हैं। पिछले साल मेरे पड़ोस नागौर और सीकर में भी हुआ। सीकर में किसानों की फसलें थी, जब वह जल रही थीं, खेत सूख रहे थे तो 20 हजार किसानों ने बिजली कर्मचारियों को, एक्स ईएन. को, ए. ईएन. को और कलेक्टर को घेरा हम लोगों ने बीच बचाव करके किसी तरह से शांत किया। हमसे वायदा किया गया कि किसानों को 8 घण्टे बिजली देंगे कम से कम और हमने देखा कि दो दिन के बाद दो घण्टे बिजली नहीं मिली। एक कुएं पर बिजली लगाने के लिये किसान किस तरह से अपना सब कुछ बेच देता है। बिजली की मोटर की कीमत चन्द साल पहले, हजार 12सौ रुपये थी, इस साल 7,200-7,500 रुपये में बिकी। यह खुली लूट किसानों की और दूसरी ओर कुआं बना लेगा, बिजली का सामान ले आयेगा लेकिन जब तक ए. इएन. को एक्स. इएन. को रिश्वत नहीं दे देगा तब तक कनेक्शन नहीं मिलेगा और जब शिकायत की जायगी तो कहा जायगा बिजली कम पड़ गई। हमने पूछा बिजली बोर्ड के सुपरिन्टेन्डेन्ट से ये पिने कहां बनती हैं तो कहते हैं ये तो यहीं बनती हैं। यह बिजली के कनेक्शन देने में लूट मचा रखी है जब तक उनकी पूजा नहीं हो जायगी, जब तक उनको रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक बिजली नहीं देगा। यह एक ऐसा मसला है जिसमें किसी का डिवीजन नहीं है, मतभेद नहीं है, कोई दो राय नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता है कि गलत है। वह किसी भी पार्टी का आदमी होगा, किसी पार्टी से ताल्लुक

(श्री त्रिलोकचन्द)

रखता होगा, किसी आइडियालोजी से ताल्लुक रखता होगा वह यही कहेगा कि किसानों को लूटा है, किसानों को बर्बाद किया है।

पिछले साल हमने देखा करोड़ों रुपयों की फसल खड़ी जल गई, चार आने भी फसल नहीं हुई जबकि पूरा टैक्स ले लिया गया। यह धान्धलीबाजी कब तक चलेगी? किसान के फसल की रक्षा करनी होगी और यह रक्षा खाली बोर्ड की नहीं होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी और अगर बिजली नहीं दी जायगी तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं इस सरकार को धक्का मारकर निकाल देंगे, बाहर कर देंगे– पुलिस भेज देना। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। एक ओर तो किसानों की जिन्दगी की बात होती है, उसकी रोजी-रोटी की बात होती है और दूसरी ओर बिजली बोर्ड में सफेद हाथी बैठा रखे हैं जो किसानों को लूटते हैं। और सरकार बड़ी-बड़ी बात करती है।

सरकार कहती है कि हम लोगों का भला करते हैं, किसानों का भला करते हैं। जरा जाकर देखें किस तरह बिजली बोर्ड ने किसानों को तबाह किया है। किसानों ने अपना घर बेचा है, अपना दूसरा सामान बेचा है और कुंए पर बिजली लगाई है किन्तु बिजली लगाकर तबाह हो गया। क्या हम देश को यही तरक्की का रास्ता बतायेंगे? इस देश का क्या होता है··

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बार बार लोग में आन्दोलन होने के बाद भी सुनवाई नहीं होती है। जो मेरे दूसरे साथी हैं, नागौर जिले में उन्होंने फरियाद की कि खेत जल रहे हैं, फसलें जल रही हैं तो उन पर लाठियां मारी गईं, गोलियां चलाई गईं और उस क्षेत्र में सैंकड़ों किसानों पर झूठे मुकदमें बनाकर तंग किया जाता है, जेलों में भरा जाता है तो मैं कहना चाहता हूं सरकार अगर यह चाहती है कि किसान को लूटा जाय, किसान की फसल को बर्बाद किया जाय और सारे देश को तबाह किया जाय तो सरकार के खिलाफ हम आन्दोलन करेंगे, लड़ाई करेंगे और किसानों की बर्बादी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार लूटेरे बिखेर रही है जो मोटे ताजे हो गये, उनको ठीक करेंगे। तुम्हारे लॉ एण्ड आर्डर को जला देंगे। बगावत करेंगे। कानून भले ही जल जाय लेकिन खेत को नहीं जलने देंगे। किसानों ने बहुत दिनों तक बर्दाश्त किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती थी उस समय जब यह कहते थे कि तुम्हें जागीरदार लूट रहे हैं, जागीरदार थोड़ा लूटते थे तुम तो सब कुछ लूट लेते हो। किसानों के घर, हाण्डी कुर्क कर लेते हो···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर ऐसा ही बोर्ड बनाना था तो किसलिये किसानों को बर्बाद किया। अब रबी की फसल आ रही है और किसानों की रोजी-रोटी का सवाल है, अगर उसके लिये बिजली की व्यवस्था नहीं की गई और तुम्हारा मोटापा बन्द नहीं हुआ तो अब हम कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जिनका जीवन खेती से ताल्लुक रखता है और जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहां 20-20 हजार लगाकर ट्यूब वैल लगाये, बिजली लगाई पर नतीजा क्या निकला? किसान तबाह हो गया इसलिये किसान की

(श्री त्रिलोक सिंह)

आने वाली रबी की फसल के लिये माकूल व्यवस्था करें और बोर्ड को समझायें कि किसान को बिजली देना प्रारम्भ करे। शर्म आनी चाहिये इस सरकार को जो किसानों से वोट लेकर आती है····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सर्दियों की रात में जब आदमी का खून जम जाता है उस समय भी किसान अपने खेत में पानी देता है और उस पानी देते समय ही बिजली बीच-बीच में बन्द हो जाती है। उसके धोरों में पानी अधूरा रह जाता है। यह क्या है ? कहते हैं अप एन्ड डाउन होता है, बिजली का झटका लगता है। यह बिजली का झटका नहीं, मैं कहता हूं किसानों की जिन्दगी के साथ झटका है यह तो देश के साथ मखौल है। तो इस लूट को बन्द करिये और बिजली की व्यवस्था माकूल करिये ताकि किसान आश्वस्त हो। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक किसी प्रकार भी आप किसानों का भला करने वाले नहीं कहला सकते हैं। यहां सदन में बैठकर कुछ कहकर चले जायेंगे इससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अपने कानों को बन्द कर लेगी, कुछ भी नहीं सुनेगी। डेमोक्रेसी बराय नाम की डेमोक्रेसी है। यह कैसी डेमोक्रेसी दिन दहाड़े लोगों को लूटा जाता है ...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

यह खाली एक सदस्य की मांग नहीं है, यह देश के किसानों की मांग है, सारे देश की मांग है और उनकी जिन्दगी का सवाल है, इस पर गौर करेंगे।

श्री सभापति : श्री नारायण सिंह जी !

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मैं बिजली विभाग के बजट के मामले में कुछ मेरे जिले की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे सीकर जिले में पानी के साधन बिलकुल नहीं हैं, हो सकता है दूसरे जिलों के अन्दर पानी के साधन हों लेकिन सीकर, झुंझुनूं, नागौर इनमें जो साधन हैं किसानों के खेत तक पानी देने का बहुत सी जगह बिजली है, वह बिजली यदि समय पर नहीं मिले तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। सभापति महोदय, पिछले साल जब फसल पकने को आ रही थी, उस समय 15-20 रोज तक बिजली नहीं आने से किसानों को इतना आर्थिक नुकसान हुआ है जिसके कारण से पिछले साल अकाल हुआ। बिजली टाइम पर नहीं मिलने के कारण काश्तकारों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं यह चाहता हूं कि किसी तरह अच्छी व्यवस्था हो चाहे बिजली कम दें लेकिन लगातार 8 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे जितनी बिजली हो सके उतनी बिजली दी जानी चाहिये। कभी कभी तो बिजली 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दी जाती है और सर्दियों में रात में बिजली देने के कारण किसान को जो लाभ लेना चाहिए, वह नहीं ले पाता है, जितना पानी खेत को मिलना चाहिये, वह नहीं मिल पाता है। इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और सरकार को ध्यान देना चाहिये। यदि हम कनेक्शन देते गये और जो इसके स्रोत हैं, जो बिजली का उत्पादन है, उस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो, मैं समझता हूं, इस प्रकार का कनेक्शन देने से तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान

(श्री नारायण सिंह)

होगा। आज किसान इस आशा के साथ बिजली लेता है कि वह उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकेगा ज्यादा पैदावार कर सकेगा लेकिन मेरा अनुभव है जब वह बिजली लगा लेता है तो वह यह महसूस करता है कि उसने बिजली लगाकर गलती की है। इसलिये मैं आपके मार्फत सरकार का और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सीकर के अन्दर फतेहपुर के अन्दर 132 ग्रिड का सब-स्टेशन बनने को था। मैं समझता हूं कि वह पिछले साल बनकर तैयार होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ। इस साल यदि नहीं हुआ तो उससे भी भयंकर स्थिति सीकर जिले की होने वाली है, जो पिछले साल थी। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, कुछ खास-खास मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

बिजली बोर्ड के अन्दर एल फार्म लिया जाना जरूरी हैं। जब फिटिंग हो जाती है तो एल फार्म देते हैं, कुछ इस तरह के लाइसेंस कुछ लोगों को दे रखे हैं,जो एल फार्म देते हैं। जो एल फार्म देने वाला है वह एक एक काश्तकार से 70-70 रुपये वसूल करता है। उसको यह नहीं मालूम है कि फिटिंग हुई है या नहीं हुई है। एल फार्म देने के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारी उसकी फिटिंग को देखते हैं। मैं सोचता हूं कि किस कारण 70 रुपये उस किसान से एल फार्म के नाम पर लेते हैं। यह फार्मेलिटी है उसके नाम पर ले करके उसके आधार पर उसको कनेक्शन देते हैं। मैं समझता हूं कि एल फार्म जैसी व्यवस्था हटायी जानी चाहिए।

कुछ सभापति महोदय, बिजली जब कम होती है तो ये बिजली के कर्मचारी उसको वाल्टेज को बढ़ा देते हैं और वाल्टेज बढ़ाने से लोगों की मोटरें जलती हैं, उससे उनका नुकसान होता है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि जो आज से 5-7 दिन पहले क्योंकि वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने के कारण बिजली से कुएं चलने लगे तो एक दिन के अन्दर कम से कम 20-25 मोटरें एक साथ जलीं और जलने के कारण आप अन्दाज लगाइये कि एक मोटर के 500 रुपये उसकी बंधाई के लगते हैं। तो काश्तकारों ने बड़ी मेहनत से पैसा बचा कर रखा था और सोचता था कि पैसा मेरा बचे लेकिन एक घण्टे के अन्दर उसके पांच-पांच सौ हजार हजार रुपये का नुकसान होता है, इसको किसी तरह से बचाया जाना चाहिए।

दूसरा, मीटर रीडर को कर रखा है कि वह रीडिंग लेकर बतायें, अब भी हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी मीटर लगा रखे हैं। वे मीटर रीडिंग लेने के बजाय करते यह हैं कि या तो रीब दिखा कर उनको कर देते हैं उसके पास कोई इत्तला नहीं है। किसान के खेत पर गये नहीं लेकिन वह यह कहेंगे कि लॉक था, इस कारण उसका कोई बिल नहीं आयेगा और जब बिल आयेगा तो एक साथ बिल आ जायगा। यहां तक है कि जब उस सारे बिल का पैसा जमा नहीं करा सकेगा तो बिना किसी नोटिस के कनेक्शन काट देंगे। यह तो हो कि कम से कम उनको नोटिस तो देना चाहिए कि आपका इतना बिल है, आप इसको जमा करा दीजिए, नहीं करायेंगे तो आपका कनेक्शन इतने दिन के अन्दर कट जायगा। किन्तु एन फसल के टाइम पर जब फसल पकने को होती हैं, उस समय उसका बिना किसी नोटिस के कनेक्शन का

(श्री नारायण सिंह)

दिया जाता है। इसलिए नोटिस का तो कम से कम ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि वह कम से कम सूचित कर दे। उस किसान की गलती से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की गलती के कारण उसका कनेक्शन कट रहा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

भ्रष्टाचार की बात मैं आपको बताऊं कि जब, सभापति महोदय, भैरोंसिंह जी और जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद भैरोंसिंह जी ने छोटी चौपड़ के ऊपर पब्लिक मीटिंग करके कहा था कि आज से भ्रष्टाचार राजस्थान के अन्दर से समाप्त हो गया। मैं आपको सही बता रहा हूं कि बिजली के विभाग के अन्दर जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है। वह भ्रष्टाचार जिसकी बात कही गयी थी कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, मैं तो मानता हूं कि उससे कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। दांतारामगढ़ के अन्दर जनता पार्टी की सरकार ने जाडोली के अन्दर ए.ई.एन. का दफ्तर था, इसको इस कारण से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया कि वहां एक आदमी, जिसने आफिस के लिये एक मकान किराये पर दे रखा था, उसको मकान किराये नहीं मिलना चाहिए, इसके कारण से उसको वहां से हटाया गया। वरना उसका कोई कारण नहीं था किसानों को आज काफी दूर तक जाना पड़ता है। आज ए. ई. एन. का आफिस दांतारामगढ़ में । एक्स ई. एन. का आफिस श्रीमगढ़, जब कि उस एरिया से कोई लगता हुआ सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं रहे कोई नजदीक न रहे, काश्तकार की समस्याओं को एक्स. ईएन. तक पहुंचायी ही न जा सके, यह सारे हालात इस तरह हो रहे हैं। कई रोज मैंने चीफ इंजीनियर से कहा, वहां के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं, उनसे कहा, उन कर्मचारियों की शिकायत की, ए. ईएन. की शिकायत की कि किसानों को 2-2 साल से कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, कनेक्शन मिलने चाहिए, इनकी जो दिक्कतें हैं, वह सुनी जानी चाहिए लेकिन नहीं सुनी जाती और यह कह कर टाला जाता है कि इनका हमारे सामने कोई इलाज नहीं है। आज वहां हमारे ए. ईएन. के आफिस के अन्दर, दांतारामगढ़ के अन्दर बाबू लोग लड़ते हैं और स्थिति यहां तक है कि दफ्तर में बैठता नहीं और जाता नहीं। जाने की स्थिति में वह नहीं हैं क्योंकि बाबू उसे वहां बैठने नहीं देता, वह चपरासी मेरा कहना नहीं मानता, वह कर्मचारी बिल-क्लर्क मेरा कहना नहीं मानता। तो ये जो हालत है इसको यदि नहीं सुधारा गया तो इसका सारा अल्टीमेटली असर गरीब किसान पर होता है। उसका बिल सही नहीं जाता। एक दफा बिल कुछ गया, पांच हार्स पावर की जगह 10 हार्स पावर का बिल जा रहा है। पहली दरख्वास्त दी जाय तो वे कहते हैं मेरे वश का नहीं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दरख्वास्त दो तो यह जो इस तरह की गफलत हो रही है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह दूर की जानी चाहिए जिससे कि किसान का हित हो सके। किसान इससे उत्पादन बढ़ा सके। यदि किसान का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकेगी और जो हालात किसान के हैं, जिसको हम चाहते हैं कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे, उसमें,

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री नारायण सिंह)

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । आप घण्टी न बजायें तो ठीक है । मेरी दिक्कतों को मैं थोड़े समय में रखूंगा ।

सभापति महोदय, यह मेरे समझ के बाहर की बात है, बार-बार ये जो आर.ए.पी.पी. है वह खराब रहता है । आज इस बात को किसान भी समझने लगा है, वहां भी अखबार जाने लगा है, जब ये सुनता है और अखबार पढ़ता है कि आर. ए. पी. पी. बन्द हो गया, तब वह बेचैनी महसूस करता है । यहां तक वह महसूस करता है यह मैं मानता हूं कि वह न इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में है न राजस्थान सरकार के हाथ में है, लेकिन यदि कोई दूसरी इस तरह की व्यवस्था न की गयी तो आज जो बिजली बढ़ रही है और जो बिजली दे रहे हैं और हम ज्यादा काम, ज्यादा कनेक्शन देने की बात करते हैं, उससे किसान को ज्यादा नुकसान होने वाली बात है, फायदा नहीं हो सकता अभी मेरे साथी ने, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जितना है, उतना ही वह खर्च करें । यदि हमारे पास बिजली कम है, बिजली का उत्पादन कम है तो हम कनेक्शन देने, इलेक्ट्रिफाइड करने की ज्यादा बात न करके जिनको बिजली दे रखी है,

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनको ही दें, इनमें बढ़ोतरी करने से चाहे किसान को, चाहे इण्डस्ट्रियलिस्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होगा ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : सभापति महोदय, मैं केवल ग्रामीण विद्युतीकरण पर अपने विचार प्रकट करूंगा । यदि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से इस आय-व्ययक अनुमान को देखा जाय तो मुझे ऐसा लगता है कि हम गौरव से अपना मस्तक ऊंचा कर सकते हैं । कई माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि बिजली बोर्ड अक्षम है, किन्तु यदि ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से हम विचार करें तो सारे देश के सामने राजस्थान अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है । गत 27 वर्ष की उपलब्धियों और पिछले 2 वर्ष की उपलब्धियों की यदि तुलना की जाय तो हम कह सकते हैं कि यदि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति यही रही तो हम बहुत ही शीघ्र समूचे राजस्थान में विद्युतीकरण कर सकते हैं । मान्यवर सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने राजस्थान के विद्युत मण्डल को जो सर्टिफिकेट दिये हैं, उससे प्रत्येक राजस्थानी गौरव अनुभव कर सकता है ।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति की विवेचना करते समय राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने एवं पम्प सैट को ऊर्जीकृत करने की दिशा में अतिश्रेष्ठ (कथनीय प्रगति प्राप्ति) कार्य करने हेतु बधाई दी है ।

इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्यों की ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में प्रगति की तुलना करते समय यह भी ध्यान में लाया गया था कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्य विद्युत मण्डलों की कार्यशीलता जांचने हेतु निर्धारित किये गये मापदण्डों के आधार पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की प्रगति सभी क्षेत्रों में तथा ग्रामीण विद्युतीकरण, पम्प सैटों का ऊर्जीकरण, प्रसारण एवं वित-

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रण· लाइनों का निर्माण, परिवर्त्तकों के संस्थापन आदि में सर्वोच्च रही। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के दिसम्बर 1979 माह के बुलेटिन में प्रकाशित अनुच्छेद से संदर्भित निष्कर्ष को पुनरुत्पादित किया जा रहा है।

पिछले वित्त वर्ष (1978-79) के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राजस्थान सबसे आगे रहा। नये गांवों को बिजली देने तथा उच्च और निम्न विभव पारोषण लाइने बिछाने में राज्य ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की....।

यह सर्टिफिकेट हमको ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। इस नाते से हम कह सकते हैं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से प्रशंसनीय काम किया है, अनुकरणीय काम किया है। यही प्रगति यदि हमारी रही तो समूचे राजस्थान का विद्युतीकरण निकट भविष्य में होगा, ऐसी मुझे आशा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करूं तो उससे प्रत्येक राजस्थानी गौरव अनुभव करेगा ट्रांसमिशन लाइन 27 वर्षों में 220 के. वी. लाईनें 816 किलोमीटर थी, वह पिछले दो सालों में 169 किलोमीटर और बढ़ी यानि 20 प्रतिशत तक प्रगति दो वर्षों में हुई। 132 के.वी. की लाइनों में साढ़े तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह 27 वर्षों की और दो वर्षों की तुलना कर रहा हूं, श्रीमान्, 38 केवी की लाइन 9878 किलोमीटर थी इसमें साढ़े तेरह प्रतिशत बढ़ोतरी हुई और यदि नम्बर ऑफ कंज़्यूमर्स को देखा जावे तो 8, 71, 602 थे 27 वर्षों में जो कि पिछले दो वर्षों में दो लाख बढ़े हैं। मतलब यह कि 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है दो वर्षों में। नम्बर आफ कुए जो इलेक्ट्रिफाइ किए गए 27 वर्षों में 1,07, 355 इलेक्ट्रिफाइड हुए थे और दो वर्षों में 77908 कुए इलेक्ट्रिफाईड हुए। मान्यवर 27 वर्षों को दो वर्षों से तुलना की जावे तो 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह राजस्थान के लिये गौरव की बात है। नम्बर आफ लोकलिटिज 8506 लोकलिटिज इलेक्ट्रिफाइड थीं उसमें 5800 और बढ़ी और इस तरह से 79 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है। यह जो प्रगति हमारी चली है ग्रामीण विद्युतीकरण की यह प्रसंशनीय है। पर केपिटा कंजम्प्शन किलोवाट हावर 76-77 में 70.77 था, 78-79 में एक वर्ष में 83.5 किलोवाट हो गया यानि 18 पर्सेन्ट बढ़ा है। यदि हम इसी दृष्टि से विचार करें तो राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण ने पिछले दो वर्षों में जो एक जम्प लिया है, यदि हमारी गति इसी हिसाब से रही तो हम भारतवर्ष में बिजली की दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं कहला सकते। यह जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 31 मार्च, 1987 तक कि पूरे प्रदेश को इलेक्ट्रिफाई कर देंगे, यदि यही गति रही तो सचमुच में प्रदेश इलेक्ट्रिफाइ हो जायगा।

दूसरा मैं इस विषय में यह भी निवेदन करना चाहूंगा जो हमारा मरू क्षेत्र है, यदि औसत लगाया जावे तो राजस्थान के इलेक्ट्रिफिकेशन का औसत आता है 46.93 पर्सेन्ट की वृद्धि हुई है और यदि केवल मरू क्षेत्र की वृद्धि का अनुमान लगायें तो

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सामान्य 46.93 प्रतिशत है लेकिन मरू क्षेत्र में यह वृद्धि 53.55 प्रतिशत हुई है। मरू क्षेत्र में भी हम इस दृष्टि से आगे बढ़े हैं। जनजाति क्षेत्र में पिछले दो सालों की प्रगति के हिसाब से देखा जाय तो जहां सामान्य औसत 46.93 प्रतिशत है, जनजाति क्षेत्र में यह वृद्धि 62.82 प्रतिशत हुई है। इसलिए रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के मामले में यह बात बड़े गौरव से कहा जायगा कि राजस्थान में जम्प लिया है सभी क्षेत्रों में। चाहे वह कुओं का विद्युतीकरण हो, चाहे वह लोकलिटिज का हो, सभी दृष्टि से हमने प्रगति की है और जहां हमें भारत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को प्रशंसा पत्र दिया है उससे हमारा हौसला बढ़ेगा और वर्त्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि इस गति में बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करे और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की इस प्रगति को अबाध रूप से चलने दें। क्योंकि राजस्थान में पेयजल की समस्या है। जब तक गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा, तब तक पेयजल की समस्या हल नहीं हो सकेगी। तो राजस्थान की अनेक समस्याएं हैं उनका हल बिजली में निहित है और इसलिए इसकी गति इस प्रकार बढ़ती रहना चाहिए।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां यह प्रगति प्रशंसनीय हुई है वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कई मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा। यह सत्य है कि योजना महत्वाकांक्षी बनी, दो वर्षों में प्रगति भी प्रचुर मात्रा में हुई किन्तु उसके कारण कई दिक्कतें भी खड़ी हो गई। स्कीम्स मंजूर हो गई। वहां इंजीनियर पहुंच गए, वहां स्टाफ पहुंच गया, दफ्तर खुल गया किन्तु हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि इंसूलेटर नहीं पहुंचा। इंसूलेटर पहुंच गया तो खम्भे नहीं पहुंचे। खम्भे पहुंच गए तो वायर नहीं हैं। इस तरह से एक चीज के अभाव में वहां का पूरा का पूरा स्टाफ हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इस कारण यह जो महत्वकांक्षी योजनाएं बनाई है यह वेल प्लाण्ड होनी चाहिए ताकि जिस किसी सामान की कमी के कारण पूरा स्टाफ बेकार न बैठा रहे।

दूसरा मैं एक यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि किसानों की अपनी कई समस्याएं हैं। सचमुच में गांवों के किसानों को बिजली विभाग से परेशान होना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति स्तर पर यदि बिजली विभाग के कर्मचारी और जन प्रतिनिधियों की एक महीने में एक बैठक हो जावे, एक मीटिंग हो जावे तो यह परेशानी किसानों की दूर हो सकती है। क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी यह चिन्ता रहेगी कि कोई भी गलत काम किया तो उस बैठक में जवाब देना पड़ेगा। किसानों की अनेक समस्याएं इन मीटिंगों के माध्यम से आसानी से हल हो सकती हैं। इसलिए मेरा सुझाव है सरकार पंचायत समिति स्तर पर इस प्रकार की बैठकों का आयोजन करे। कई बड़े उद्योग हैं, करोड़ों रुपया उनमें बाकी है, सस्ती दर पर बिजली भी उनको दी जाती है किन्तु अकाल पड़ गया और कोई बात हो गई तो किसानों के साथ रियायत करने को विभाग तैयार नहीं होता। इसलिये विभाग को किसानों के बारे में जो वहां के लोकल आफिसर्स हैं, उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिये। किसानों के साथ कैसा

(92)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

व्यवहार हो। किसानों की दिक्कतें क्या है? और इसलिये गांवों में विद्युतीकरण किया गया तो यह सफल होगा वरना यह सब विद्युतीकरण करने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा तो यह दिक्कत किसानों की दूर नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक मास में पंचायत समिति स्तर पर यह बैठकें आयोजित की जाये। अभी विद्युतीकरण प्रगति से हो रहा है, किन्तु बिजली उत्पादन की दृष्टि से हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ, आज

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भी धनाभाव के कारण जिस गति से चलना चाहिये था, उस गति से नहीं चल रहा है। यहां हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, वहां हमें बिजली उत्पादन करने के सम्बन्ध में विचार करना पड़ेगा और थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में विशेष रूप से विचार करना पड़ेगा। करोड़ों रुपये की मशीनें आई हुई हैं। पैसे के अभाव में डेमेजेज में चलती रही। लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है तो बिजली बोर्ड को इस नुकसान से बचने के लिये एक प्लानिंग बनानी चाहिये। सरकार को चाहिये कि बिजली बोर्ड को कह कर इस प्रकार की प्लानिंग तैयार कराये। जिसके आधार पर यह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ठीक तरह से चलता रहे वहां बिजली विभाग की क्या, प्रगति हो रही है, उसकी बराबर जानकारी लेते रहें। जो दिक्कते हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। इतना ही में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना): सभापति महोदय, बिजली उद्योगों के लिये जितनी आवश्यक है, उसके अधिक खेती के लिये और काश्त के लिये किसानों को आवश्यक है क्योंकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, जहां अन्य जगह धन की आवश्यकता है, वह ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों पर आधारित है। वैसे योजना के सम्बन्ध में, जो हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं. उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा है। मैं विशेष तौर पर इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को जहां विद्युत उपलब्ध करा दी गई है या जहां विद्युत पास से निकल गई है और किन्हीं कारणों से विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाई है उनके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक दो वर्ष में जहां विद्युत प्रचुर मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायी गयी, वहां पावर स्टेशन बिजली की आंख मिचौनी किसानों के साथ करते हैं, उससे ज्यादा दयनीय हालत किसानों को कभी हुई नहीं और सम्भवतः कभी हो नहीं सकती है।

हमारे; एटामिक पावर स्टेशन से लेकर पानी की कमी से जो हाइड्रो स्टेशन हैं, उनमें जो विद्युत की कमी रही उसको देखते हुए और उसको भुगतते हुए किसानों की हालत इतनी ज्यादा खस्ता है कि अच्छी मात्रा में फसल पैदा कर सकने के बाद भी सिर्फ बिजली की कमी के कारण वह फसल प्राप्त नहीं कर सकते। यहां तक हुआ कई इलाकों में कि जितना बीज बोया था वह भी प्राप्त नहीं कर सके। पिछले साल बरसात की कमी रही, बरसात के साथ डीजल की कमी रही इसलिये डीजल सैट्स भी नहीं चल सके। उसके साथ में विद्युत भी फेल हो गई। इस

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बात के लिये हमें विचार करना पड़ेगा कि जिन इलाकों में हमने विद्युत दे दी हैं और जिन इलाकों में प्रचुर मात्रा में विद्युत देते जा रहे हैं, उनको उसी हिसाब से विद्युत की सप्लाई भी उपलब्ध हो इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम विद्युत लाइन खींचते हैं तो कई प्रकार से गांवों की स्वीकृति दी जाती हैं। उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण भी हो सकता है, मानवीय दृष्टिकोण भी हो सकता है। जलप्रदाय योजना को देखते हुए भी हमें बिजली की लाइन खींचनी पड़ती है। लेकिन वह गांव क्या कसूरवार हैं, जिनके अन्दर से बिजली की लाइन निकलती है 11 केवी की और उन गांवों को बिजली नहीं दी जाती है ? अगर कोई भी दृष्टिकोण उस गांव को विद्युतीकृत करने का रहा हो वह और बात है मैं उसकी चर्चा यहां नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गांव 15 या 16 मील दूर हैं और किन्हीं कारणों से उसका विद्युतीकरण करना उचित समझा गया और विद्युतीकरण किया जा रहा है तो उनके बीच में 3-4 गांव आते हैं जहां से 11 केवी. की लाइन गुजरने के बाद सिर्फ एक ट्रांसफार्मर लगाने और लाईन खींचने के बाद में उन गांवों के कुओं को बिजली मिल सकती है तो, क्यों नहीं दी जाती ? यह बहुत बड़ी कमी रही हैं क्योंकि हम जब क्षेत्र में विद्युतीकरण करने जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन गांवों में विद्युतीकरण करें ही जहां पर पूरी लाइन खींचनी पड़ेगी। उसके बजाय जिन गांवों में से बिजली की लाइन जा रही है, उनका करेंगे तो एक तो नम्बर आफ विलेजेज में इलेक्ट्रिफिकेशन ज्यादा होगा और हम एक गांव में कर रहे हैं तो 6 गांवों में हो जायगा दूसरा इससे खर्चा कम आयेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इस तरह गांव छूट गये हैं 11 केवी की लाइन गुजर रही है उनको प्राथमिकता के आधार पर आप विद्युतीकृत घोषित करके विद्युतीकरण करायें। इसके साथ ही वैसे बहुत से गांवों के नाम बता सकता हूं लेकिन यह मेरे क्षेत्र की ही कठिनाई हो ऐसी बात नहीं है, सारे राजस्थान में सभी जिलों में इस तरह की बात मिल जायगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने कई गांवों का विद्युतीकरण किया है, किसी न किसी कारणवश बीच के गांव छूट गये हैं, जैसे तीन तरफ के गांव विद्युतीकृत हो गये एक छूट गया। किन कारणों से छूटा ? प्लानिंग में सर्वे में ध्यान नहीं रखा गया, वह और बात है, लेकिन ऐसे गांव में जहां 15-15, 20-20 कुएं बैलों के द्वारा या इंजिनों से चल रहे हैं, इसके बाद जब इस तरह का गांव छूट जाता है तो वहां के लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मैंने कई बार बिजली विभाग को बिजली बोर्ड को मंत्री महोदय को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में निवेदन किया था। कुछ गांवों का विद्युतीकरण किया भी गया है लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से गांव छूट गये हैं, जो बिल्कुल बीच में आये हैं और आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दो किलोमीटर के फासले पर हैं, इस तरह के गांव राजस्थान में चाहे किसी जिले में किसी तहसील में हो जिसके तीन तरफ या चारों तरफ विद्युतीकरण किया जा चुका है, उनको

(९५)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

किसी भी हालत में पीछे नहीं छोड़ना चाहिये, जब एक दो गांव पन्द्रह बीस मील के रेडिअस में छूट जाते हैं तो उन गांवों को ले लेना चाहिये। यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी बोर्ड की जनरल मीटिंग होती है, वहां विचार-विमर्श होता है और इस तरह की समस्या पर जनरल डिसकशन किया भी जाता है। बोर्ड के सामने इस तरह की समस्या पायी भी गई है उन्होंने एक गांव में बिजली की स्वीकृति है उसके सम्बन्ध में उसमें लिखा है.... In the Budget estimates for the year 1979-80 stress has been laid for electrification of the localities adjoining already sanctioned electrified villages. Priority is to be given for such localities requiring extension of 11KV line not more then one kilometer तो यह ऐसी व्यवस्था रही है। ऐसा बोर्ड का सोचना भी रहा है। ऐसा, मीटिंग में डिस्कशन्स के बाद में निर्णय तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से विचार भी किया, मेरा निवेदन है कि बोर्ड गंभीरता को समझता है तो मेरे खयाल से इस तरह गांवों को पीछे छोड़ना न्यायोचित नहीं होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा था कुछ गांवों के सम्बन्ध में, जैसे मेरे क्षेत्र में शउश्या, चारणाबास, काटनिया, रूईछड़ा, नथानिया, चावनी, पीपरिया, यह ऐसे कई गांव हैं, जहां पर आठ से लेकर बारह साल पहले बिजली जा चुकी है, फिर भी यह गांव छूटे हुए हैं, कम्पलीट चारों तरफ बिजली आई हुई है। यह मैंने इशारा किया है। बाकी आपके स्टेट के अन्दर बहुत से गांव हो सकते है। मेरे यहां विद्युतीकरण की नई योजना में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में 60-65 गांव स्वीकृत हुए हैं और इनका मेरे खयाल से कभी कार्य शुरू नहीं उनमें भी आपकी योजना बनी, उसमें फिर गांव छोड़ दिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो छूट गये, उनको तो आप छोड़ दीजिये लेकिन आगे जो योजना बनायें उसमें इसकी गंभीरता को देखें और आगे गांव नहीं छोड़े जायं।

इसके साथ ही जिन गांवों को विद्युतीकरण कर दिया गया है उन गांवों में समय पर कनेक्शन नहीं मिलते हैं। गांव वाले अप्लाई कर देते हैं। महीनों घूमते रहते हैं। और कहा जाता है कि आपके गांव में 5-6 कुओं के कनेक्शन की स्वीकृति है। उसके बाद की स्वीकृति नहीं हुई जब कि बोर्ड की स्पष्ट नीति है और उस नीति के बारे में जानकारी है क्योंकि मैं राजकीय उपक्रम समिति का सदस्य था। इसलिये कई बातों को मैं नहीं उठाना चाहता लेकिन मैं इशारा मात्र करना चाहता हूं कि बोर्ड की यह नीति रही है कि जिन गांवों के कुंए बेलों से चल रहे हैं और उन गांवों में छः कुए, वैसा पूर्व में यह तय किया था कि छः कुए लिये जायेंगे लेकिन वहां अगर कुछ प्रचुर मात्रा में हैं और पानी उपलब्ध है और आम तौर पर छः सात या आठ या दो तीन कुओं की लोग ज्यादा डिमाण्ड करते हैं या किसानों की अर्जी आ जाती है तो मानवता के आधार पर उनको मना करने का अधिकार नहीं है। बोर्ड इसको मान कर चलता है और बोर्ड ने अपने एक्स. इ. एन., ए. इ. एन.

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं, सभापति महोदय, पांच मिनट लूंगा।

उन्होंने यह इन्स्ट्रक्शन्स जारी कर रखे हैं कि इस तरह के जो लोग है उनको मानवता के आधार पर पीछे नहीं छोड़ा जाय। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गंभीरता को समझते हुए स्ट्रिक्टनेस से इसे लिया जाय और पीछे नहीं छोड़ा जाय। इसके साथ ही अनुसूचित जाति की लोकेलिटीज हैं उनको भी विद्युतीकृत नहीं किया जाता है कई बार हम इसको ध्यान में लाए हैं और यह बहुत ही गंभीर विषय है और आप इसको मान कर चलते हैं कि जिन गांवों को विद्युतीकृत किया जाता है उनमें पहले अनुसूचित जाति की लोकेलिटी हो, इसको भी मद्दे-नजर रखें।

कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग है, इसे एक उद्योग मान लिया जाना चाहिये और जब उद्योगों में बिजली की रेट्स कम है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी इकानामी आधारित है और हमें अन्न मिलता है। इसलिये उद्योगों से इसकी रेट कम होनी चाहिये उद्योगपतियों को आपने करोड़ों रुपया बकाया होने के बाद भी सहूलियतें दे रखी हैं और इतनी रेट कम है, बकाया की इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट है जिसके बारे में आप खुद जानते हैं इसलिये इतना ही इशारा मात्र काफी है जो करोड़ों रुपये बकाया हैं उनको आप चाहे कुर्की करें, चाहे किसी प्रकार से हासिल किये जाय लेकिन इनकी रिकवरी की जाय।

मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार कितना व्याप्त है और क्यों और इसको हटाने के लिये किस दृष्टि से सोचा जा सकता है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना उचित समझूंगा। मैंने निवेदन किया था आपके विभाग में जब कोई गांव इलेक्ट्रिफाइ किया जाता है तो उसमें सबसे पहले प्रार्थना पत्र कंज़्यूमर देता है, जो कि किसान भी हैं उस प्रार्थना पत्र के बाद ए. इ. एन. आफिस से डिमाण्ड नोटिस ईश्यू होता है। यहां तक तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है। डिमाण्ड नोटिस में यह होता है कि कितने हार्स पावर की मोटर लगनी है, कितने पोल इसको फ्री दिये जायेंगे लेकिन यहां पर ए. ई. एन. एक पोल की गड़बड़ी कर देता है। जब कि आपका फर्स्ट पोल काउन्ट नहीं होता और आपके निर्देश हैं कि प्रथम पोल के बाद में जितने पोल लगेंगे उसको प्रति हार्स पावर एक पोल के हिसाब से फ्री दिया जाय। तो भी एक पोल को अधिक मान कर डिमाण्ड नोटिस देता है। जब वह पैसा काश्तकार के ज्यादा आया तब वो बीच बचाव करता है, कहता है एक पोल में कम कर देता हूं कुछ पैसे मुझे दे, कुछ तू रख। तो आधा-आधा करता है। कंज़्यूमर इस बात को समझता नहीं किसान बहुत भोला भाला होता है, इसलिये बहुत स्ट्रिक्ट आदेश होने चाहिये कि पहला पोल फ्री है और उसके बाद एक हार्स पावर के हिसाब से प्रति पोल होते हैं तो उसके हिसाब चार्जेज होने चाहियें। अगर प्रथम पोल को छोड़कर डिमाण्ड नहीं बनाई तो उसको बिल्कुल मत छोड़िए। He should be terminated.

इसके साथ ही फिटिंग के मामले में भी जब ए. फार्म जमा करावे

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

है तो यहां सब गड़बड़ी शुरू होती है। एल फार्म जब जमा कराता है तो कोई भी ए. इएन. एल फार्म की रसीद नहीं देता। एल फार्म लेने के बाद में रजिस्टर में दर्ज नहीं करते, उसको पेंडिंग रखते हैं क्योंकि आपकी प्राथमिकता एल. फार्म पर फिक्स होती है। जिस काश्तकार मे इंटरेस्ट है उसको पहले कर देते हैं और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसका एल फार्म पड़ा रहेगा। इसलिये जितनी बारगेनिंग करनी है, 400-500 की, वह, इसी स्टेज पर होती है। इसलिये जिस दिन एल फार्म उसको दिया जाय उसी वक्त, ऐसे स्ट्रिक्ट आदेश हों कि उसकी रसीद दी जाय और रजिस्टर में एल फार्म देने की तिथि नोट की जाय। इसके साथ ही यह भी होता है कि जब एल फार्म आ गया तो ए. इएन. जायेंगे कूए पर देखने कि फिटिंग ठीक है या नहीं। बड़ा ताज्जुब होता है जब चार कुओं के एल फार्म एक ही आदमी द्वारा दिये जाते हैं तो उनमें तीन तो ठीक ए ई एन मान लेते हैं और एक कुए का कनेक्शन चूंकि देना नहीं चाहते इसलिये लिख देते हैं कि फिटिंग ठीक नहीं है। जब एल फार्म देने वाला व्यक्ति एक हैं. फिटिंग करने वाला एक है तो ए. इएन. के स्तर पर यह गड़बड़ी है। इसलिये उसको यह चाहिए कि एल फार्म आने के बाद रजिस्टर में लिखने के बाद मे इसकी एक प्रायोरिटी लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा देनी चाहिये कि फलां फलां अमुक आदमी इस इस नम्बर स है और इस बोर्ड को जो भी एक बार देख लेंगे कि मुझे बिजली कब मिलने वाली है तो जानकारी हो जायगी तो ए. इएन. के स्तर पर बारगेनिंग कतई नहीं होगी। इसलिये आप एल फार्म की प्रायोरिटी लिस्ट बना कर नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिये इनको बाध्य कीजिये। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मेलाफाइड इंटेशन है और वे जनता के साथ न्याय करना नहीं चाहते।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एल फार्म को हटा क्यों नहीं देते। क्योंकि एल फार्म हरेक आदमी दे नहीं सकता क्योंकि इसके लिये जो सर्टिफाइड हैं इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के यहां से वही देता है। लोगों ने बड़ी प्रचुर मात्रा में हजार-हजार छाप रखे हैं और लोगों को बांट रखे हैं तो हजारों आदमी बिजली फिटिंग करने वाले हैं और एक आदमी जो एल फार्म देने का अधिकारी है जिसके नाम से दस्तखत होते हैं तब एक एल फार्म के 70 रुपये. 100 रुपये, 50 रुपये जैसा मौका होता है वैसा फायदा उठाते है समय का पैसा लेते हैं, जब कि एल फार्म के बिना ही काम चल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एल फार्म के बिना ही ए. इएन., जे. ई एन, कुएं पर यह देखने जाएंगे कि इसका फिटिंग ठीक है या नहीं तो यह क्यों नहीं देख सकते जब काश्तकार फर्स्ट रिपोर्ट पेश करें कि मैंने बिजली फिटिंग करवा ली है और मेरी फिटिंग पूर्ण है और जब ए. इएन. या जे. इएन. फिटिंग देखने जाते हैं तो उसको मान लेना चाहिये की फिटिंग ठीक कराई है। इसलिये इस एल फार्म से सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं है इसलिये इस एल फार्म को, मेरा निवेदन यह हैं कि इसकी गंभीरता से सोच कर को समाप्त कर दीजिए। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता था.... ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, घंटी बजा रहे हैं। यह एल फार्म भ्रष्टाचार का जरिया है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए जरा एल फार्म को सुनिए आप।

श्री सभापति : इसीलिये मैं उनको समय ज्यादा दे रहा हूं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं निवेदन यह कर रहा था कि यह सिलसिला यहां ही खत्म नहीं होता। इसके बाद लाइनमैन थ्री फेस बिजली देता नहीं है। वह देता है ढाई फेस,-दो फेज। किसान इनकी टेक्निकल नीति को समझता नहीं। जब विद्युत पूरी जाती नहीं है तो मोटर जलती है और मोटर जलने का खतरा होता है, बिजली फ्लेक्चूएट होती है तो वह जाता है लाइनमैन के पास तो बारगेनिंग होती है कि फसल पर एक बोरी देनी होगी एक बोरी नाज में सारे ए. ईएन., जे. ईएन. का हिस्सा होता है और जो काश्तकार नहीं देता है तो यह इंडिविजुअल बेइमानी होती है, एक ही लाइन में चार काश्तकार हैं तो एक के साथ भी गड़बड़ी की जा सकती है और तीन को बिजली मिलती रहती है। इसको बन्द करने के लिये मैंने निवेदन किया था आप जो मीटर देते हैं उनके साथ बाक्स लगाने चाहिये जिनकी एक ताली आपके पास हो और एक काश्तकार के पास। जो बिना दो ताली के खुल नहीं सके। ऐसी स्थिति में मीटर जलता है तो मीटर की जिम्मेदारी विभाग की है चाहे ए.इएन. चाहे जे.इ.एन चाहे लाइनमैन हो। इसलिये मीटर का पैसा आप वसूल करते हैं यह काश्तकार के साथ सरासर अन्याय है न आपको लेना चाहिए, न ले सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, काश्तकार इस बात को समझता नहीं है अगर उसने कोई यूनियन या बाडी बना ली और आपके खिलाफ कोर्ट में चेलेंज किया तो आप तो वैसे ही व्यवसाय करने वाली बाडी हैं आप कोई सरकार नहीं हैं काश्तकार ने अगर मुकदमे आपके खिलाफ शुरू कर दिये तो आपकी हार तो होगी ही लेकिन कितना नुकसान हो सकता है इसका अन्दाजा लगाइए इससे तो अच्छा हैं आप उससे पहले ही सारी व्यवस्था सुधार लें ताकि न किसानों को भुगतना पड़े न आपकी स्थिति खराब हो।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा सर्विस लाइन के चार्जेज के संबंध में। इसमें आपने स्पष्ट लिखा है कि कितने चार्जेज होंगे। 10 हार्स पावर के कितने, 25 हार्स पावर के कितने, अलग-अलग सर्विस लाइन के चार्जेज होते हैं खम्भे से मीटर तक के सामान के। जब कि सारे चार्जेज देता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जब डिमाण्ड नोटिस देता है वो सारे वसूल कर लेता है तो फिर ए. ईएन. खम्भे गाड़ने के पैसे किसलिए मांगता है, वह सर्विस लाइन क्यों मंगाता है सारा पैसा पहले ही जमा करा लेते हैं उसके बाद में किसान से फ्यूजेज आप मंगाते हैं और भी छोटी-छोटी चीजें, लेकिन किसान चूंकि जल्दी में हैं इसलिये ला देते हैं। इस प्रकार एक हजार, दो हजार काश्तकार विद्युत कनेक्शन लेते हैं तो हर काश्तकार से 200-200 रु. ज्यादा वसूल किए पोल गाड़ने से मीटर तक सर्विस लाइन के लगाने के, फ्यूज वगैरह के, यह तो लाखों का घोटाला पहुंचेगा। एक काश्तकार तो इसे मामूली मान कर छोड़ देता है लेकिन हमको तो ध्यान देना चाहिये। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सर्विस लाइन के पूरे चार्ज कर लेते

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

हैं तो कोई अधिकार नहीं हैं कि काश्तकार से फिर वसूल करें।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलदार भी नहीं चूकते। तहसीलदार के पास से आपके कनेक्शन देने के पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उसमें हरेक काश्तकार अमुक कुए पर कनेक्शन लेना चाहता है वह उसके खुद के नाम से खातेदारी में उसकी खुद की भूमि है। सिर्फ इतना सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन तहसीलदार, पटवारी क्या करते हैं, वह उसमें रिकवरी निकालते हैं कि उस आदमी में बकाया है। बकाया हो सकती है लेकिन वह काश्तकार तो कुए को डवलप कर रहा है और ज्यादा धन लगा कर कीमती बना रहा है कोई कमी नहीं कर रहा है। तहसीलदार और पटवारी को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी भी काश्तकार को कुए का कनेक्शन लेने से वंचित कर दे और ए. ईएन. और जे. ई. एन. उसको सहयोग दें। इसका एक उदाहरण मेरे पास में है। पटवारी ने तस्दीक कर दी कि अमुक आदमी तुलस्या, पतराम, परमा यह नाम है के प स जमीन है। जमीन लेने के बाद में जब तहसीलदार को यह पेश किया तो तहसीलदार ने कहा कि इसके खिलाफ कुछ रिकवरी निकाल दो। उसने ढूंढ ढांड कर 150/- रुपये की 1978 में निकाल दी। 1979 का यह सर्टिफिकेट है तो उसका रिकवरी का टाइम भी नहीं आया था। यह रिकवरी निकाली तहसीलदार ने यह नोट लगाया श्री रामा सन आफ श्री हेमा जाट राजस्व विभाग की बकाया रिपीटेडली कई मेजर्स के बाद भी नहीं भरता है। विद्युत विभाग को भी यह रकम समय पर नहीं जमा करायेगा इसलिए कनेक्शन नहीं दिया जाए। मुझे समझ में नहीं आता तहसीलदार ने यह सर्टिफिकेट देकर उस काश्तकार को विद्युत कनेक्शन होने से वंचित कर दिया। तहसीलदार इस जुर्म का भागीदार है। लेकिन इसको लेकर ए. ईएन. ने कनेक्शन नहीं दिया उसको क्या अधिकार था....

श्री सभापति : मुख्य मंत्रीजी माननीय सदस्य ने यह महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अगर इस प्रकार से बिजली कनेक्शन देने से रोका जाएगा कोई भी हो, कोआपरेटिव हो या कोई भी चीज है तो मैं समझता हूं कि यह आधार नहीं होना चाहिए। आप इस पर गंभीरता से विचार करें। इस प्रकार तहसीलदार ने जो किया है, उस संदर्भ में एक लेटर जारी होना चाहिये समस्त जिलाधीशों के नाम से ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री राम रघुनाथ चौधरी: इनका तहसीलदार ने इसलिये किया कि काश्तकार से कनेक्शन देने से पूर्व पैसा लेना चाहते है। मेरे पास में इसकी प्रतिलिपि है वह मैं मंत्री महोदय प्रस्तुत कर दूंगा। इसके बाद 6 महीने तक इस आदमी को घूमना पड़ा। घूमने के बाद वह किसान मेरे पास आया तो मैंने एक डी० ओ० लैटर जिलाधीश, तहसीलदार और ए० ओ० को लिखा और मैं पर्सनली जाकर मिला कि इस आधार पर मैंने निवेदन किया कि काश्तकार को विद्युत लेने से रोक नहीं सकते। तहसीलदार को भी मैंने समझाने का प्रयत्न किया कि वह आदमी 15-30 हजार रुपया और लगा कर कुए को भी ठीक करा रहा है। इससे आपकी रकम आसानी से वसूल हो जायगी। परन्तु

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

तहसीलदार के समझ में कुछ नहीं आया। फिर भी बिजली विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है तहसीलदार ने यह सर्टिफिकेट तो दिया ही है कि अमुक जमीन का यह मालिक है उसके बाद तहसीलदार ने क्या लिखा है उससे जे.ईएन. ए.ईएन. का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसको बिजली कनेक्शन दे देना चाहिये था आप यह भी देखिये डेगाना के ए.ईएन. जे.ईएन. ने किस प्रकार उस काश्तकार को बिजली का कनेक्शन देने से रोक कर उसने 12/15 हजार का खर्चा कर के कुए पर फिटिंग कर लिया विद्युत कनेक्शन से महरूम रखा गया। इसका जिम्मेदार कौन है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लाइन मैन क्या गड़बड़ी करता है। बिजली विभाग के पास जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे कभी कण्डक्टर कभी इन्सुलेटर नहीं है। सामान की कमी है। पोल्स नहीं है। जब लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिफिकेशन करते जा रहे हैं तो सामान की कमी हो सकती है लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं जिस गांव को भी आप इलेक्ट्रिफाइ करने के लिये सामान भेजते हैं उस गांव में आप पूरा सामान भेजिए ताकि आपका स्टाफ किसी पर्टीकूलर सामान के लिये वहां पर आइडल बैठा न रहे। जिस किसी गांव में पहले भेजते हैं वह सामान भेजिये। जिस गांव में पहले नहीं भेज सकते हैं तो कोई काम मत करिये थोड़ा देर से भेजिए। लेकिन एक दफा काम शुरू कर दें तो आपका काम रुकना नहीं चाहिये काम सम्पूर्ण होना चाहिए। लेकिन होता क्या है। आपके पोल्स पर फ्यूज नहीं लगे होते एक ट्रान्सफार्मर से चार लाइन जा रही है

[समय-समाप्ति-सूचक घंटी]

एक लाइन पर एक कुए की बिजली का फ्यूज उड़ गया तो उस लाइन मैन को रिपोर्ट करता है कि मेरे यहां का फ्यूज उड़ गया आपके फ्यूज लगे हुए नहीं है डाइरेक्ट उसमें तार जोड़ दिये है। तब वह क्या करेगा, जाकर पूरे ट्रान्सफार्मर का स्वीच ऑफ करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वह ट्रान्सफार्मर 100 के.वी. का है और उस ट्रान्सफार्मर से 10-12 काश्तकार जुड़े हुए हैं, तो उन सारे कुओं की बिजली बंद हो जाएगी। पहले लाइनमैन गांव में जाएगा। एक किलोमीटर जाकर टान्सफार्मर का स्विच आफ करके। उसके बाद कुए पर जाकर पर्टीकूलर पोल का जो कनेक्शन है उसको ठीक करेगा। फिर उसके बाद टान्सफार्मर पर जाकर स्विच आन करेगा। इसमें दो घण्टे से ज्यादा समय लग जाता है और विजली जितनी देते हैं, जब कमी होती है तो आप किसानों को चार घण्टे देते हैं। चार घण्टे में दो घंटे इस तरह चले गये तो इसका मतलब है कि चौबीस घण्टे तक बिजली उस गांव की समाप्त हो गई आपके फ्यूज अलग अलग बंधे हुए नहीं है इसलिये आप महरबानी करके यह देखिये हर कुए के खम्भे पर अलग अलग कनेक्शन के अलग अलग फ्यूजेज होना चाहिये। इस तरह किसानों को लाइन मैन के नाते या फ्यूजेज न होने के नाते नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, काश्तकारों को बिजली रात को दी जाती है। सर्दी में रबी की फसल होती है कड़ाके की सर्दी पड़ती है। सभापति महोदय, हम कम्बल ओढ़ कर भी और ओवरकोट पहनकर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं तब काश्तकार रात भर नंगे बदन, नंगे शरीर ठण्डे पानी या गर्म पानी;

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

जो भी कुछ निकलता है, से सिचाई करता है। उसकी हालत का आप अन्दाजा लगा सकते हैं। आप अपने कारखाने रात को चला सकते हैं। वहां सीमित लेबर होती है। वह रात को कम कर सकती है। दिन को सो सकती है इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकार को रात में काम करने से बचाइये। जहां तक हो सके, यह आपका प्रयत्न रहे आपका बिजली में आप जब भी कटौती करने जा रहे हैं और चौबीस घण्टे उनको बिजली नही दे सकते तो उनको बिजली दिन को मिले, रात को न मिले।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मीटर रीडर जाते हैं वह न जाने कब जाते हैं। वे कब जाते हैं और न जाते हैं इसका कोई पता नहीं चल पाता है। इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में 1975 में बाढ़ आई थी। मेरे यहां जितना भी क्षेत्र है काश्तकारी का सारे गांव का काश्तकार प्रायः वहीं है उसमें करीब पांच स्क्वायर मील में पानी भर गया था। इससे एक लेक बन गई थी वह 1975 की बनी हुई लेक आज भी मौजूद है बड़ी सुन्दर लेक है, टूरिस्ट के लिये ठीक है फिटिंग के लिये ठीक है, वोटिंग के लिये ठीक है लेकिन काश्तकार बर्बाद हो हो रहे हैं क्योंकि सारी काश्त की जमीन नीचे रह गई, उसमें कई कुछ रह गये। 1975 से जो कुएं बाढ़ में आ गये, पानी में है, आपका मीटर रीडर जाता है और बराबर मीटर रीडिंग करके प्रस्तुत करता है नोटिस जाता है, उसमें यह लिखता है आपके कुएं पर मीटर का ताला बंद था इसलिए मीटर रीडिंग नहीं ले सका। सभापति महोदय, समझ में नहीं आता जहां 20 फीट 25 फीट पानी भरा है, जहां 85 के. वी. की लाइन पानी में डूबी हुई है, उस मीटर रीडर ने, मकान के ताले हैं, डुबकी लगा कर देख लिया, पता नहीं कैसे देख लिया और निरन्तर 75 से लेकर आज तक वह बिल भेज रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि मीटर रीडर और आपके जे. इएन. कितना ब्लफ करते हैं आपके डिपार्टमेंट को और कितना काश्तकारों को तंग करते हैं। मीटर रीडर न जाने रात को जाता है दिन को जाता है और रीडिंग लेकर भेज देता है बिलिंग वाले भी उस्ताद हैं। बिल जितना होता है उससे चौगुना बनाते हैं। कन्ज्यूमर भाग कर जाता है और कहता है, साहब यह तो गड़बड़ी हो गई। अच्छा गड़बड़ी हो गई वो हिसाब किताब करें। तब वह हिसाब किताब करने को मजबूर होता है। परन्तु उसको काटा 500/– रुपये 200/– रुपये कम किये और उसको पकड़ा दिया जेब में डाल दिये। मीटर रीडर को चाहिये। गांव में मीटर रीडर जब जाता है मीटर रीडिंग के लिये तो वहां पर उपलब्ध आदमी से सिगनेचर, अंगूठा निशानी कराये यह कह कर कि मैं तेरे मीटर की रीडिंग ले रहा हूं। आजकल प्रायः करीब करीब हर काश्तकार मीटर की रीडिंग तो समझ गया लेकिन आपका मीटर रीडर जाता ही नहीं है, और घर बैठे वह रीडिंग ले लेता है इसका मतलब बिलकुल स्पष्ट है कि वह काश्तकार को तंग करना चाहता है, वह काश्तकार से नाजायज तरीके से पैसे वसूल करना चाहता है . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्ति पर हूं, सभापति महोदय, क्योंकि समय नहीं है।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जे० इएन० भी चूकते नहीं हैं। किसी ने अगर रिपोर्ट की, मेरा मीटर खराब है। रिपोर्ट की तो वह पहले काश्तकार को तंग करेगा और मीटर उतार कर ले जाएगा। उसको ठीक करने, दुरुस्त करने नहीं भेजेगा, उसे अपने पास रख लेगा। इस प्रकार शिकायत होने पर दो-तीन मीटर इकट्ठा कर लेगा। कोई काश्तकार मीटर की शिकायत लेकर आएगा जिससे पैसे गांठने हैं या जिससे मन नहीं मिलता तो वह खराब मीटर लगा देगा। उसकी रिपोर्ट पर एक हटाया और हटा कर दूसरा खराब मीटर लगा दिया। फिर महीने भर वह बहुत तेजी से घूमा और उसने कहा साहब, यह मीटर तो खराब है और चलता नहीं है, वह छांटेगा उसको, नया मीटर तुम्हारे कहने से लगाया यह भी खराब है तो क्या तुम्हारे कहने से मीटर बदलते रहें, तो 100-50 रुपये उससे गांठ लेगा और जो खराब था ही था, एक दफा किसी कुएं से मीटर उतर गया तो फर्ज यह बनता है ए. ईएन. व जे. इएन. का कि उसको दुरुस्त करने के लिये या मीटर टैस्ट करने के लिए भेजें और किसी हालत में it is used once on one well it should not be given to another person.

इसके साथ मेरा यह निवेदन है कि गांवों में बिजली की लाइनें की लाइनें चोरी हो गई, आपके ट्रांसफार्मर चोरी हो गये। आपने कई जगह शिकायतें भी लिखाई हुई हैं, हमें इस बात की जानकारी है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप किसी गांव में बिजली की लाइन खींचते हैं तो उस लाइन के बल्ब चार्ज क्यों नहीं कर देते ताकि आप उसमें इतना करन्ट तो आये कि कोई आदमी उसके हाथ नहीं लगा सके, मरे तो नहीं, परन्तु कम से कम उसको झटका तो लगे, आपके ट्रांसफार्मर चार्ज करके क्यों नहीं रख सकते ? नहीं रखते तो जब तक आपको पता नहीं कि अमुक गांव में एप्लीकेशन आ रही है, आप लाखों-करोड़ों का नुकसान उठा रहे हैं, सैकड़ों मील की लाइन की चोरी हो रही है, इसको बचाने की आप कोशिश करें। इस के साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी मेहरबानी से काश्तकारों को नुकसान से बचाने की कुओं को....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : कनेक्शन देने बंद कर दिये। आदेश यह निकाला कि किसी काश्तकार को कनेक्शन नहीं दिया जाय। मेरा विनम्र निवेदन है कि रबी की फसल आने वाली है। खरीफ की फसल बहुत अच्छी है लेकिन बरसात नहीं हुई है। भगवान इसी तरह से नाराज रहेगा तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। इसकी पूर्ति वह रबी क्राप्स से कर सकता है। इसलिए आप आदेश निकालिये, तुरन्त आदेश निकालिये कि जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है और एप्लीकेशन पेन्डिंग हैं उन किसानों को बोर्ड तत्काल विद्युत कनेक्शन दे दे।

अन्त में, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि बिजली बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन थे, टेक्निकल थे, अनुभवी थे, वे अब भी मेम्बर हैं और अभी जो हमारे चेयरमैन हैं वे भी अनुभवी हैं। एक मेरा निवेदन है कि कनेक्टेड लोड की जिम्मेदारी काश्तकार पर मत डालिए। एक काश्तकार ने 15 हार्स पावर, 20 हार्स पावर की मोटर लगा कर कनेक्शन किया उसने कनेक्शन

(102)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लेने के लिये सिर्फ एप्लीकेशन । 5 हार्स पावर दी है पर सही मायने में उसके कुए पर दस हार्स पावर का लगा हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके दो साल और तीन साल का फिक्स्ड पीरियड है उस पीरियड के निकालने के बाद उसका कनेक्टेड लोड सही हो जाना चाहिए। आपने नहीं कर रखा है, आपके ए. ईएन., जे. ईएन. ने यह कर रखा है कि काश्तकार आकर एप्लीकेशन दे, उस पर गौर करेंगे। काश्तकार एप्लीकेशन दे उस पर कोई गौर नहीं होता उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जिम्मेदारी आप जे. ईएन. या ए. ई. एन. पर डालिए कि वे जिस कुए पर जावें अगर वहां पर एक्चुअल मोटर कम हार्स पावर की लगी है तो कनेक्टेड लोड को उस हिसाब से कम करके उस काश्तकार को फायदा पहुंचाये, इन्सपेक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का है वह तो कभी जाता ही नहीं टी. ए. डी. ए. हजारों रुपये के उठाते हैं, किसी कुंए पर जाकर इन्स्पेक्शन करते नहीं, कहां-कहां खराब है, कहां अच्छा है। इसलिये पूरे इलेक्ट्रिसिटी इन्सपेक्टोरेट को हटा करके इस को बोर्ड के नीचे ले लीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : अब जो माननीय सदस्य बोलें मेरा यह सुझाव है वे विचार करलें कि काफी विस्तृत चर्चा हो चुकी है और बहुत से सुझाव दिये गए है, उन्हीं को दुबारा कवर करने की कोशिश की जाएगी तो बहुत समय लग जाएगा। राज्य सरकार भी सुन रही है और बिजली बोर्ड भी बैठा है। मैं समझता हूं वे सुझावों को नोट कर रहे होंगे, बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हैं जिससे जनजीवन का बहुत सम्बन्ध है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय बहुत कम है, मुझे मालूम नहीं सत्ता पक्ष समय बढ़ाना चाहता है या नहीं, लेकिन थोड़े समय में जो भी संक्षेप में कह सकें वह कहने की कृपा करें। श्री रामसिंह!

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): आदरणीय सभापति जी, मैं सबसे पहले विद्युत मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विद्युत पर विचार विमर्श करने का मौका दिया।

विद्युत आज के जनजीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिन गांवों में बिजली नहीं है, वहां के लोगों की आकांक्षायें हमेशा बिजली प्राप्त करने की रहती है। माननीय सभापति महोदय, जिन गांवों में जिन काश्तकारों के कुओं पर और जिन उद्योगपतियों के कारखानों के अन्दर बिजली लगी हुई है वे ऐसा महसूस करते हैं कि अच्छा होता कि पहले बिजली लेते ही नहीं या यह होती ही नहीं। जिस प्रकार एक शादी शुदा आदमी यह सोचता है कि शादी नहीं करता तो अच्छा होता। जिसकी शादी नहीं हुई वह सोचता है कि शादी करते तो अच्छा होता। आज की जो स्थिति है, सभापति महोदय, बिजली की जो हालत बन गई है, उससे पूरे राष्ट्र को जो क्षति हो रही है उसका अपना अन्दाज नहीं लगा सकते। एक किसान बड़ी मुश्किल से अपने कुंए पर बिजली लेता है। सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान को बिजली लेने के बाद उसको प्राप्ति क्या होती है, उसको बिजली कायम रखने के लिये कितना खर्चा करना पड़ता है। मैं समझता हूं जितनी उसको आमदनी होती है उससे ज्यादा उसको खर्चा करना

(श्री राम सिंह विश्नोई)

पड़ता है, मोटरें जल जाने से उसको वापस बंधवाने में और मोटरों के रख-रखाव पर उसको जितना खर्चा करना पड़ता है उतनी उसको प्राप्ति नहीं होती। यही स्थिति अगर अपने देश में रहती है। आज सीमेंट के उद्योग को लीजिये छोटे-छोटे उद्योग लीजिये। घरों के अन्दर बिजली ले लीजिये जहां पर भी बिजली लगी हुई है ऐसा कोई दिन और समय नहीं है जब 24 घण्टे में 12, 15 और 20 घण्टे बन्द नहीं रहती हो। जिस देश में बिजली की यह हालत हो, उस देश के काश्तकार और उद्योग किस प्रकार उन्नति करेंगे, उनको क्या उपलब्धि होगी, इसका अन्दाज लगाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं केवल संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जो विद्युत मण्डल है उसका अपन कम्पेरिजन करते हैं गुजरात से जहां पर 32 हजार लेबर अधिकारी और कर्मचारी हैं और तीन हजार मेगावाट बिजली काम में लेते हैं, जबकि हमारे यहां राजस्थान में 56 हजार लेबर, कर्मचारी और अधिकारी हैं और बिजली काम में लेते हैं 800 मेगावाट। दो हजार हमारे यहां पर ट्रक हैं गाड़ियां वाहन हैं कितना उनका दुरुपयोग होता होगा इसका अन्दाज लगाया जा सकता है, करोड़ों रुपयों की क्षति प्रति वर्ष राजस्थान सरकार और किसानों को होती है। जिस प्रान्त में इतना ज्यादा खर्चा हो और बर्बादी हो और देख रेख नगण्य हो, वहां के किसानों की हालत कैसे सुधर सकती है। हर साल आपको रेट बढ़ानी पड़ेगी नहीं तो घाटा ज्यादा होगा और जब घाटा ज्यादा होगा तो जो प्रोग्राम है गांवों में बिजली पहुंचाने का कुओं पर बिजली देने का, घरों में बिजली देने का। पिछड़ी जातियों को प्रोत्साहन देने का जो प्रोग्राम है वह हम पूरा नहीं कर पायेंगे क्योंकि जो बिजली की हालत है, 56 हजार की जो फौज है, उसका रहन-सहन, उसका भरण-पोषण और पैसा खाने का जो तरीका है और उनकी जो काम करने की प्रवृत्ति नहीं है, इन सब कारणों को देखते हुए निश्चित रूप से इतना जबर्दस्त घाटा बिजली बोर्ड को होगा और सम्भव है आगे आने वाले समय में हमको बिजली बोर्ड को बन्द करने के लिये विचार करना पड़े। इस बात पर भी हमको सोचना चाहिये। इसलिए मैं, मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास चीफ इंजीनियर है। आपके पास चैयरमैन हैं, अच्छे अनुभवी हैं, आप देखें, जो हालता बिगड़े हैं किन कारणों से बिगड़े हैं, कैसे खराब हुआ, कितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे अच्छी तरह काम लेवें। किसानों को 24 घण्टे बिजली मिलनी चाहिये। घरों में जो बिजली मिलती है, अगर समय समय पर आप उद्योगों को या काश्तकारों को बिजली नहीं देंगे तो इसका घाटा बोर्ड को ही होगा। लाखों करोड़ों रुपयों की क्षति चोरियों से हो रही है। किसान लोग भी चोरियां करते हैं, बिजली अधिकारियों का भी उसमें हाथ होता है। चोरी रोकने के लिये उपाय क्या करते हैं? बिजली चौबीस घण्टे मिलनी चाहिये वह नहीं दे पाने से हमको कितनी क्षति होती है इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये, किसानों की जो समस्यायें हैं वह बताई। पंजाब और हरियाणा का किसान दुनिया के मुकाबले अनाज पैदा

(104)

(श्री राम सिंह विश्नोई)

करता है, जो किसान अमेरिका में पैदा करता है, उसका जो खर्चा आता है, उसकी जो आमदनी होती है उसके मुकाबले में बिना बिजली के किसान खड़ा नहीं रह सकता। आज राजस्थान में जो बिजली की हालत है और विशेषकर में जोधपुर डिवीजन की बात करना चाहता हूं, पश्चिमी राजस्थान बिलकुल कगार पर बैठा है। अकाल के जहां पर जैसलमेर और जोधपुर जैसी जगह हैं, वह टेल के अन्दर हैं, केवल आपको कोटा से बिजली मिलती है। वहां तक पहुंचने में काफी स्थानों पर लीकेज हो जाता है, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली और बिलाड़ा के बाद वहां जाती है, तो कितने उद्योग धन्धे ठप्प पड़े हैं किसानों को कितनी दिक्कत होती है, उनकी मोटरें जल जाती हैं, हर साल किसानों की मोटर जलती है। इस कारण करोड़ों की सम्पत्ति और राष्ट्र की आय का नुकसान होता है और गांव का किसान मारा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के अन्दर सुव्यवस्था करनी चाहिये या तो उसको भाखरा से जोड़ें, या ताप बिजलीघर को वहां चालू करें, या कोटा से सीधी 220 के.वी. की लाइन जोधपुर सीधी जानी चाहिये। भीलवाड़ा से ब्यावर बिलाड़ा होकर जोधपुर जाती है इसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक आपकी 220 के. वी. की लाइन जाएगी तब तक वहां 440 के. वी. की मांग हो जाएगी। पिछले 2 साल में जोधपुर डिवीजन के किसानों और उद्योगों को भारी क्षति हुई। 24 घण्टों में चार-पांच घण्टे ही बिजली मिलती है जिससे उनकी मोटरें जल जाती हैं, मोटरें जलने के बाद ठीक समय पर मोटर ठीक नहीं होती और ठीक होने पर फिर वही बिजली की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली की जो मौजूदा स्थिति है उस में स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं समझता कि आप 24 घण्टे बिजली दे सकते हैं। आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप 24 घण्टे बिजली दे सकते हैं। लेकिन आप टाइम निश्चित कर दीजिए, और जो भी आप टाइम निश्चित करें, कम से कम उस टाइम में तो बिजली पूरे वाल्टेज के साथ दीजिए। मैं नहीं कहता कि आप 24 घण्टे बिजली दीजिए, इतनी उपलब्धि भी नहीं है, और सभी लोगों को बिजली देनी है सब लोगों की मांग है उसकी बराबर पूर्ति आप नहीं कर सकते क्योंकि इतनी उपलब्धि नहीं है, इसलिए आप एक पर्टीकूलर टाइम तय करलें कि इतने बजे से इतने बजे तक उद्योगपतियों को बिजली दी जाएगी, इतने समय तक किसानों को बिजली मिलेगी इस प्रकार जब तक आप टाइम तय नहीं करेंगे तब तक आप सब लोगों को खुश करने की कार्यवाही नहीं करेंगे, 24 घण्टे न तो आप बिजली दे पाएंगे। आपके ट्रांसफार्मर्स जलेंगे हमारे किसानों की मोटरें जल जाएंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान की स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए, वहां पर पूरा वाल्टेज दिलाने के लिए जिसका प्रोग्राम पहले ब्यावर होकर था लेकिन इसको आपने भीलवाड़ा से कर दिया। भीलवाड़ा को सप्लाई करके यह 220 के.वी. लाइन ब्यावर आएगी उसके बाद जोधपुर आएगी और उसके बाद पाली आदि ... जाएगी तो आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि इसका कोई औचित्य और फायदा नहीं है। इसलिए मेरा माननीय सभापति,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

महोदय यह निवेदन है कि इसको सुधारने के लिए और विशेषकर जोधपुर डिवीजन में सुधारने के लिए स्पेशियली व्यवस्था करें।

दूसरे, मैं फ्लेट रेट के लिए कहूंगा। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों ने यहां पर, पार्टी के लोगों ने, साथियों ने फ्लेट रेट के बारे में कहा और मैं जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अन्दर इस कार्य के फायदे के लिए किया। लेकिन सभापति महोदय, इससे जहां फायदे हुए वहां नुकसान भी हुए यहां पर एक किसान है जो एक कुंए के अन्दर 3-4 भाई हैं मालिक हैं। लेकिन उसके केवल एक भाई ने फार्म भर दिया। अब वह अपने कुएं से सिंचाई नहीं कर सकता है। इसलिए जो कमियां हैं, जो खामियां हैं उनको दूर करके और वास्तव में जो आपने फ्लेट रेट की योजना की है। मैं उचित समझता हूं कि उसमें जितनी भी हॉर्स पावर है, उसमें फ्लेट रेट कायम करें। अगर फ्लेट रेट में आप ये महसूस करते हैं कि पैसे कम हैं तो मैं सुझाव देता हूं। मैं किसान हूं, मेरे घर भी मोटरें लगी हुई हैं, मेरे घर में कुंए हैं, सब कुछ है। अगर रेट कम है तो आप रेट बढ़ा सकते हैं। इन किसानों को परेशानी से बचाने के लिए, मण्डल को घाटे से बचाने के लिए इससे बढ़िया कदम क्या होगा। आपके जो रीडर की बीमारी है, मीटर जल जाने की बीमारी है या घटिया किस्म के जो मीटर हैं, उन चीजों की बीमारी, सब कुछ खतम हो जायगी और आप पूरे प्रान्त के अन्दर फ्लेट रेट लागू करदें अगर रेट कम है तो रेट बढ़ा करके चोरियों को कम करके आप क्षति पूर्ति कर सकते हैं, हजारों की संख्या में आपके पास जो कर्मचारी हैं उनसे अच्छी तरह से काम लें। 4 महीने तक जो फालतू बैठे रहते हैं लाइन से वह सब चैक होने चाहिए। ये खम्भे, तार वगैरह सब चीजें ढंग से होनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कुछ इस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी गण हैं। यहां चीफ इन्जीनियर के 4-4, 5-5 पद हैं जो मैं नहीं समझता कि 5 अगर अलग-अलग पद हैं तो उनको अलग-अलग पावर्स दी जानी चाहिये। एक डिवीजन के पास तो 12-13 सर्किल हैं दूसरे जो आपके चीफ इन्जीनियर हैं उनके पास कोई काम नहीं है। इसलिए जिनके पास ज्यादा काम है, वह चैकिंग नहीं कर सकता। गांव में जा नहीं सकता। गांव पर जो हैं, हैडक्वार्टर से नहीं जाने की वजह से जो वहां के अधिकारीगण हैं ए. इएन. है, जे इए एन. हैं एक्स इ. एन. हैं उनको भी डर नहीं रहता है। इसलिए जो भी आपके चीफ इन्जीनियर्स हैं उनके पास भी काम हो अगर आप चाहते हैं कि 5 अलग-अलग होने चाहियें तो उनको काम देना चाहिए।

तीसरा, मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना यह है कि इसके अन्दर पावर कट करते हैं। इस पावर कट करने से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है तो वह किसान को होता है। कागजों के अन्दर कहीं नहीं, अखबारों के अन्दर घोषणा करते हैं कि हम किसानों के ऊपर कोई पावर कट नहीं करते लेकिन पावर कट से जो नुकसान होता है वह किसानों को होता है। अखबारों में इस प्रकार आप झूंठी घोषणा कर देते हो। कागजी कार्य-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

चाही में आप लेते नहीं बिजली वहां पर 4-4 घंटे आती नहीं है और कभी-कभी 2-2, 3-3 बार हफ्ते में नहीं आती है। कभी-कभी पूरे दिन नहीं आती। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि आपके जो पावर कट हैं मैं नहीं समझता कि जब आपके पास बिजली है, नहीं तो बिजली देंगे कैसे ? इसलिए आप बिजली समय पर दें। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिजली की कटौती के सम्बन्ध में समय से पूर्व सात दिन पहले घोषणा होनी चाहिये कि अमुक तारीख को बिजली उसी समय बन्द रहेगी। और बिजली बन्द रहेगी तो उस समय के अन्दर बन्द रहेगी। एक और निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन के सम्बन्ध में कि यह जो काम नहीं करते हैं, ये इम्पोर्टेन्ट जो कार्य होते हैं वो यहां के उच्च अधिकारी लोग जो प्रमोशन से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आते हैं उन लोगों को यह काम सौंप देते हैं। वह आदमी जानता है कि प्रमोशन अभी-अभी हुआ है, मेरी सी. आर. बिगाड़ देंगे इसलिए उनके प्रभाव में आकर के उच्च अधिकारी उनसे काम करा लेते हैं इसलिए प्रमोशन होने के बाद जो इम्पोर्टेन्ट महकमे के कार्य हैं, पद हैं, वह ऐसे आदमियों को दिये जाने चाहिए जो वास्तव मे जिम्मेदार हो सीनियर हों। ऐसे आदमियों को दिये जाने चाहिए ताकि गड़बड़ी न हो, घोटाले न हों। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके 56 हजार व्यक्ति तैनात हैं गुजरात के मुकाबले के अन्दर जो आपको खड़ा करना चाहते हैं, इसको घाटे से निकाल कर के फायदे में लाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप पूरे राजस्थान में फ्लेट रेट कायम करें। और किसानों से आप बढ़ाने की बात मंजूर कर सकते हैं लेकिन इसमें जो मूलता है अव्यवस्था केवल यही मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में बिजली की व्यवस्था राजस्थान में क्या होगी ? क्योंकि हमारे यहां बिजली जितनी कम पैदा होती है, बाहर से खरीदनी पड़ती है, इसलिए अपन दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते हैं, किसानों को घाटा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उसे आप अमल में लायेंगे।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी !

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि -

श्री परसराम मदेरणा : 15 मिनट का समय रहा है गवर्नमेन्ट का रिप्लाई दिला दीजिये। 5 बजे तक सदन का समय होता है। सरकार का उत्तर भी तो आना चाहिए।

श्री सभापति : बोलने वाले बहुत हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नियमों में 5 बजे तक का समय है 15 मिनट रहे हैं.. सरकार का उत्तर दिला दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं इस सम्बन्ध में।

श्री सभापति : जो डिबेट हो चुकी है. वह अनरिप्लाइड नहीं रहे। ऐसा नहीं हो कि डिबेट और हो जाये।

107

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि....

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, मुझे समय दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चूंकि आज बहुत से माननीय सदस्य अपने-अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि कल रक्षा बन्धन है। यदि सब माननीय सदस्यों की राय हो तो या तो यह हो कि आप अभी रिप्लाई शुरू करवा दें या इस डिबेट को अनकम्पलीट रख करके अगले सत्र के अन्दर एक दिन ले लेंगे, उस पर विचार कर सकते हैं, उस रोज रिप्लाई हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा विकल्प सभापति महोदय, ज्यादा ठीक प्रतीत होता है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रति वर्ष राजस्थान विद्युत मण्डल करोड़ों रुपये....

श्री सभापति : देखिये, आप लम्बी-चौड़ी डिबेट करते हैं। आप सूक्ष्म में बोलिये। बहुत सी बातें कह दी गई है, मैं समझता हूं कि इस विषय पर जो भी सुझाव माननीय सदस्य रखें, ऐसे सुझाव रखें जो सदन में नहीं आये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान का विद्युत मण्डल प्रति वर्ष ब्याज से रकम लेने का प्रावधान करता है। हर वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल खर्चे के लिए सारी व्यवस्था करता है।

श्री सभापति : यह बात बहुत से माननीय सदस्यों ने रखी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत मण्डल के एनुअल स्टेटमेन्ट के पेज नम्बर 12 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि वर्ष 1979-80 के लिए ऊपर पैरा संख्या 405 में श्रीराम विनायल, कोटा एवं अन्य उच्च शक्ति उपभोक्ताओं के बारे में किये गये स्थिति के स्पष्टीकरण के अनुसार 350 लाख का प्रावधान वर्ष 80-81 में डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए रखा गया है।

मेरा निवेदन करना यह है कि कोटा के अन्दर सन् 65 में श्रीराम विनायल केमिकल नाम की एक डी.सी.एम. कन्सर्न है। उसके साथ एग्रीमेन्ट हुआ। बिजली की रेट तय हुई। उसके बाद दुर्भाग्य यह है कि 66 से लेकर 76 तक उस कम्पनी ने एक फूटी कौड़ी तक राजस्थान विद्युत मण्डल को नहीं दी। और उसका परिणाम यह रहा है कि जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई तो नवम्बर 77 में डी.सी.एम. कन्सर्न को एक नोट भेजा और जिसमें डिमाण्ड की गई कि डी.सी.एम. कन्सर्न पर अब तक 5 करोड़ 50 लाख रुपये का एक बिल डिमाण्ड नोट भेजा और उसमें मांग की कि सरकार की तरफ से तुरन्त राजस्थान विद्युत मण्डल को एक नोट भेजा जाये। इसके साथ ही 11 लाख रुपये प्रतिमास सरचार्ज के हिसाब से लगाया गया और इस प्रकार से यह रकम आज की तारीख में 9 करोड़ 80 लाख रुपये बन गयी है।

इसके अलावा 4 करोड़ 56 लाख रुपये की अलग से बैंक गारन्टी देता है, इस प्रकार से 14 करोड़ 80 लाख रुपये की की रकम श्रीराम विनायल केमिकल नाम

(108)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

की एक कम्पनी पर, कोटा नगर की वसूल करनी बाकी है। मेरा निवेदन करना है कि जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई उसने 4 करोड़ 80 लाख का जब बिल डिमाण्ड नोट्स भेजा तो श्रीराम विनायल केमिकल तुरन्त भाग करके हाई कोर्ट में चली गयी। सौभाग्य की बात है कि बिजली बोर्ड के योग्य अधिकारियों ने उसको ढंग से लड़ा और लड़ने का परिणाम यह हुआ कि हमारे पक्ष में हुआ, बिजली बोर्ड के पक्ष में हुआ। लेकिन श्रीराम विनायल केमिकल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कर लिया और आज जस्टिस पालखीवाला के नेतृत्व में श्रीराम विनायल केमिकल इस केस को लड़ रहा है। मुझे डर है कि जहां तक मैंने कोटा में पता किया है कि हमने भी अच्छा जस्टिस किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अपने अधिकारियों को यह आदेश दें कि जस्टिस पालखीवाला के मुकाबले में हमारा एडवोकेट बढ़िया हों जो हमारे पैसे को इस तरह से वसूल कर सके।

दुर्भाग्य है कि 14 करोड़ रुपये से अधिक रकम श्रीराम विनायल केमिकल्स कोटा के एक कन्सर्न में बाकी है और उसके बावजूद भी इस साल के बजट में हमने घोषणा कर दी है कि 3 करोड़ 50 लाख का प्रावधान डूबत खाते में हमने मान लिया है। आखिरकार 16 करोड़ रुपये हमको लेने हैं, हमारा केस आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और चलते हुए भी इस सरकार ने घोषणा कर दी है कि 1980-81 में डूबत ऋण के रूप में श्री राम विनायल केमिकल ने स्वीकार कर लिया है, यह खेदजनक स्थिति है। मैं श्रीराम विनायल केमिकल्स की आलोचना नहीं करता। श्रीराम विनायल वाले बड़े तेज हैं, यह स्पष्ट है कि वे सीधे-सीधे कांग्रेस आई को सपोर्ट करते हैं और उसी का परिणाम है कि जब 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी कोटा में आई तो उनका पुरजोर स्वागत किया गया, 20 लाख रुपये उनके स्वागत के अन्दर खर्च किया गया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह जुडिशियल मामला है, सबजुडिस मैटर है। आपने सुझाव दिया कि राज्य सरकार कोई अच्छा वकील, हुंशियार वकील करे ताकि राज्य सरकार का पक्ष अच्छे तरीके से कोर्ट में रखा जाए आपका सुझाव आ गया।

श्री दाऊ दयाल जोशी : आज नेता लोगों के आह्वान पर बिजली बोर्ड को नुकसान हो, यह अपने आप में चिन्ता का विषय है। श्रीराम ही नहीं कोटा में जे० के० सिन्थेटिक्स में जनवरी, 1973 तक का बकाया पौने चार लाख रुपये था...।

श्री सभापति : आप इसको राजनीतिक मत बनायें।

श्री दाऊ दयाल जोशी : बिलकुल राजनीतिक नहीं है, यह दूसरा मामला है। साठ हजार रुपये प्रति माह सरचार्ज इस पर लगाया गया। यह रकम अब 7 लाख रुपये हो गई है। जब जनता पार्टी सरकार आई आते ही उसको बिल डिमांड नोटिस दिया। दो लाख रुपये जे० के० सिन्थेटिक्स से वसूल किया गया। आज की तारीख में भी जे० के० सिन्थेटिक्स पर 5 लाख से अधिक बकाया पड़ा है।

यही स्थिति ओ० पी० सी० नाम का एक कन्सर्न है उसकी है। उसमें सन् 1967

(श्री दाऊदयाल जोशी)

से लगभग 4 लाख बकाया थी जो सरचार्ज मिलाकर 45 लाख हो गई। दुर्भाग्य है कि 45 लाख का नोटिस देने के बाद भी ओ. पी. सी. कन्सर्न ने आज तक पैसा जमा नहीं कराया। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से बिजली मन्त्री से निवेदन है कि जो डूबत खाते की रकम बजट में बताई गई है 5.50 करोड़ की, यह बहुत बड़ा घोटाला है। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि हमारा किसान जब खेत की बिजली का पैसा अगर एक महीना भी नहीं दे तो तुरन्त उसका कनेक्शन काट देते हैं लेकिन जो करोड़ों रुपए खाकर के धन्ना सेठ लाला भरतराम, सोहनलाल सिंहानिया उनसे रकम वसूल करने में असमर्थ हैं। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि बिजली बोर्ड के सभी अधिकारी अच्छे अधिकारी हैं, अगर जस्टिस पालखी-वाला के मुकाबले में, हमने जिस प्रकार कोटा नगरपरिषद का केस जीतकर आए हैं वहां भी जस्टिस पालखीवाला को मात खानी पड़ी है, निश्चित रूप से अगर राज्य सरकार इसमे भी यदि कोई अच्छा वकील करेगी तो जस्टिस पालखीवाला को हम डिफिट देंगे।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

सूचना
श्री भरोसीलाल, विधान सभा सदस्य की सुरक्षा व्यवस्था

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक): दो मिनट सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता कि सवेरे श्री भरोसी लालजी के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये थे और सब ही चाहते थे कि उन्हें अंग रक्षक दे दिया जाय और उनकी जान माल को खतरा बताया गया। उस बारे में मुख्य मन्त्री ने मुझे कहा है कि आप सदन को सूचित करें कि उनको अंग रक्षक दे दिया गया है।

श्री राजबहादुर : सभापतिजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिससे उन माननीय सदस्य को खतरा है उसको गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री खेतसिंह राठौड़: उसके लिए प्रयत्न जारी हैं, वह तो गिरफ्तार होते ही होगा। उसके लिए पुलिस को आगाह कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पूर्ण प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री सभापति : अभी आज का विवाद अनकल्कूलेटेड रह जाएगा तो बाद में बोलें, समय कम है 5 मिनट में क्या बोलेंगे ?

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक के अनुमानों, 1980-81 पर चर्चा

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : दो मिनट संक्षेप में कहूंगा क्योंकि लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाला है लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे मे बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण बिजली के खम्भे गिर गये थे, तार टूट गए थे और वैसे इतनी भयंकर बाढ़ आई कि करीब 3-4 महीने बिजली विभाग को उन खम्भों और तारों को ठीक करने मे लगे। हालांकि बिजली विभाग ने काम बहुत जल्दी किया केवल 4 महीने में ही बिजली दे दी क्योंकि बाढ़ से क्षेत्र इतना खराब हो गया था कि 12 महीने में भी वह काम नहीं हो सकता था लेकिन 4 महीने में उन्होने काम किया लेकिन इन 4 महीनों के अन्दर काश्तकारों

(110)

(श्री अमराराम चौधरी)

को बिजली नहीं मिली। इसके बाद में वहां फरवरी और मार्च के अन्दर काश्तकारों को बिजली नहीं मिली और इसके कारण से हमारे काश्तकार रबी की फसल से महरूम रहे, उनकी फसलें नष्ट हो गईं लेकिन इस सम्बन्ध में हमारे यहां जो काश्तकारों के लिए अभी जो समस्या है वह यह है कि न्यूनतम चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं, उनको नोटिस मिल गए हैं और मैंने यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी जो पेश किया गया वह लगा नहीं कि इसको रोका जाए कि जांच की जाए क्योंकि काश्तकारों की बिजली करीब 6 महीने तक साल के अन्दर बन्द रही और ऐसे काश्तकारों से न्यूनतम चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं, उसको अविलम्ब रोका जाए और इसकी जांच करके इसको माफ किया जाए जिससे मान लीजिए 1600) देना पड़ता था, जिन्होंने सौ सौ रुपए की भी बिजली खर्च नहीं की है उनको 900) एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। ऐसे गरीब किसानों से, बाढ़ पीड़ितों से मिनिमम चार्जेज वसूल नहीं किया जाय, रोकी जाय।

इसके अलावा सीमेन्ट का अभाव था जो कुएं नष्ट हो गये थे जिसके कारण काश्तकार बिजली का कनेक्शन नहीं ले सके क्यों कि कुएं तैयार नहीं हुए थे, उसी कारण से बिजली का समय पर उपभोग नहीं कर सके। ऐसे किसानों से जो न्यूनतम चार्जेज लिया जा रहा है वे माफ किया जाय। यही मेरा विशेष निवेदन है।

श्री तेजपाल यादव (चौमू): माननीय सभापति जी, विद्युत के सम्बन्ध में मैं भी कुछ सुझाव आपके जरिए देना चाहता हूं। श्री रामसिंह जी ने बहुत अच्छे सुझाव रखे और किसान के नाते वास्तविक जो किसानों की समस्यायें हैं उनके बारे में निश्चित रूप से रखें। वास्तव में जनता सरकार ने एक सबसे बड़ी राहत दी वह फ्लेट रेट वाली थी। किसान से छोटे-छोटे मामलों में रिश्वत ली जाती थी कर्मचारियों के द्वारा और जरा सी मामूली सी मीटर में कमी हो गई तो कहेंगे कि तुम चोर हो, उसको चोर बनाकर केस बना दिया जाता। हांलाकि अगर बोर्ड को घाटा होता है तो फ्लेट रेट में वृद्धि की जा सकती है लेकिन फ्लेट रेट कायम रहनी चाहिये यदि फ्लेट रेट तोड़ दी जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा, जो कर्मचारी जाएगा वह किसान को लूट लेगा, कहेंगे तुमने यह गलती कर दी है, लाखों और हजारों रुपए ले जायेंगे। दूसरी बात, जो यह कनेक्शन है साल साल भर से गरीब किसानों ने फिटिंग करवा ली, एल फार्म भर कर दिया लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला।

तीसरी बात, बोर्ड मिनिमम चार्जेज किसान से लेता है चाहे बिजली जलाये या नहीं, मिनिमम चार्जेज देने ही पड़ेंगे। बिजली नहीं दी जाती है तो बोर्ड कम से कम किसानों की क्षतिपूर्ति करे, फसलें जल जाती हैं बिजली के अभाव में बर्बाद हो जाती हैं, उसकी क्षतिपूर्ति बोर्ड करे। किसान से पैसे लेते हैं चाहे बिजली जलाए या नहीं लेकिन जब बिजली के अभाव में किसान की फसल जल जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा?

तीसरा सुझाव मेरे क्षेत्र के बारे में यह है 132 के. वी. लाइन अभी पड़ी हुई है और 600 हैक्टेयर का लोड है चौमूं, रींगस और सीकर पर। तो मेरा सुझाव आपके

(श्री तेजपाल यादव)
माध्यम से राज्य सरकार, बोर्ड को यह है कि जल्दी से जल्दी 220 के. वी. लाइन वहां खिचवाकर सब-स्टेशन कायम किया जाऐ।

श्री सभापति : आज सदन की कार्यवाही का समय समाप्त हुआ।

अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई)